

No. 23/16/2020-R&R Part (1)
Government of India
Ministry of Power

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,
New Delhi, 11th March, 2022

To

1. Secretary, MNRE, New Delhi.
2. The Chairperson, CEA, R K Puram, New Delhi.
3. ACS/Principal Secretaries/Secretaries (Power/Energy) of all State Governments/UTs.
4. Secretaries of All State Electricity Regulatory Commissions/JERCs.
5. CMD/MDs of all Gencos/Discoms/Transcos.
6. Secretary, Central Electricity Regulatory Commission (CERC), New Delhi.
7. CMD/MDs of all CPSUs under administrative control of Ministry of Power & MNRE.
8. DG, Association of Power Producers(APP), New Delhi.
9. President, FICCI / President, CII, New Delhi
10. CMD, IEX LTD New Delhi & MD/CEO, PXIL, Mumbai
11. Chairman, Indian Wind Power Association, New Delhi
12. Director General, National Solar Energy Federation of India (NSEFI), New Delhi.
13. DG, Solar Power Developers Association, New Delhi
14. CMD/MD, SECI, New Delhi

Sub: Guidelines for Procurement and Utilization of Battery Energy Storage Systems as part of Generation, Transmission and Distribution assets, along with Ancillary Services – Reg
Sir/Madam,

I am directed to forward herewith the resolution dated 10-03-2022 regarding **Guidelines for Procurement and Utilization of Battery Energy Storage Systems as part of Generation, Transmission and Distribution assets, along with Ancillary Services** for information and necessary action please.

2. This issues with the approval of Competent Authority.

Encl:- As above

Yours faithfully,



(Debranjana Chattopadhyay)
Deputy Secretary to the Govt. of India
Tele No. 23715250

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble Minister of Power & NRE, APS to Hon'ble MoSP, Sr. PPS to Secretary, MoP.
2. All Additional Secretaries, Ministry of Power.
3. All Joint Secretaries/Economic Adviser/CE, Ministry of Power.

Copy to: Technical Director, NIC Cell for uploading on MOP's website under "New Notices"



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11032022-234077
CG-DL-E-11032022-234077

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 64]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 10, 2022/फाल्गुन 19, 1943

No. 64]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 10, 2022/PHALGUNA 19, 1943

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2022

सं. 23/16/2020-आर एंड आर भाग (1).—

उत्पादन, पारेषण और वितरण परिसंपत्तियों के हिस्से के रूप में सहायक सेवाओं सहित बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के क्रय और उपयोग के लिए दिशानिर्देश

खंड I: पृष्ठभूमि और परिचय

क. प्रस्तावना

1. पृष्ठभूमि

क. भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का विकास देश के ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख सफलताओं में से एक रहा है। आज, सौर और पवन ऊर्जा, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की भांति देश के ऊर्जा मिक्स का अभिन्न अंग बन गए हैं। भारत ने वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता संस्थापित करने और देश की ऊर्जा आवश्यकताओं के 50% भाग की पूर्ति करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के दौरान पहले ही 150 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की प्राप्ति कर ली है। भारत के ऊर्जा मिक्स में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि होने के साथ, तथा वर्ष 2030 तक लक्षित ऊर्जा मिक्स को देखते हुए, देश की अनुमानित ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए संसाधनों के इष्टतम उपयोग और सही संसाधन मिक्स के चयन की योजना बनाना उचित है।

ख. प्रौद्योगिकी और विनिर्माण में हुई विभिन्न वैश्विक प्रगतियों के फलस्वरूप, नवीकरणीय ऊर्जा, वार्षिक ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए सर्वाधिक वहनीय और स्वच्छ स्रोत बन गई है। प्रारंभिक उत्पादन क्षमताओं को अब तक ग्रिड से सफलतापूर्वक जोड़ा जा चुका है, लेकिन ऊर्जा मिक्स में नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ते प्रवेश के चलते, आपूर्ति-मांग में विसंगति होने के कारण, आगे क्षमता अभिवृद्धि में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जहाँ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन मुख्य रूप से निम्न मांग अवधि के दौरान किया जाता है और अनिश्चित प्रकृति का होना इसकी एक विशेषता है। कुछ यूटिलिटीज ने पहले से ही अपने ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण के प्रभावों को अनुभव करना शुरू कर दिया है और विद्युत में कटौती के लिए बाध्य हैं। इस संदर्भ में, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने जनवरी, 2020 की "वर्ष 2029-30 के लिए इष्टतम उत्पादन क्षमता मिक्स" शीर्षक की अपनी रिपोर्ट में ताप विद्युत आधारित उत्पादन के ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी से अनुपूरित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के साथ प्रतिस्थापन की मुख्य कठिनाइयों की परिकल्पना की है। इस संबंध में, उपर्युक्त रिपोर्ट का एक अंश निम्नवत पुनः प्रस्तुत है:

"यह सौर पैनलों की लागत में गिरावट और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों जैसे नए प्रौद्योगिकी विकल्पों से संभव हुआ है। वास्तव में, लागत अनुमानों में कमी निकट भविष्य में वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने हेतु बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी के लिए अत्यंत महत्वाकांक्षी है। इस संदर्भ में, इष्टतम उत्पादन क्षमता मिक्स की आयोजना का महत्व बहुत बढ़ जाता है, ताकि भावी उत्पादन क्षमता मिक्स किफायती होने के साथ-साथ पर्यावरण अनुकूल भी हो, इष्टतम उत्पादन मिक्स की प्राप्ति हेतु प्रणालियों और नीतियों को सक्षम बनाने के लिए 10-12 वर्षों का समय पर्याप्त है।"

ग. उपर्युक्त के अलावा, सहायक सेवाएँ पूरी दुनिया में विद्युत पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग रही हैं। विद्युत आपूर्ति प्रणाली में आवृत्ति और वोल्टेज नियंत्रण की बुनियादी सेवाएँ अंतर्निहित हैं और इन बुनियादी सेवाओं के प्रावधान को सक्षम बनाने के लिए, विश्वसनीय और कुशल ग्रिड परिचालन के अनुपूरण लिए विशिष्ट सहायता सेवाओं की आवश्यकता होती है। ये समर्थन सेवाएँ जो 'मूल्य वर्धित सेवाओं' के रूप में कार्य करती हैं, उन्हें 'सहायक सेवाओं' के रूप में जाना जाता है। सहायक सेवाओं में भार-उत्पादन संतुलन (फ्रीक्वेंसी नियंत्रण) बनाए रखने, वोल्टेज और प्रतिक्रियाशील विद्युत सपोर्ट बनाए रखने और उत्पादन एवं पारेषण रिजर्व को बनाए रखने के लिए सहायक सेवाएँ शामिल हैं। प्रारंभिक कदम के रूप में, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने वर्ष 2013 में "भारतीय विद्युत बाजार में सहायक सेवाओं की शुरुआत" पर एक स्टाफ पेपर जारी किया था। स्टाफ पेपर में सहायक सेवाओं के प्रकारों जैसे कि वास्तविक विद्युत सहायक सेवाएँ या फ्रीक्वेंसी सपोर्ट सहायक सेवाएँ/लोड फॉलोइंग एवं वोल्टेज या प्रतिक्रियाशील विद्युत सहायक सेवाएँ व ब्लैक स्टार्ट सहायक सेवाओं के विषय में चर्चा की गई थी। यह परिकल्पना की गई थी कि अधिशेष क्षमता (अर्थात् उस क्षमता के लाभार्थियों द्वारा या तो बिना मांग वाली अधिशेष क्षमता या वैसे उत्पादक जो बाजार में अपनी विद्युत क्षमता का विक्रय नहीं कर सके और/या अधिशेष कैप्टिव क्षमता) वाले उत्पादकों को एक अलग बाजार खंड में विद्युत एक्सचेंज में बोली लगाने की अनुमति दी जा सकती है।

घ. उपर्युक्त के अनुसरण में, सीईआरसी द्वारा अगस्त, 2015 में सहायक सेवा परिचालन संबंधी विनियम जारी किए गए। पणधारियों के साथ परामर्श के पश्चात, सीईआरसी ने निर्णय लिया कि वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने के लिए, अंतर-राज्यीय स्तर पर उत्पादक स्टेशनों में उपलब्ध डिस्पैच नहीं की गई अधिशेष क्षमता के उपयोग के माध्यम से तृतीयक आवृत्ति नियंत्रण, जिसका प्रशुल्क सीईआरसी द्वारा निर्धारित किया/अपनाया जाता है, को रिजर्व रेगुलेशन एंसिलरी सर्विस (आरआरएएस) के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। योग्यता क्रम प्रेषण के लिए आरआरएएस प्रदाता की परिवर्तनीय लागत पर विचार किया जाता है। संकुलन प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए, आरआरएएस के प्रेषण के दौरान पारेषण बाधाओं (अंतःक्षेत्रीय और अंतर्क्षेत्रीय दोनों) पर विचार किया जाता है। आरआरएएस प्रदाताओं को प्रोत्साहन के रूप में मार्क-अप के साथ निश्चित प्रभारों और परिवर्तनीय प्रभारों दोनों का भुगतान किया जाता है। फलस्वरूप अभ्यर्पित ऊर्जा के अनुपात में नियत शुल्क, मूल लाभार्थी(यों) को वापस किए जाते हैं। इसलिए, वर्तमान में, भारत में सहायक सेवाएँ उन संसाधनों द्वारा प्रदान की जाती हैं जो गतिमान हैं और पहले से ही एक निश्चित मेगावाट स्तर पर निर्धारित किए गए हैं, जिसमें उतार-चढ़ाव को नियमित करने के लिए हेडरूम और लेगरूम मार्जिन (रिजर्व के रूप में) दोनों उपलब्ध हैं। जबकि, निर्धारित

मेगावाट का निर्णय, बाजार प्रतिभागियों द्वारा किया जाता है, वहीं सिस्टम ऑपरेटर, फ्रीक्वेंसी नियंत्रण के लिए सहायक सेवाओं के रूप में उत्पादन मार्जिन के केवल हेडरूम और लेगरूम का उपयोग करता है।

- ड. उत्पादन क्षमता के अनुरूप मांग बढ़ने से, वर्तमान सहायक प्रणाली को बदला जा रहा है, नई सहायक प्रणाली को उत्पादन और पारेषण मिक्स को इष्टतम करने के लिए ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (ईएसएस) को मौजूदा और भावी आरई क्षमता के साथ एकीकृत करना आवश्यक है। प्रशुल्क-आधारित बोली प्रणाली के माध्यम से नई नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने संबंधी दिशानिर्देश पहले से ही अस्तित्व में हैं। ऊर्जा मिक्स में भंडारण घटक की वृद्धि करने के संबंध में, विद्युत मंत्रालय ने अप्रैल, 2021 में केविप्रा से व्यावसायिक मामले के रूप में भंडारण के उपयोग और सहायक सेवाओं के लिए की पहचान करने संबंधी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था। यह रिपोर्ट, अपेक्षित भंडारण क्षमता प्रदान करने के लिए व्यावसायिक रूप से प्रयुक्त समाधान के रूप में पंप्ड हाइड्रो भंडारण प्रणाली (पीएसपी) और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) को चिन्हित करती है। केविप्रा द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि योजना मॉडल द्वारा वर्ष 2027-28 के बाद से बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का चयन किया गया है और 27,000 मेगावाट/108,000 मेगावाट (4-घंटे भंडारण) की बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता के वर्ष 2029-30 में संस्थापित क्षमता का हिस्सा होना अनुमानित है। यह वर्ष 2029-30 में संस्थापित क्षमता के एक घटक के रूप में परिकल्पित पंप्ड हाइड्रो भंडारण प्रणाली के 10,151 मेगावाट तक अतिरिक्त है।
- च. मौजूदा पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज प्लांट्स से प्राप्त उपलब्ध सीमित समर्थन और नए पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज संयंत्रों के लिए लंबी विकासात्मक अवधि के कारण, भारतीय विद्युत व्यवस्था के लिए संसाधन पर्याप्तता के विभिन्न स्रोतों में से एक के रूप में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) की परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए। यह तथ्य सामने आया है कि नवीकरणीय ऊर्जा के साथ-साथ स्टोरेज/बीईएस से संसाधन पर्याप्तता सुनिश्चित करने के अलावा उत्पादन में अपेक्षित सुविधा प्राप्त हो सकती है।

2. उद्देश्य

इन दिशानिर्देशों के विशिष्ट उद्देश्य निम्नवत हैं:

- क. परिवर्तनशीलता/विद्युत आपूर्ति में एकरूपता/विद्युत उत्पादन में वृद्धि/किसीविशिष्ट आरई परियोजना या आरई परियोजनाओं के पोर्टफोलियो से आपूर्ति की अवधि में विस्तार पर ध्यान देने, मौजूदा आरई परियोजनाओं के संवर्द्धन और/या ग्रिड के लिए सहायक, ग्रिड सहायता और स्थिति के अनुरूप सेवाएँ प्रदान करने के लिए विशिष्ट आरई विद्युत परियोजनाओं के हिस्से के रूप में अथवा पृथक रूप से बीईएसएस की खरीद को सुविधा प्रदान करना।
- ख. पारेषण और वितरण नेटवर्क के इष्टतम उपयोग के लिए बीईएसएस की खरीद को सुविधा प्रदान करना।
- ग. अंतर-राज्यीय/अंतःराज्यीय विद्युत के क्रय-विक्रय हेतु क्रय प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए/तथा समूहक/व्यापार लाइसेंसधारियों/कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में किसी मध्यवर्ती क्रेता के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करना।
- घ. प्रक्रियाओं में मानकीकरण और एकरूपता और ऊर्जा भंडारण और भंडारण क्षमता क्रय में शामिल, विभिन्न पणधारियों के बीच एक जोखिम-साझाकरण फ्रेमवर्क प्रदान करना, जिससे प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जा सके और परियोजनाओं की बैंकबिलिटी को बढ़ाया जा सके।

ख. दिशानिर्देशों का प्रयोजन

1. दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता

ये दिशानिर्देश, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के प्रावधानों के अंतर्गत "निर्माण-स्वामित्व-प्रचालन" या "निर्माण-स्वामित्व-प्रचालन-अंतरण" आधार पर स्थापित की जाने वाली ग्रिड से जुड़ी परियोजनाओं से, प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से, 'क्रेताओं' द्वारा बीईएसएस से ऊर्जा की खरीद के लिए जारी किए जा रहे हैं, जिसमें न्यूनतम परियोजना आकार और बोली क्षमता आवश्यकताएँ निम्नवत हैं:

- (i) अंतः-राज्यीय परियोजनाओं के लिए: 1 मेगावाट की न्यूनतम बोली क्षमता के साथ एक साइट पर प्रयोज्यता के आधार पर उपयुक्त ऊर्जा रेटिंग सहित 1 मेगावाट और उससे अधिक की विद्युत रेटिंग का न्यूनतम विशिष्ट परियोजना आकार; तथा

(ii) अंतर-राज्यीय परियोजनाओं के लिए: मौजूदा सीईआरसी विनियमों/विस्तृत प्रक्रिया द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम वोल्टेज स्तर पर 50 मेगावाट की न्यूनतम बोली क्षमता के साथ एक साइट पर प्रयोज्यता के आधार पर उपयुक्त ऊर्जा रेटिंग सहित 50 मेगावाट और उससे अधिक की न्यूनतम विशिष्ट परियोजना क्षमता।

2. इन दिशानिर्देशों के प्रावधान बीईएसएसडी/क्रेता/मध्यवर्तिक्रेता/अंतिम क्रेता/कार्यान्वयन एजेंसी और क्रेता के अधिकृत प्रतिनिधि पर बाध्यकारी होंगे। इन दिशानिर्देशों से किसी भी प्रकार के प्रस्तावित परिवर्तन की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, इन दिशानिर्देशों के खंड क, भाग V में निर्दिष्ट है।

3. व्यावसायिक मामले

ऊर्जा की आपूर्ति और ग्रिड रखरखाव में बीईएसएस के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित व्यावसायिक मामलों की पहचान की गई है:

- (i) बीईएसएस से आरई आपूर्ति: इस मामले में, बीईएसएस को आरई परियोजना के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है, और आरई और बीईएसएस परिसंपत्तियों का स्वामित्व उत्पादक के पास है। इन परियोजनाओं का उपयोग क्रेताओं की व्यस्ततम विद्युत और निश्चित प्रेषण योग्य आरई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी किया जा सकता है।
 - (ii) पारेषण अवसंरचना के साथ बीईएसएस: इस मॉडल का उद्देश्य पारेषण परिसंपत्ति के उपयोग को अधिकतम करना, पारेषण प्रणाली के उपयोग की अवधि बढ़ाना और ग्रिड स्थिरता को सुदृढ़ करना है। ये प्रणालियां पारेषण क्षमता के इष्टतम उपयोग और नेटवर्क संकुलन को कम करके पारेषण अवसंरचना के बड़े पैमाने पर अनुकूलन को सक्षम बनाएगी। फलस्वरूप, निकासी और पारेषण अवसंरचना के संवर्धन की आवश्यकता काफी कम हो जाती है।
 - (iii) सहायक सेवाओं/संतुलन सेवाओं और लचीले प्रचालनों के लिए भंडारण: तेज रैंप दर के साथ बीईएसएस, इंटरचेंज प्रवाह के हर पल के प्रबंधन के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। प्रणालीप्रचालक (उदाहरण के लिए आरएलडीसी/एनएलडीसी और एसएलडीसी) भार और उत्पादन में अंतर्निहित अनिश्चितता/भिन्नताओं के प्रबंध के लिए आवृत्ति नियंत्रण और संतुलन सेवाओं के लिए बीईएसएस का उपयोग कर सकते हैं।
 - (iv) वितरण के लिए भंडारण: इस मॉडल का उद्देश्य भंडारण परिसंपत्ति के उपयोग को अधिकतम करना और डिस्कॉम प्रचालनों को सुदृढ़ करना है। भार केंद्रों पर जुड़ने से, डिस्कॉम द्वारा अपने व्यस्ततमकालीन भार, ग्रिड लचीलेपन के प्रबंधन, पोर्टफोलियो प्रबंधन और लचीले प्रचालन के लिए उसका उपयोग उपयुक्त रूप से किया जा सकता है। बीईएसएस का उपयोग डिस्कॉमों के लिए प्रमुख उपभोक्ताओं के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेगमेंट के बड़े पैमाने पर विस्तार को सुविधा प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है। बीईएसएस का उपयोग डिस्कॉमों द्वारा परिसंपत्ति स्थानान्तरण प्राप्त करने के लिए इष्टतम साधन के रूप में भी किया जा सकता है, फलस्वरूप परिसंपत्ति की सक्रियता बढ़ेगी।
 - (v) आर्बिट्रिज प्रचालन के लिए स्टैंडअलोन बीईएसएस जिसका उपयोग व्यापारिक प्रचालन सहित विकासकर्ता/—स्वामी अथवा पट्टाधारी द्वारा किया जा सकता है।
 - (vi) बीईएसएस विकासकर्ता/स्वामी किसी विशेष अवधि के लिए भंडारण स्थान का विक्रय कर सकता है। इस स्थिति में वह प्रभार प्राप्त करेगा।
 - (vii) कोई अन्य व्यवसाय मॉडल जैसा कि क्रेता/मध्यवर्ती क्रेता/लाभग्राहियों/उत्पादकों द्वारा उपयुक्त पाया जाए।
 - (viii) उपर्युक्त क्रम सं. (i) से (vii) पर वर्णित व्यापारिक मामलों के साथ-साथ बीईएसएस विकासकर्ता द्वारा किसी निश्चित घटक को भी व्यापारिक क्षमता के रूप में उपयोग हेतु निर्धारित किया जा सकता है। इस घटक को मौजूदा विनियमों के अनुसार विद्युत बाजार में ट्रेड किया जा सकता है।
4. ये दिशानिर्देश उपर्युक्तक्रमांक (ii) से (vii) द्वारा चिन्हित व्यावसायिक मामलों के लिए लागू होंगे। उपर्युक्त क्रमांक (i) के लिए अर्थात् उन प्रणालियों के मामले में जिनमें बीईएसएस के साथ एक एकल परियोजना (सह-स्थित या बहु-स्थित) के रूप में आरई उत्पादन स्टेशन शामिल हैं, सौर, पवन और हाइब्रिड विद्युत परियोजनाओं से विद्युत के

क्रय के लिए जारी संबंधित मानक बोली दिशानिर्देश अथवा विद्युत मंत्रालय द्वारा एकीकृत मानक बोली दिशानिर्देशलागू होंगे।

5. बीईएसएस को आरई और गैर-आरई विद्युत के संयोजन के माध्यम से आरई विद्युत अथवा गैर-आरई विद्युत द्वारा चार्ज किया जाए, तथापि जब यह आरई विद्युत की आपूर्ति करना चाहता है, तो उसे केवल आरई विद्युत द्वारा चार्ज करने की आवश्यकता होगी।

खंड-II: परिभाषाएं

इन दिशानिर्देशों में प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित अभिप्राय होंगे:

1. "अधिनियम" से दिनंतर संशोधनों तथा उनके जारी किए गए स्पष्टीकरणों सहित, विद्युत अधिनियम, 2003 अभिप्रेत होगा।
2. "समायोजित इक्विटी" से भारतीय रुपये में वित्त पोषित और चालू माह के पहले दिन ("संदर्भ तिथि"), नीचे निर्धारित तरीके से समायोजित इक्विटी अभिप्रेत होगी, जो मूल्यहास और थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भिन्नताओं के कारण और नियत तारीख के महीने के पहले दिन (वित्तीय समापन की प्राप्ति की तारीख) और संदर्भ तिथि के बीच आने वाली किसी संदर्भ तिथि के लिए इसके मान में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करेगी।
 - क. वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) को या उससे पहले, समायोजित इक्विटी भारतीय रुपये में वित्त पोषित व्यय की गई इक्विटी कीराशि के बराबर होगी और परियोजना पर खर्च की जाएगी, जो नियुक्त तिथि और संदर्भ तिथि के माह के पहले दिन के बीच डब्ल्यूपीआई में होने वाले बदलाव के आधे की सीमा तक संशोधित होगी;
 - ख. सीओडी के अनुसार समायोजित इक्विटी के बराबर राशि को आधार ("आधार समायोजित इक्विटी") माना जाएगा;
 - ग. सीओडी के बाद, सीओडी के बाद प्रत्येक महीने की शुरुआत में 0.333% (शून्य बिंदु तीन तीन प्रतिशत) कम करते हुए [किसी वर्ष की प्रति तिमाही 1% (एक प्रतिशत) की कमी] यहां समायोजित इक्विटी बेस एडजस्टेड इक्विटी के बराबर राशि होगी, और इस प्रकार प्राप्त राशि को सीओडी और संदर्भ तिथि के बीच डब्ल्यूपीआई में होने वाले भिन्नता की सीमा तक संशोधित किया जाएगा;

संदेह से बचने के लिए, समायोजित इक्विटी कीसमाप्ति की स्थिति में, अंतरण तिथि से ठीक पहले की संदर्भ तिथि के अनुसार गणना की जाएगी; बशर्ते कि समायोजित इक्विटी में उस अवधिके बराबर अवधि में कोई कमी, यदि कोई हो, के लिए नहीं की जाएगी जिसके लिए बीईएसपीए अवधि आगे बढ़ाई गई है, बल्कि डब्ल्यूपीआई के कारण संशोधन करना जारी रखा जाएगा।
3. किसी कंपनी के संबंध में "संबद्ध" से वह व्यक्ति अभिप्रेत होगा जो ऐसी कंपनी को नियंत्रित करता है, उसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, या उसके सामान्य नियंत्रणाधीन है।
4. "वार्षिक उपलब्धता" आरएफएस में परिभाषित अनुसार होगी।
5. "उपयुक्त आयोग" का वही अभिप्राय होगा जो अधिनियम में परिभाषित है।
6. क्रेता का "अधिकृत प्रतिनिधि": ऐसे मामलों में, जहां बैटरी ऊर्जा भंडारण क्रय करार (बीईएसपीए) पर हस्ताक्षर करने वाली एजेंसी और निविदा/बोली प्रक्रिया कराने वाली एजेंसी अलग-अलग हैं, तो निविदा/बोली प्रक्रिया कराने वाली एजेंसी को 'क्रेता' का अधिकृत प्रतिनिधि माना जाएगा और इन दिशानिर्देशों के अनुसार, बोली लगाने के चरण के दौरान 'क्रेता' पर लगाई गई सभी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए क्रेता की ओर से जिम्मेदार होगा।
7. "बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली विकासकर्ता" या "बीईएसएसडी" या "विकासकर्ता" से इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत विद्युत की आपूर्ति के लिए बीईएसएस सुविधा का स्वामित्व/प्रचालन करने वाली कंपनी अभिप्रेत होगी।
8. "बैटरी ऊर्जा भंडारण क्रय करार" अथवा "बीईएसपीए" से अभिप्राय बीएसएस क्षमता के क्रय के लिए मध्यवर्ती क्रेता अथवा अंतिम क्रेता (जैसा लागू हो) द्वारा बीईएसएसडी के साथ किए गए करार से है।

9. "बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली" या "बीईएसएस" या "परियोजना" से ऐसी प्रणाली (प्रणालियां)/परियोजनाएं अभिप्रेत हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल बैटरी(लेड एसिड, ली-आयन, सॉलिड स्टेट बैटरी, फ्लो बैटरी, आदि) जैसी विधियों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करती हैं, एक ऐसी सुविधा प्रदान करती हैं जिसमें रासायनिक ऊर्जा भंडारित की जा सके और भंडारित ऊर्जा को विद्युत के रूप में वितरित करती हैं, जिसमें सहायक सुविधाएं (उदाहरण के लिए ग्रिड सहायता) शामिल हैं, किन्तु ये इस तक ही सीमित नहीं होतीं। ऐसी प्रणालियां आरई उत्पादक स्टेशनों के साथ सह-स्थित हो सकती हैं, स्टैंड-अलोन आधार पर प्रचालित की जा सकती हैं।
10. "बोलीकर्ता एजेंसी" इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत निविदा दस्तावेज जारी करने वाले और चयन प्रक्रिया को कार्यान्वित करने वाले संगठन को संदर्भित करेगी।
11. "नियंत्रण" से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसी कंपनी के 50% से अधिक वोटिंग शेयरों का स्वामित्व या सर्वाधिक निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार अभिप्रेत है।
12. "देय ऋण" से अंतरण तिथि को बकाया भारतीय रुपये में अभिव्यक्त निम्नलिखित राशियों का योग अभिप्रेत होगा:
- क. कुल परियोजना लागत ('मूलधन') के वित्तपोषण के लिए वित्तीय करारों के अंतर्गत वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा प्रदान की गई ऋण की मूल राशि, किन्तु इसमें मूलधन का ऐसा कोई हिस्सा शामिल नहीं होगा जो अंतरण तिथि से 2 (दो) वर्ष पहले पुनर्भुगतान के लिए देय हो गया था;
- ख. अंतरण तिथि तक उपर्युक्त उप-खंड (क) में संदर्भित ऋण पर या उसके संबंध में वित्तपोषण करारों के अंतर्गत देय सभी अर्जित ब्याज, वित्तपोषण शुल्क और प्रभार, किन्तु इसमें: (i) अंतरण तिथि से 2 (दो) वर्ष पहले देय हुआ कोई ब्याज, शुल्क अथवा प्रभार, (ii) किसी वरिष्ठ ऋणदाता को वित्तपोषण करारों के अंतर्गत भुगतानयोग्य कोई दंड ब्याज अथवा प्रभार, (iii) क्रेता की चूक के कारण उत्पन्न किसी ऐसे प्रभार को छोड़कर, ऋण केवलित पुनर्भुगतान के संबंध में कोई पूर्व-भुगतान प्रभार, और (iv) वित्तीय पैकेज में शामिल और कुल परियोजना लागत के वित्तपोषण के लिए इक्विटी निवेशकों अथवा उनसे संबद्ध कंपनियों द्वारा संवितरित कोई गौण ऋण शामिल नहीं होगा।
- परंतु यदि सम्पूर्ण देय ऋण अथवा उसका कोई हिस्सा वरिष्ठ ऋणदाताओं और/अथवा रियायतग्राही के विकल्प पर इक्विटी में परिवर्तनीय है, तो इस करार के उद्देश्य के लिए इसे यदि ऐसा परिवर्तन नहीं किया गया हो तो भी देय ऋण नहीं माना जाएगा और इसके मूल का निपटान इस प्रकार किया जाएगा कि जैसे ऐसा परिवर्तन कर दिया गया था। परंतु यह भी कि सीओडी को अथवा उसके बाद देय ऋण, किसी भी स्थिति में कुल परियोजना लागत के 80% (अस्सी प्रतिशत) से अधिक नहीं होगा।
13. "अंतिम क्रेता" से मध्यवर्ती क्रेता अथवा बैटरी भंडारण प्रणाली विकासकर्ता, जैसा भी मामला हो, से ऊर्जा का अंतिम क्रेता अभिप्रेत है; और इसमें, जैसा लागू हो, वितरण लाइसेंसधारी, थोक उपभोक्ता आदि शामिल होंगे।
14. "वित्तीय परिसमापन" अथवा "परियोजना वित्तपोषण व्यवस्था" से 100% परियोजना लागत के लिए बैटरी भंडारण प्रणाली विकासकर्ता द्वारा कंपनी द्वारा अपने आंतरिक संसाधनों (निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प द्वारा) से निधियों की प्रतिबद्धता और/अथवा ऋण की स्वीकृति अथवा वित्तपोषण के लिए सहमत होते हुए निश्चित प्रतिबद्धता पत्र द्वारा किसी बैंक/वित्तीय संस्था के माध्यम से निधियों की व्यवस्था द्वारा आवश्यक निधियों की व्यवस्था अभिप्रेत है।
15. "मध्यवर्ती क्रेता" अथवा "कार्यान्वयन एजेंसी": कुछ मामलों में, खरीदी गई विद्युत को संचित करने और/अथवा विभिन्न विकासकर्ताओं से बड़े पैमाने की ऊर्जा भंडारण क्षमता के साथ इसे सुदृढ़ करने, और अंतिम क्रेता (क्रेताओं) को बेचने के लिए या तो वितरण लाइसेंसधारी (लाइसेंसधारियों) तथा बीईएसएसडी के मध्य कोई मध्यवर्ती, अथवा भारत सरकार द्वारा यथा अधिसूचित कोई "कार्यान्वयन एजेंसी" अपेक्षित है, ऐसे मामलों में "क्रेता" कोई व्यापार लाइसेंसधारी अथवा कोई कार्यान्वयन एजेंसी होगी, जो विकासकर्ता (विकासकर्ताओं) से विद्युत खरीदेगी और इसे एक या उससे अधिक वितरण लाइसेंसधारियों को बेचेगी, इन दिशानिर्देशों के उद्देश्य के लिए ऐसा वितरण लाइसेंसधारी "अंतिम क्रेता" होगा और व्यापार लाइसेंसधारी "मध्यवर्तिक्रेता" होगा।
16. "क्रेता" से, प्रसंगवश जैसा अपेक्षित हो, अंतिम क्रेता अथवा कोई मध्यवर्तिक्रेता अभिप्रेत होगा।

17. "नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) स्रोत" से 'सौर फोटोवोल्टिक' (इसके बाद 'सौर' के रूप में भी संदर्भित), 'पवन' तथा 'सौर पीवी-पवन हाइब्रिड' (इसके बाद 'हाइब्रिड' के रूप में भी संदर्भित) भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथाअधिसूचित अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए संदर्भित है।
18. "नवीकरणीय विद्युत" अथवा "आरई विद्युत" से इन दिशानिर्देशों में जहां कहीं भी "आरई विद्युत" शब्द प्रयोग किया गया है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत के लिए संदर्भित होगा।
19. "आरई पार्क" सौर, पवन अथवा सौर-पवन हाइब्रिड विद्युत परियोजनाओं सहित आरई विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए केंद्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा जारी दिशानिर्देशों और/अथवा नीतियों के अनुसार विकसित क्षेत्रों अथवा पार्कों के लिए संदर्भित होगा।
20. "चयन हेतु अनुरोध" अथवा "आरएफएस" अथवा "निविदा" या "बोली दस्तावेज" से अभिप्राय बोलीकर्ता एजेंसी द्वारा जारी निविदा दस्तावेजों से है जिसमें इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत किसी प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से विद्युत के क्रय के लिए, यथालागू ऊर्जा क्रय तथा ऊर्जा विक्रय करार शामिल होंगे।
21. "सौर": इन दिशानिर्देशों में जहां कहीं भी 'सौर' शब्द का प्रयोग किया गया है, यह सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) तथा सौर ताप प्रौद्योगिकियों अथवा ऐसी प्रौद्योगिकियों पर आधारित विद्युत संयंत्र के लिए संदर्भित होगा।
22. "पवन": इन दिशानिर्देशों में जहां कहीं भी 'पवन' शब्द का प्रयोग किया गया है, यह पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी अथवा ऐसी प्रौद्योगिकी पर आधारित विद्युत संयंत्र के लिए संदर्भित होगा।

खंड-III: बोली प्रक्रिया और परियोजनाओं को अवाई करना

क. बोलियां आमंत्रित करने की तैयारी और परियोजना की तैयारी

1. क्रेता द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें

1.1. बोली दस्तावेज तैयार करना:

- क. क्रेता, नीचे उपखंड ख में दी गई व्यवस्था को छोड़कर, इन दिशानिर्देशों के अनुसार बोली दस्तावेज तैयार करेगा।
- ख. क्रेता, इन दिशानिर्देशों के खंड क, धारा V में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार, आरएफएस के प्रारूप, बीईएसपीए के प्रारूप, बीईएसएसए के प्रारूप (यदि लागू हो) में इन दिशानिर्देशों से किसी व्यतिक्रम के लिए उपयुक्त सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा।
- ग. इन दिशानिर्देशों की अधिसूचना से पहले चल रहे किसी प्रक्रियाधीन बोली के मामले में, विशिष्ट निविदा दस्तावेजों के प्रावधान प्रचलित रहेंगे।

1.2. स्वीकृति सहित स्थल संबंधी परियोजना प्रारंभिक गतिविधियां

क्रय की जा रही विद्युत की समय से आपूर्ति आरंभ करना सुनिश्चित करने के लिए और बोलीकर्ता को क्रेता के अटल इरादे के बारे में विश्वास दिलाने के लिए, आवश्यक है कि इन दिशानिर्देशों में नीचे दिए गए खंड 1.4 और खंड 1.5 में वर्णित विभिन्न परियोजना प्रारंभिक गतिविधियों को समय पर पूरा किया जाए।

1.3. स्थल से संबंधित व्यवस्थाएं

क्रेताओं द्वारा जारी किए जाने वाले बोली दस्तावेजों में यथानिर्दिष्ट परियोजनाक्रेता द्वारा निर्दिष्ट परियोजना स्थल पर अथवा विकासकर्ता द्वारा चयनित परियोजना स्थल पर स्थापित की जाए। ग्रिड में बहुल-ऊर्जा अंतःक्षेपण बिन्दुओं के लिए निविदा दस्तावेज के प्रावधानों के अंतर्गत अनुमति दी जा सकती है। बहुल-अंतःक्षेपण बिन्दुओं के मामले में, प्रत्येक विशिष्ट ऊर्जा अंतःक्षेपण बिन्दु के लिए कनेक्टिविटी की क्षमता और खुली पहुँच समय-समय पर संशोधित मौजूदा विनियमों के अनुसार प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, बहुल अंतःक्षेपण बिन्दु वाली किसी अकेली परियोजना के लिए प्रत्येक अंतःक्षेपण बिन्दु के लिए विचलन समाधान तंत्र के अनुसार शेड्यूलिंग और समाधान पृथक रूप से किए जाएंगे। ऐसे मामलों में, क्रेता का दायित्व होगा कि वह बीईएसपीए और प्रत्येक अंतःक्षेपण बिन्दु पर प्रदान की गई कनेक्टिविटी के अनुसार अनुबंधित क्षमता तक संचयी रूप से सभी अथवा किसी अंतःक्षेपण बिन्दु से विद्युत का क्रय करे।

1.4. क्रेता द्वारा निर्दिष्ट परियोजना स्थल

क्रेता किसी निर्दिष्ट स्थल पर परियोजना के स्थान का चयन कर सकता है और इसे क्रेता द्वारा बोली दस्तावेजों में निर्दिष्ट किया जाए। ऐसे मामलों में, विद्युत की समय से आपूर्ति शुरू करना सुनिश्चित करने के लिए, क्रेता और विकासकर्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित कंपनियों द्वारा नीचे दर्शाई गई विभिन्न परियोजना प्रारंभिक एवं कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियाँ समय-सीमा के अनुसार पूरी की जाएं।

लक्ष्य	अंतिम समय सीमा
भूमि और सब-स्टेशन के 100% क्षेत्र की पहचान (भूमि की चारदीवारी के निर्देशांक और सब-स्टेशन का स्थान उपलब्ध कराने के बारे में) - क्रेता द्वारा	निविदा दस्तावेजों में निर्दिष्टानुसार
भूमि की 100% सैद्धांतिक उपलब्धता दर्शाने के लिए दस्तावेजों/करारों का प्रावधान- क्रेता द्वारा	निविदा दस्तावेजों में निर्दिष्टानुसार
निविदा प्रक्रिया	बोलीकर्ता एजेंसी को निविदा दस्तावेजों के जारी होने के 3 माह के भीतर निविदा को अंतिम रूप देने का प्रयास करना चाहिए
बीईएसपीए पर हस्ताक्षर करना	एलओए जारी होने के 30 दिन बाद (निविदा शर्तों पर निर्भर करते हुए आगे बढ़ाया जा सकता है)
भूमि के पट्टे/उपयोगाधिकार करार पर हस्ताक्षर करना	बीईएसपीए पर हस्ताक्षर के साथ-साथ
100% चिन्हित भूमि क्षेत्र (सभी बाधाओं से मुक्त) के कब्जे/उपयोगाधिकार की वन स्वीकृति, यदि लागू हो, सहित स्वीकृति - क्रेता द्वारा	बीईएसपीए पर हस्ताक्षर करने के 60 दिन के भीतर
एसटीयू/सीटीयू (जैसा लागू हो) द्वारा कनेक्टिविटी और खुली पहुँच प्रदान करने के लिए आवेदन - क्रेता/बीईएसएसडी द्वारा सुविधा प्रदान की जानी है/आवेदन किया जाना है	एलओए जारी होने के 30 दिन के भीतर
वित्तीय परिसमापन	इन दिशानिर्देशों की धारा IV के खंड ख के अनुसार
विद्युत की निकासी के लिए सब-स्टेशन की तैयारी - क्रेता द्वारा	संबद्ध पारेषण प्रणाली के मूल एससीओडी के साथ-साथ
यथापेक्षित अन्य विधिक स्वीकृतियाँ - क्रेता द्वारा	एससीडी से 15 दिन पूर्व
निर्धारित चालू होने की तिथि (एससीडी)	इन दिशानिर्देशों की धारा IV के खंड ग के अनुसार

1.5. किसी आरई पार्क में क्रेता द्वारा निर्दिष्ट परियोजना स्थल

क्रेता उचित अवसरचना और सुविधाओं वाले (आरई पार्क) विशिष्ट अंचल में परियोजना के स्थल का चयन कर सकता है और इसे क्रेता द्वारा बोली दस्तावेजों में निर्दिष्ट किया जाए। आरई पार्क का विकास एमएनआरई/केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की गई संबद्ध नीतियों और/अथवा दिशानिर्देशों (उदाहरण के लिए 'सौर पार्कों' के लिए एमएनआरई द्वारा जारी "सौर पार्कों के विकास के लिए दिशानिर्देश") के अनुसार किया जाएगा। इसके होते हुए भी, विद्युत की आपूर्ति समय से शुरू होना सुनिश्चित करने के लिए, क्रेता, आरई पार्क विकासकर्ता और परियोजना विकासकर्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि नीचे दिए हुए अनुसार विभिन्न परियोजना प्रारंभिक एवं कार्यान्वयन संबंधी गतिविधियाँ संबंधित कंपनियों द्वारा इसमें वर्णित समय-सीमा के अनुसार पूरी की जाएं। आरई पार्कों के लिए, ऐसे पार्कों के विकासकर्ता (विकासकर्ताओं) [उदाहरण के लिए 'सौर पार्क' के मामले में सौर विद्युत पार्क

विकासकर्ता (एसपीपीडी)] के उत्तरदायित्व एमएनआरई/केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा ऐसे पार्कों के विकास के लिए जारी संबद्धनीतियों और/अथवा दिशानिर्देशों और कार्यान्वयन सहायक करार, यदि कोई हो, से प्रवाहित होंगे, जो ऐसे पार्क के विकासकर्ता और बीईएसएसडी के बीच संबंध को परिभाषित करता है।

लक्ष्य	अंतिम समय सीमा
भूमि और सब-स्टेशन के 100% क्षेत्र की पहचान (भूमि की चारदीवारी के निर्देशांक और सबस्टेशन का स्थान उपलब्ध कराने के बारे में) – पार्क विकासकर्ता द्वारा	निविदा दस्तावेजों में निर्दिष्टानुसार
बोली प्रक्रिया की शुरुआत में भूमि की 100% सैद्धांतिक उपलब्धता दर्शाने के लिए दस्तावेजों/करारों का प्रावधान-पार्क विकासकर्ता द्वारा	निविदा दस्तावेजों में निर्दिष्टानुसार
निविदा प्रक्रिया	बोलीकर्ता एजेंसी को निविदा दस्तावेजों के जारी होने के 3 माह के भीतर निविदा को अंतिम रूप देने का प्रयास करना चाहिए
बीईएसपीए पर हस्ताक्षर करना	एलओए जारी होने के 30 दिन बाद (निविदा शर्तों पर निर्भर करते हुए आगे बढ़ाया जा सकता है)
भूमि पट्टा करार पर हस्ताक्षर करना	बीईएसपीए पर हस्ताक्षर के साथ-साथ
100% चिन्हित भूमि क्षेत्र (सभी बाधाओं से मुक्त) के कब्जे/उपयोगाधिकार की वन स्वीकृति, यदि लागू हो, सहित स्वीकृति - पार्क विकासकर्ता द्वारा	बीईएसपीए पर हस्ताक्षर करने के 60 दिन के भीतर
पार्क विकासकर्ता को अग्रिम प्रभारों का भुगतान - बीईएसएसडी द्वारा	3 किशतों में भुगतान किया जाना है: भूमि पट्टा करारके हस्ताक्षर करने के साथ 25%। भूमि पट्टा करार पर हस्ताक्षर करने के 30 दिन के भीतर अगला 25% पार्क विकासकर्ता द्वारा चिन्हित 100% भूमि क्षेत्र के कब्जे/उपयोगाधिकार प्रदान करने के समय शेष 50%
एसटीयू/सीटीयू द्वारा कनेक्टिविटी और खुली पहुँच प्रदान करने के लिए आवेदन (मौजूदा विनियमों के अनुसार) – पार्क विकासकर्ता द्वारा सुविधा प्रदान की जानी है/आवेदन किया जाना है	एलओए जारी होने के 30 दिन के भीतर
वित्तीय परिसमापन	इन दिशानिर्देशों की धारा IV के खंड ख के अनुसार
विद्युत की निकासी के लिए सब-स्टेशन की तैयारी -पार्क विकासकर्ता द्वारा	संबद्ध पारेषण प्रणाली के मूल एससीओडी के साथ-साथ
यथापेक्षित अन्य विधिक स्वीकृतियां - पार्क विकासकर्ता द्वारा	एससीडी से 15 दिन पूर्व
निर्धारित चालू होने की तिथि (एससीडी)	इन दिशानिर्देशों की धारा IV के खंड ग के अनुसार

2. बीईएसएसडी द्वारा चयनित परियोजना स्थल

यदि क्रेता स्थल विनिर्दिष्ट नहीं करता है और समय से पूर्णता और विद्युत की आपूर्ति शुरू होना सुनिश्चित करने के लिए परियोजना स्थल का चयन बीईएसएसडी द्वारा किया जाता है, तो बोलीकर्ता के लिए नीचे निर्दिष्ट समय-सीमा के अनुसार परियोजना लक्ष्यों के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा:

लक्ष्य	अंतिम समय सीमा
निविदा प्रक्रिया- बोलीकर्ता एजेंसी द्वारा पूरी की जानी है	बोलीकर्ता एजेंसी को निविदा दस्तावेजों के जारी होने के 3 माह के भीतर निविदा को अंतिम रूप देने का प्रयास करना चाहिए
बीईएसपीए पर हस्ताक्षर करना	एलओए जारी होने के 30 दिन बाद (निविदा शर्तों पर निर्भर करते हुए आगे बढ़ाया जा सकता है)
भूमि संबंधी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और प्रस्तुत करना	परियोजना चालू होने के समय
एसटीयू/सीटीयू (जैसा लागू हो) द्वारा कनेक्टिविटी और खुली पहुँच प्रदान करने के लिए आवेदन	एलओए जारी होने के 30 दिन के भीतर
वित्तीय परिसमापन	इन दिशानिर्देशों की धारा IV के खंड ख के अनुसार
निर्धारित चालू होने की तिथि (एससीडी)	इन दिशानिर्देशों की धारा IV के खंड ग के अनुसार

इसके अतिरिक्त, बीईएसएसडी/क्रेता (जैसा लागू हो), एलओए के जारी होने के 30 दिन के भीतर, आईएनएसटीएस/आईएसटीएस सब-स्टेशन को संयंत्र की कनेक्टिविटी/खुली पहुँच की तकनीकी व्यवहार्यता के लिए सीटीयू/एसटीयू ग्रिड (यथापेक्षित) को कनेक्टिविटी/खुली पहुँच के लिए आवेदन करेगा, जिसे मौजूदा प्रचलित विनियमों के अनुसार प्रक्रियाबद्ध किया जाएगा।

यथाचिन्हित दस्तावेजों के अतिरिक्त, परियोजना के शुरू होने से पहले बीईएसएसडी द्वारा एसटीयू/सीटीयू, जैसा लागू हो, से कनेक्टिविटी के संबंध में, राज्य पारेषण यूटिलिटी (एसटीयू)/केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू), (अथवा चयनित स्थल के आरई पार्क में होने की स्थिति में, आरई विद्युत विकासकर्ता), जैसा लागू हो, से एक पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा। यदि परियोजना स्थल क्रेता/अंतिम क्रेता के राज्य में ही स्थित है, तो राज्य सरकार आईएनएसटीएस/आईएसटीएस सबस्टेशन से संयंत्र की कनेक्टिविटी को सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी।

परियोजना निर्माण के लिए यथापेक्षित परियोजना चालू करने से पहले सभी अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करना पूर्ण रूप से बीईएसएसडी का उत्तरदायित्व होगा और उक्त/ऐसी स्वीकृतियां प्राप्त करने में देरी की स्थिति में क्रेता उत्तरदायी नहीं होगा। इसके निरूपण के संबंध में निविदा दस्तावेजों में सुस्पष्ट प्रावधान उपलब्ध कराए जाएंगे।

ख. बोली संरचना

1. बोली पैकेज

बोलियां भंडारण की कुल क्षमता के अनुसार डिजाइन की जाएंगी। बोलियों के लिए न्यूनतम परियोजना और पैकेज आकार उपर्युक्त खंड-1 के क्रम सं. ख.1 में दर्शाया गया है। तथापि, किफायत के लिए, क्रेता को, बोलीकर्ता को बोली लगाने हेतु अनुमत न्यूनतम परियोजना आकार को, जैसा भी मामला हो, उपर्युक्त निर्दिष्ट सीमा से अधिक निर्दिष्ट करने की अनुमति है। इसके होते हुए भी, भूमि की उपलब्धता और पारेषण सुविधा पर विचार करते हुए, पूर्वोक्त राज्यों, विशेष श्रेणी के राज्यों, और आरई पार्कों के बाहर की परियोजनाओं के मामले में अपेक्षाकृत छोटा बोली आकार रखा जा सकता है। क्रेता, किफायत, भूमि की उपलब्धता, संभावित प्रतिस्पर्धा और बाजार के विकास की आवश्यकता जैसे कारकों पर ध्यान देते हुए इसके सहायकों सहित किसी एकल बोलीकर्ता को आबंटित किए जा सकने वाली अधिकतम क्षमता निर्दिष्ट करने का भी चयन कर सकता है।

2. बोली मानदंड

क्रेता बीईएसएस क्षमता के अनुसार क्रय के लिए बोलियां बोलियां आमंत्रित कर सकता है। क्षमता क्रय में व्यवस्था होगी कि क्रेता भंडारण क्षमता की उपलब्धता के लिए भुगतान करेगा। तदनुसार, बोली मानदंड निम्नानुसार होंगे।

क. करार की शर्तों के अनुसार उपलब्धता आधारित निश्चित प्रभार/वार्षिकी (आईएनआर प्रति किलावाट (अथवा प्रति मेगावाट) प्रति वर्ष (अथवा प्रति माह)

ख. किसी पूर्व निर्दिष्ट निश्चित टैरिफ/निर्दिष्ट वार्षिकी के लिए बोलीकर्ता द्वारा अपेक्षित बीजीएफ सहायता की मात्रा।

बोलीकर्ता एजेंसी आरएफएस में, बीईएसएस अनुप्रयोग तथा क्रेता की कुल खरीद की व्यवस्थाओं पर निर्भर करते हुए, कोई एक बोली मानदंड निर्दिष्ट कर सकता है, जिसे आरएफएस में निर्दिष्ट किया जाएगा।

बीईएसपीए का न्यूनतम कार्यकाल 8 वर्ष होने की परिकल्पना की गई है जिसे क्रय की आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया जा सकता है।

ग. बोली प्रक्रिया

1. क्रेताएकल मंच, द्विभाग (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली), बोली प्रक्रिया अपनाने का प्रस्ताव कर सकता है, बोली प्रक्रिया वरीयतः इलेक्ट्रॉनिक मोड (ई-बोली) के माध्यम से संचालित की जानी है। तकनीकी बोली को पहले खोला जाएगा। केवल उन बोलीकर्ताओं की वित्तीय बोली को खोला जाएगा, जो तकनीकी बोली के मूल्यांकन चरण में योग्य पाए गए हों। क्रेता सफल बोलीकर्ताओं के चयन के लिए ई-रिवर्स नीलामी करेगा, जिसका बोली आमंत्रण सूचना और बोली दस्तावेज में विशेष उल्लेख किया जाएगा। सफल ट्रेड रिकॉर्ड और पर्याप्त सुरक्षा, संरक्षा और गोपनीयता विशेषताओं वाले ई-प्रापण प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। आरई पार्क विशिष्ट परियोजना के मामले में, क्रेता द्वारा आरई विद्युत पार्क विकासकर्ता को बोली प्रक्रिया आरंभ होने के बारे में सूचना दी जाएगी, जो सभी आवश्यक भूमि एवं अवसंरचना संबंधी ब्यौरे उपलब्ध कराते हुए बोली प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेगा।
2. क्रेता, इन दिशानिर्देशों के अनुसार, बोलीकर्ताओं को बीईएसएस आधारित परियोजनाओं के संस्थापन के लिए आरएफएस में भाग लेने हेतु आमंत्रित करेगा।
3. क्रेता द्वारा इन दिशानिर्देशों के अनुरूप आरएफएस, बीईएसपीए प्रारूप और बीईएसए प्रारूप (यदि लागू हो) सहित बोली दस्तावेज तैयार किए जाएंगे। यदि परियोजना आरई पार्क में स्थापित की जानी अपेक्षित है, क्रेता बोलीकर्ताओं को कार्यान्वयन सहायता करार और भूमि संबंधी करारों के प्रारूप दिखाने की व्यवस्था भी करेगा।
4. क्रेता व्यापक प्रचार के लिए आरएफएस सूचना को केंद्रीय/राज्य लोक प्रापण पोर्टल और/अथवा इसकी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।
5. क्रेता प्रत्याशित बोलीकर्ताओं को बोली पूर्व वार्तालाप का अवसर प्रदान करेगा और किसी भी बोलीकर्ता को निविदा दस्तावेजों की लिखित व्याख्या उपलब्ध कराएगा जिसे सभी अन्य बोलीकर्ताओं को भी उपलब्ध कराया जाएगा। सभी संबंधित पक्षकार पूर्ण रूप से लिखित संप्रेषण पर ही भरोसा करेंगे। बोली दस्तावेजों के किसी स्पष्टीकरण अथवा संशोधन को पर्याप्त सूचना के लिए क्रेता की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। बोली दस्तावेजों के किसी संशोधन अथवा परिशोधन को जारी करने की स्थिति में, बोलीकर्ताओं को बोलियां प्रस्तुत करने के लिए उस समय से कम से कम 7 दिन की अवधि उपलब्ध कराई जाएगी।

घ. चयन हेतु अनुरोध (आरएफएस) दस्तावेज

क्रेता द्वारा आरएफएस में उपलब्ध कराए जाने वाले मानक प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

1. बोली प्रतिक्रियाशीलता

बोली का मूल्यांकन तब ही किया जाएगा यदि यह प्रतिक्रियाशील है और अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करती है:

क. बोलीकर्ता अथवा उसके किसी सहयोगी को जानबूझकर किसी ऋणदाता का चूककर्ता नहीं होना चाहिए;

- ख. किसी कंसोर्टियम सदस्य तथा इसके किसी सहायक सहित बोलीकर्ता और उसके किसी सहायक, उनके निदेशकों को भारत में किसी सरकारी एजेंसी अथवा प्राधिकरण, बोलीकर्ता अथवा सदस्यों के न्यायाधिकार, जहां उन्हें निगमित किया गया है अथवा उनके व्यापार के मुख्य स्थान के न्यायाधिकार की सरकार, विश्व बैंक समूह, एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक, अंतर-अमेरिकी विकास बैंक, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक इत्यादि जैसी किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था अथवा संयुक्त राष्ट्र अथवा इसकी किसी अन्य एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया हो या ब्लैक लिस्ट में शामिल नहीं किया गया हो।

2. बोलीकर्ताओं द्वारा पूरी की जाने वाली योग्यता अपेक्षाएं

- क) सामान्य अर्हता मानदंड: इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत निविदाओं में भाग लेने वाले बोलीकर्ताओं को निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी का होना चाहिए:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कोई कंपनी।
- (ii) संबंधित राष्ट्र के कानूनों के अंतर्गत कोई विदेशी कंपनी।
- (iii) सेबी के अंतर्गत यथापंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधियां (एआईएफ)। "एआईएफ" सेबी द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार होंगे।
- (iv) उपर्युक्त कंपनियों का कोई कंसोर्टियम।

उपर्युक्त समय-समय पर यथासंशोधित भारत सरकार के संबद्ध अधिनियमों, नियमों, दिशानिर्देशों, आदेशों तथा नीति दस्तावेजों के अधीन होंगे।

- ख) तकनीकी अर्हता मानदंड: सरकार प्रतिभागिता बढ़ाते हुए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने की इच्छुक होगी। तथापि, परियोजनाओं के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, क्रेता बोलीकर्ताओं के पूर्व अनुभव, अवसंरचना परियोजनाओं के समय से निर्माण आदि जैसे तकनीकी अर्हता मानदंडों को निर्दिष्ट करने का चयन कर सकता है। ऐसे मानदंड उन परियोजना विकासकर्ताओं की संख्या के मूल्यांकन के बाद निर्धारित किए जाएंगे जिनसे इन मानदंडों को पूरा किया जाना अपेक्षित है ताकि प्रतिस्पर्धा का पर्याप्त स्तर प्राप्त किया जा सके। तकनीकी मानदंडों की पूर्ति के लिए निर्धारित अंतिम तिथि को आम तौर पर बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के रूप में रखा जाना चाहिए।

ग) वित्तीय अर्हता मानदंड:

- i. प्रबंधन के अंतर्गत निवल मूल्य/परिसंपत्ति (एयूएम) अथवा निवेश योग्य निधियां: क्रेता योग्यता अपेक्षाओं के भाग के रूप में निवल मूल्य के रूप में वित्तीय मानदंडों को निर्दिष्ट करेगा। निवल मूल्य अपेक्षा बोलियां जारी किए जाने वाले वित्तीय वर्ष के लिए परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत का कम से कम 20% (बीस प्रतिशत) होना चाहिए। परियोजना की अनुमानित पूंजी लागत बोलीकर्ता एजेंसी द्वारा निर्धारित की जाएगी। बोलीकर्ता के सेबी पंजीकृत एआईएफ होने की स्थिति में, क्रेता/मध्यवर्ती क्रेता द्वारा यथानिर्णीत न्यूनतम अपेक्षा सहित प्रबंधन के अंतर्गत परिसंपत्तियों (एयूएम) के संचयी मूल्य को वित्तीय अर्हता मानदंड के भाग के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। इस संदर्भ में, एयूएम का अभिप्राय एआईएफ के सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा यथाप्रमाणित राशि से होगा।

उपर्युक्त कार्य के लिए विचार किए जाने वाले एयूएम का निवल मूल्य/मूल्य बोलीकर्ता कंपनी/एआईएफ अथवा कंसोर्टियम सदस्यों का संचयी निवल मूल्य होगा। एआईएफ के मामले को छोड़कर, आरएफएस के अनुसार निवल मूल्य मानदंडों को पूरा करने के उद्देश्य के लिए बोलीकर्ता अपनी संबद्ध कंपनी (कंपनियों) की वित्तीय क्षमता के आधार पर अर्हता की मांग कर सकता है। बोलीकर्ता के कोई बोलीकर्ता कंसोर्टियम होने की स्थिति में, कोई सदस्य अपनी सहायक कंपनी (कंपनियों) की वित्तीय क्षमता के आधार पर उपर्युक्त मानदंडों को पूरा कर सकता है। दोनों ही स्थितियों में, बोलीकर्ता (बोलीकर्ताओं) के आरएफएस के अनुरूप ऐसा करने में विफल रहने की स्थिति में ऐसी सहायक कंपनियां अपेक्षित इक्विटी वित्तपोषण और निष्पादन बैंक गारंटी का योगदान करने का वचन देंगे।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खंड के लिए विचार किये जाने वाला निवल मूल्य कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार गणना किया गया कुल निवलमूल्य होगा, और इस खंड के अंतर्गत विचार किए जाने वाला एयूएम अथवा निवेश योग्य निधियों कीलागू सेबी (एआईएफ) विनियमों के अनुसार गणना की जाएगी।

निविदाओं में तकनीकी और वित्तीय अर्हता मानदंडों को पूरा करने के सीमित उद्देश्य के लिए, बोलीकर्ता कंपनी में 50% से अधिक शेयर धारण करने वाली सहायक कंपनियों के प्रमाण-पत्रों का प्रयोग करने के अतिरिक्त, बोलीकर्ता निम्नलिखित के अधीन, बोलीकर्ता कंपनी का 50% से अधिक नियंत्रण नहीं करने वाली सहायक कंपनियों के प्रमाण-पत्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं:

क. इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जिस कंपनी के प्रमाण-पत्रों का प्रयोग किया जा रहा है, उनके इक्विटी योगदान के आनुपातिक रूप में अर्हता मानदंड पैरामीटरों की पूर्ति की जाएगी। उदाहरण के लिए, निवल मूल्य अपेक्षा 100 करोड़ रुपये होने और बोलीकर्ता में कुल 30% की शेयरधारिता के स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की शक्ति का प्रयोग किए जाने की स्थिति में, कथित सहायक कंपनी को निवल मूल्य के 30 करोड़ रुपये तक की पूर्ति करने में सक्षम होना चाहिए।

ख. अर्हता मानदंडों को पूरा करने के लिए प्रयोग की गई सहायक कंपनी की शक्ति के मामले में, संबंधित सहायक कंपनी के शेयरधारिता पैटर्न को परियोजना के सीओडी तक अवरुद्ध कर दिया जाएगा।

- ii. लिक्विडिटी: आवश्यक है कि बोलीकर्ता के पास परियोजना की निधि आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए पर्याप्त नकद प्रवाह/आंतरिक जमा/बैंक संदर्भ हों। क्रेता वार्षिक कारोबार, पीवीडीआईटी, आंतरिक संसाधन सृजन, बैंक संदर्भों/ऋण व्यवस्था आदि जैसे उपयुक्त मानदंड भी निर्धारित कर सकता है।

ड. बोली प्रस्तुत करना और मूल्यांकन

1. कंसोर्टियम के गठन की अनुमति होगी, ऐसे मामले में कंसोर्टियम एक अग्रणी सदस्य को चिन्हित करेगा जो बोली प्रक्रिया के दौरान सभी लिखापट्टी के लिए संपर्क बिंदु होगा।
2. बोलीकर्ता एजेंसी निविदा दस्तावेजों में, बोलीकर्ताओं के लिए उपयुक्त तकनीकी और वित्तीय अर्हता मानदंड निर्दिष्ट करेगी।
3. क्रेता बोलियों के मूल्यांकन के लिए कम से कम तीन सदस्यों की एक समिति (मूल्यांकन समिति) गठित करेगा जिसमें से कम से कम एक सदस्य वित्तीय मामलों/बोली मूल्यांकन का विशेषज्ञ होगा।
4. बोलीकर्ता को आरएफएस में यथानिर्दिष्ट अप्रतिदेय प्रक्रिया शुल्क और/अथवा सफलता शुल्क जमा करना होगा।
5. बोलीकर्ताओं को तकनीकी और मूल्य बोलियां अलग-अलग जमा करनी होंगी। बोलीकर्ताओं को बोलियों के साथ ईएमडी के रूप में आवश्यक बोली-गारंटी भी प्रस्तुत करनी होगी।
6. तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि प्रस्तुत की गई बोलियां आरएफएस दस्तावेज में सभी मूल्यांकन पैरामीटरों पर निर्धारित अर्हता मानदंडों को पूरा करती हैं। केवल आरएफएस में निर्धारित मूल्यांकन मानदंडों को पूरा करने वाली बोलियों पर ही मूल्य बोलियों के संबंध में आगे मूल्यांकन हेतु विचार किया जाएगा।
7. प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए, अर्हता प्राप्त बोलीकर्ताओं की न्यूनतम संख्या दो होनी चाहिए। यदि बोली लगाने के तीन प्रयासों के बाद भी अर्हता प्राप्त बोलीकर्ताओं की संख्या 2 से कम होती है, और क्रेता अभी भी बोली प्रक्रिया में बने रहना चाहता है, तो उपयुक्त आयोग की सहमति से ऐसा किया जा सकता है।
8. यदि बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई बोली में निविदा शर्तों से कोई विचलन होता है, तो मूल्य बोली को रद्द कर दिया जाएगा।
9. **बोलियों के मूल्यांकन के लिए क्रेता द्वारा अपनाई जाने वाली बोली मूल्यांकन विधि:** बोली पैरामीटर के बढ़ते क्रम में बोलियों की रैंकिंग के माध्यम से उपर्युक्त खंड ख2 पर दिए गए पैरामीटरों के अनुसार बोलियों का मूल्यांकन किया जाएगा। बोलीकर्ता एजेंसी परियोजनाओं के अवार्ड के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलामी करेगा।

10. आरएफएस में बोली के मूल्यांकन और सफल बोलीकर्ता (बोलीकर्ताओं) के चयन की विस्तृत प्रक्रिया उपलब्ध कराई जाएगी।

च. बोली प्रक्रिया के लिए सांकेतिक समय सारिणी

बोली प्रक्रिया क्रेता द्वारा आरएफएस को जारी किए जाने की तिथि के 3 माह के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। स्पष्ट किया जाता है कि यदि क्रेता घटना के पहले पूरा करने हेतु अपेक्षित गतिविधियों को प्राप्त करने में देरी के कारण, अथवा किसी अन्य कारण से बोली प्रक्रिया में किसी घटना के लिए, समय विस्तार देता है तो ऐसा समय विस्तार किसी भी प्रकार से इन दिशानिर्देशों से विचलन नहीं माना जाएगा।

छ. अनुबंध अवाई और समापन

1. बोली प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, बोलियों के मूल्यांकन के लिए गठित मूल्यांकन समिति बोलियों का समीक्षात्मक रूप से मूल्यांकन करेगी और यथोचित प्रमाणित करेगी कि बोली प्रक्रिया और मूल्यांकन इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप संचालित किया गया है।
2. बीईएसपीए पर सफल बोलीकर्ता/परियोजना कंपनी अथवा सफल बोलीकर्ता द्वारा गठित किसी एसपीवी के साथ हस्ताक्षर किए जाएंगे।
3. बीईएसपीए बीईएसएसडी और क्रेता के बीच निष्पादित किया जाएगा। मध्यवर्तीक्रेता की संबद्धता की स्थिति में, बीईएसपीए बीईएसएसडी और मध्यवर्तीक्रेता के बीच निष्पादित किया जाएगा और बीईएसएसए मध्यवर्तीक्रेता और अंतिम क्रेता के बीच निष्पादित किया जाएगा। बीईएसएसए पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद वरीयतः तुरंत बीईएसपीए पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
4. मध्यवर्तीक्रेता विकासकर्ता (विकासकर्ताओं) के साथ बैटरी भंडारण क्रय करार (बीईएसपीए)/विद्युत क्रय करार करेगा और वितरण लाइसेंसधारक (लाइसेंसधारकों)/उपभोक्ता (उपभोक्ताओं) के साथ बैटरी भंडारण विक्री करार (बीईएसएसए)/विद्युत विक्रय करार करेगा। बीईएसएसए में बीईएसपीए के संबद्ध प्रावधानबैक-टू-बैक आधार पर निहित होंगे। मध्यवर्तीक्रेता ऐसी ऊर्जा/क्षमता के क्रय और विक्रय के लिए क्रेता कंपनी/क्रेता सेसात पैसे/किलोवाट घंटा अथवा क्षमता प्रभारों (यथा लागू) के 0.5% केव्यापार मार्जिन को प्रभारित करने का हकदार होगा।
5. मध्यवर्तीक्रेता बीईएसएस के प्रापण के लिए जब तक इन दिशानिर्देशों का पालन करता है, तब तक ऐसा माना जाएगा कि ऐसी विद्युत के प्रापण के लिए अंतिम क्रेताने इन दिशानिर्देशों का पालन किया है। कुछ राज्यों में वितरण लाइसेंसधारियों के लिए विद्युतप्रापण को होल्लिंग कंपनी अथवा किसी अन्य सरकारी एजेंसी के माध्यम से केंद्रीकृत किया गया है। ऐसी कंपनियों/एजेंसियों को इन दिशानिर्देशों के उद्देश्यों के लिए मध्यवर्ती क्रेता नहीं अपितुक्रेता माना जाएगा।
6. बीईएसपीए पर हस्ताक्षर करने में, एलओए जारी करने की तिथि अथवा बोलीकर्ता एजेंसी और सफल बोलीकर्ताओं के बीच पारस्परिक सहमति के अनुसार किसी अन्य विस्तारित तिथि से 6 माह से अधिक की देरी के मामले में, अवाई की गई क्षमता रद्द कर दी जाएगी। कुछ मामलों में उपर्युक्त अंतिम समय-सीमा के बाद, यदि बीईएसपीए पर हस्ताक्षर होने के लिए अर्ह संचयी क्षमता निविदा के अंतर्गत अवाई की गई संचयी क्षमता से कम रहती है, तो आगे की कार्रवाई का निर्णय बोलीकर्ता एजेंसी द्वारा लिया जाएगा, जिसे निविदा दस्तावेज में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा।
7. पारदर्शिता के उद्देश्य से, बीईएसपीए के निष्पादन के बाद, क्रेता सफल बोलीकर्ता (बोलीकर्ताओं) के नाम उनके द्वारा उद्धृत टैरिफ/प्रभारों का उनके घटकों के विवरण, यदि कोई हों, सहित सार्वजनिक रूप से प्रकट करेगा। यह सार्वजनिक प्रकटन क्रेता की वेबसाइट पर कम से कम 30 (तीस) दिन के लिए अपेक्षित व्यौरों को पोस्ट करते हुए किया जाएगा।
8. अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, वितरण लाइसेंसधारी अथवामध्यवर्तीक्रेता, जैसा भी मामला हो, को सफला बोलीकर्ता (बोलीकर्ताओं) को अवाई पत्र जारी किए जाने के 30 दिन के भीतर गणना किए गए टैरिफ (क्षमता प्रभारों सहित, यदि लागू हो) और क्रय की जाने वाली क्षमता/विद्युत की मात्रा के अधिग्रहण के लिए

उपयुक्त आयोग से संपर्क करना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां टैरिफ (क्षमता प्रभारों सहित, यदि लागू हो) को अपनाने की प्रक्रिया में इसके साथ हस्ताक्षरित बीईएसपीए को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो, तो उपर्युक्त समय-सीमा को पर्याप्त रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है।

9. कुछ मामलों में, मध्यवर्तीक्रेता/क्रेता दो-भाग वाले टैरिफ के घटक के रूप में निश्चित मूल्य भी निर्धारित कर सकता है। ऐसे मामलों में, टैरिफ के उपर्युक्त निश्चित भागके लिए उपयुक्त आयोग द्वारा किसी टैरिफ अभिग्रहण की आवश्यकता नहीं है, और इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत लागू माना जाएगा।
10. अंतिम क्रेता/मध्यवर्ती क्रेता द्वारा टैरिफ के अभिग्रहण के लिए उपयुक्त आयोग से संपर्क करने के बाद, यदि उपयुक्त आयोग बीईएसपीए की प्रभावी तिथि से 120 दिन के भीतर इस पर निर्णय नहीं लेता है तो क्रेता उपयुक्त आयोग द्वारा अभिग्रहण में देरी के अनुरूप (बीईएसपीए की प्रभावी तिथि के 120 दिन बाद), उपयुक्त आयोग द्वारा अभिग्रहण की तिथि तक वित्तीय परिसमापन की अंतिम समय-सीमा और बीईएसएसडी की निर्धारित चालू होने की तिथि में उपयुक्त समय विस्तार प्रदान करेगा।

ज. बैंक गारंटियां/भुगतान आदेश दस्तावेज/वचन पत्र

1. बीईएसएसडी आरएफएस और बीईएसपीए की शर्तों के अनुसार, क्रेता को निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराएगा:

क. बयाना राशि (ईएमडी), क्रेता द्वारा निर्धारित की जानी है, किन्तु उस वित्तीय वर्ष के लिए जिसमें बोलियां आमंत्रित की गई हैं, परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत के 2% (दो प्रतिशत) से अधिक नहीं हो, इसे आरएफएस के उत्तर के साथ प्रस्तुत किया जाना है। बोलीकर्ता एजेंसी/क्रेता के पास विकल्प होगा कि वह उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित अधिसूचनाओं/सरकारी संकल्पों पर उचित विचार करते हुए, निम्नलिखित रूप में, ईएमडी को स्वीकार करने के तरीके/रूप निर्दिष्ट करे:

i. बैंक गारंटी;

अथवा

- ii. इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार अथवा राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित किसी एजेंसी से, बीईएसपीए की शर्तों के अनुसार बीईएसएसडी के चूक की स्थिति उत्पन्न होने पर बोलीकर्ताओं द्वारा "भुगतान आदेश दस्तावेज"/भुगतान हेतु वचन-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बीईएसएसडी के निर्धारित समयावधि के भीतर बीईएसपीए निष्पादित करने में विफल रहने की स्थिति में इन दिशानिर्देशों में यथापरिभाषित ईएमडी की जब्ती अथवा ब्लैकलिस्टिंग अथवा विवर्जन आदि कर दिया जाएगा।

"भुगतान आदेश दस्तावेज" से यदि निविदा दस्तावेजों और/अथवा बैटरी भंडारण क्रय करार (बीईएसपीए) के अनुसार बैटरी भंडारण प्रणालीविकासकर्ता (बीईएसएसडी) की चूक की स्थिति उत्पन्न होती है तो भुगतान के लिए, इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार अथवा राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित किसी एजेंसी से वचन पत्र अभिप्रेत है। इस पत्र का वही प्रभाव होगा जो किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी का होता है। ऐसे "भुगतान आदेश दस्तावेज" के निबंधन एवं शर्तें वही होंगी जो किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की किसी बैंक गारंटी में दी जाती हैं और इसमें क्रेता को निर्धारित समय के भीतर मांग करने पर भुगतान करने का वचन दिया जाएगा। बीईएसएसडी उपर्युक्त वर्णित तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को उचित प्रतिभूति देकर ऐसे पत्रों की मांग कर सकता है। क्रेता उपर्युक्त अधिसूचित संस्थानों को छोड़कर किसी अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था अथवा बैंक से उपर्युक्त वर्णित अनुसार अथवा किसी अन्य रूप में "वचन पत्र" के दस्तावेज स्वीकार नहीं करेगा।

- ख. निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी), क्रेता द्वारा निर्धारित की जानी है, किन्तु जिस वित्तीय वर्ष में बोलियां आमंत्रित की गई हैं, उसके लिए परियोजना लागत के 5% (पांच प्रतिशत) से अधिक नहीं हो, इसे बीईएसपीए पर हस्ताक्षर होने के समय प्रस्तुत किया जाना है। बोलीकर्ता एजेंसी/क्रेता के पास विकल्प होगा कि वह उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित अधिसूचनाओं/सरकारी संकल्पों पर उचित विचार करते हुए, निम्नलिखित रूप में, ईएमडी को स्वीकार करने के तरीके/रूप निर्दिष्ट करे:

- i. बैंक गारंटी;
अथवा
 - ii. इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार अथवा राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर यथाअधिसूचित किसी एजेंसी से, बैटरी ऊर्जा भंडारण क्रय करार (बीईएसपीए) की शर्तों के अनुसार बीईएसएसडी के चूक की स्थिति उत्पन्न होने पर बोलिकर्ताओं द्वारा “भुगतान आदेश दस्तावेज”/भुगतान हेतु वचन-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. अन्य उपचारों के अतिरिक्त, बीईएसपीए के अनुसार बीईएसएसडी की किसी क्षति/बकायों की वसूली के लिए पीबीजी (इन दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराए गए इसके किसी अन्य विकल्प) को नकदीकृत किया जा सकता है। स्पष्ट किया जाता है कि बीईएसपीए के अंतर्गत बीईएसएसडी की चूक होने पर, मध्यवर्ती क्रेता द्वारा पीबीजी को नकदीकृत कर वसूल किए गए क्षतियों/बकायों को इन दिशानिर्देशों के खंड छ, धारा IV के अंतर्गत मध्यवर्ती क्रेता द्वारा अनुरक्षित भुगतान सुरक्षा निधि में जमा किया जाएगा। निर्णीत क्षतियों (यदि कोई हों) की कटौती के बाद पीबीजी (इन दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराए गए इसके किसी अन्य विकल्प) को परियोजना के चालू होने के 45 दिन के भीतर वापस लौटा दिया जाएगा। तथापि, क्रेता/मध्यवर्ती क्रेता ऐसी अवधि में वृद्धि का चयन कर सकता है, जो सीओडी से 15 माह से अधिक नहीं होगी और बोली दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा। आंशिक रूप से चालू होने की स्थिति में, चालू हुई आंशिक क्षमता के अनुरूप पीबीजी/भुगतान आदेश दस्तावेज को भी, बोली दस्तावेजों में यथानिर्दिष्ट समयावधि के भीतर, निर्णीत क्षतियों (यदि कोई हों) की कटौती के बाद जारी कर दिया जाएगा। पीबीजी/भुगतान आदेश दस्तावेज के नकदीकरण के विकल्प के रूप में, क्रेता/मध्यवर्ती क्रेता बीईएसएसडी को संबंधित पीबीजी/भुगतान आदेश दस्तावेज को किसी नकदीकरण के बिना जारी करने के लिए बीईएसएसडी को क्रेता/मध्यवर्ती क्रेता को डीडी/इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के माध्यम से अपेक्षित राशि के भुगतान का विकल्प भी दे सकता है।
 3. यदि बीईएसपीए के अनुसार उत्पन्न बीईएसएसडी की चूक की स्थिति में भुगतान के लिए बीईएसएसडी किसी परियोजना की 'निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी)' के रूप में बीईएसएसडी द्वारा प्रस्तुत की गई बैंक गारंटियों को खंड ज.1.ख.iii के अनुसार “भुगतान आदेश दस्तावेज”/वचन पत्रों से बदल सकता है तो क्रेता द्वारा इसे जारी किया जा सकता है। बीईएसएसडी क्रेता के साथ पहले से रखी गई अपनी बैंक गारंटी के प्रतिस्थापन के लिए अधिसूचित एजेंसियों को उचित सुरक्षा प्रदान करते हुए ऐसे पत्रों की मांग कर सकता है।

I. तकनीकी विनिर्देशन:

प्रौद्योगिकी जोखिम को कम करने और परियोजनाओं को चालू कर सकने के लिए क्रेता व्यावसायिक रूप से स्थापित और प्रचालनात्मक प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देंगे। इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत शामिल और चयन की जाने वाली आरई परियोजनाओं के प्रकार के लिए विस्तृत तकनीकी मानदंड, समय-समय पर विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट किए जाएंगे। तकनीकी विनिर्देशनों सांकेतिक सूची इन दिशानिर्देशों के परिशिष्ट-2 में दी गई है।

खंड IV: परियोजना का कार्यान्वयन

क. बैटरी भंडारण क्रय करार (बीईएसपीए)

बीईएसपीएके मसौदे को सफल बोलीदाता के साथ शामिल करने का प्रस्ताव है और बीईएसएसएके मसौदे को (यदि लागू हो) आरएफएसके साथ जारी किया जाएगा। इस बीईएसपीए के हिस्से के रूप में शामिल किए जाने वाले मानक प्रावधानों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे, जो, जब तक कि यहां अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, बीईएसएसएमें बैक-टू-बैक आधार पर प्रदान किया जाएगा।

1. बीईएसपीए की अवधि

प्रतिस्थापन के बिना उपयोग किए जा रहे बैटरी प्रणालियों के वर्तमान में प्रचलित जीवन चक्र को देखते हुए, बीईएसपीए अवधि की न्यूनतम समय सीमा निर्धारित कमीशनिंग तिथि (एससीडी) से 8 (आठ) वर्ष या परियोजना के पूर्ण चालू होने की तिथि, जो भी बाद में हो, होनी चाहिए। यदि भूमि और बुनियादी ढांचे के स्वामित्व वाली एजेंसियों, संबंधित ट्रांसमिशन यूटिलिटीज और सिस्टम ऑपरेटरों के साथ व्यवस्थाएं प्रदान करती हैं तो बीईएसएसडी

बीईएसपीए अवधि की समाप्ति के बाद संयंत्रों को संचालित करने के लिए स्वतंत्र है। एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में जहां खरीददार द्वारा परियोजना स्थल को या तो आरई पार्क में स्थित होने के लिए निर्दिष्ट किया गया है या अन्यथा, दिशानिर्देशों के अनुभाग III के खंड क.1.1.4 और क.1.1.5 के अनुसार जमीन की व्यवस्था करने के लिए खरीदारों की जिम्मेदारी बीईएसपीए अवधि के लिए सीमित होगी।

2. परियोजना के निष्पादन मानदंड

विद्युत की खरीद या तो क्षमता (किलोवाट/मेगावाट) और/या ऊर्जा (केवीएच/एमवीएच) शर्तों में हो सकती है।

क) बोली दस्तावेज उपलब्धता, चार्जिंग/डिस्चार्जिंग दर, दक्षता, रैंप दर इत्यादि जैसे निष्पादन मानदंडों को निर्दिष्ट कर सकते हैं। उपलब्धता के मामले में निविदा में निष्पादन पैरामीटर होने के नाते, अंतिम खरीददार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, बीईएसएस द्वारा बनाए रखा जाने वाला न्यूनतम उपलब्धता आरएफएस में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। इसके अलावा, निविदा के तहत परिकल्पित बीईएसएस के विशिष्ट उपयोग के आधार पर, बीईएसएसडी को न्यूनतम मासिक और / या वार्षिक उपलब्धता आवश्यकताओं को पूरा करने, या डे-अहेड आधार पर उपलब्धता की घोषणा करने की आवश्यकता हो सकती है। पूरा किए जाने वाले न्यूनतम उपलब्धता मानदंड भी दिन में निर्दिष्ट घंटों/दिन में व्यस्ततम घंटों तक सीमित हो सकते हैं, जिस पर ऐसे मानदंडों को पूरा करने में कमी की गणना की जाएगी। भंडारण के घंटे और निष्पादन मानदंड खरीददार द्वारा तय किए जा सकते हैं।

ख) क्षमता की खरीद (मेगावाट) और ऊर्जा के लिए शेड्यूलिंग

यदि विभिन्न समय ब्लॉकों में ऊर्जा के शेड्यूलिंग के लिए खरीद की जाती है तो खरीददार "बीईएसएसडी द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम उपलब्धता और खरीददार द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम कुल खरीद ऊर्जा अनुसूची" में स्पष्ट शर्तों के साथ क्षमता का उल्लेख करेगा। ऐसी परियोजनाओं में न्यूनतम कुल खरीद और उपलब्धता अनुबंधित क्षमता के "xx%" से कम नहीं होनी चाहिए।

- उपलब्धता आधारित क्षमता प्रभार: खरीददार द्वारा ऊर्जा के शेड्यूलिंग के बावजूद, खरीददार बीईएसएसडी द्वारा उपलब्ध कराई गई क्षमता के लिए क्षमता प्रभार का भुगतान करेगा।
- यदि बीईएसएस से खरीददार द्वारा शुल्क लिया जाता है, तो बीईएसएसडी पूर्व-निर्दिष्ट रूपांतरण हानियों के लिए लेखांकन के बाद ऊर्जा वापस वितरित करेगा।
- यदि बीईएसएसडी द्वारा ऊर्जा भी प्रदान की जाती है, तो आपूर्ति की गई ऊर्जा के लिए भी खरीददार को पूर्व-उद्धृत ऊर्जा प्रभार का भुगतान करना होगा। हालांकि, खरीददार विद्युत की न्यूनतम मासिक और वर्ष में कुल खरीद की गारंटी का आश्वासन देगा।
- निर्धारित प्रभार: बीईएसएसडी द्वारा प्रस्तावित और खरीददार द्वारा शेड्यूल की गई उपलब्धता के बीच ऊर्जा के अंतर के लिए, खरीददार को पूर्व-निर्धारित निश्चित प्रभार का भुगतान करना होगा जिसे टैरिफ के xx% के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उपरोक्त प्रावधानों में "xx%" बोली दस्तावेजों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

ग) निष्पादन मानदंडों को पूरा करने में कमी के कारण परिसमापन नुकसान: निष्पादन मानदंडों के मुकाबले कमियों के लिए परिसमापन हर्जाना देय होगा, राशि निम्नानुसार होगी:

- (i) प्रतिबद्ध क्षमता उपलब्धता से नीचे कमी के लिए यथानुपात आधार पर क्षमता शुल्क या आरएफएस में पूर्वनिर्धारित किसी भी संख्या की दर पर।
- (ii) आरएफएस में पूर्वनिर्धारित टैरिफ या किसी भी संख्या पर प्रतिबद्ध ऊर्जा की आपूर्ति में कमी के लिए यथानुपात आधार पर।
- (iii) बीईएसएसडी गारंटीकृत पैरामीटर से अधिक ऊर्जा हानि के लिए भुगतान करेगा (जैसा कि आरएफएस दस्तावेज़ में निर्धारित है) @ आरएफएस में पूर्वनिर्धारित किसी भी संख्या या खरीददार द्वारा प्रदान की गई इनपुट ऊर्जा का टैरिफ।
- (iv) किसी भी निष्पादन विचलन के लिए, सहायक सेवाओं के मापदंडों से संबंधित, आरएफएस में खरीददार द्वारा परिभाषित पूर्वनिर्धारित परिसमापन नुकसान वसूला जाएगा।

(v) आरएफएस दस्तावेज में यथापरिभाषित कोई अन्य परिसमापन नुकसान

घ) बोली दस्तावेजों या बीईएसपीए या बीईएसएसए में विनिर्दिष्ट परिसमापन नुकसान की राशि वास्तविक और नुकसान का उचित पूर्व-अनुमान है जो कि खरीददार/मध्यस्थ खरीददार (रों) को हो सकता है।

3.पुनःपूर्ति

बीईएसएसडीज निष्पादन मानदंडों को पूरा करने के लिए अपनी लागत और खर्च पर बीईएसपीए अवधि के दौरान समय-समय पर बैटरी क्षमता को फिर से भरने के लिए स्वतंत्र होंगे। तथापि, खरीददार केवल बीईएसपीए में निर्दिष्ट निष्पादन सीमा के भीतर और मौजूदा समझौतों के अनुसार लागू शुल्क पर बिजली खरीदने के लिए बाध्य होगा। अतिरिक्त आपूर्ति (यदि कोई हो) के प्रबंध के प्रावधान अंतिम खरीददार/मध्यस्थ खरीददार द्वारा जारी किए जाने वाले बोली दस्तावेजों में निर्दिष्ट किए जाएंगे। नियमानुसार मुआवजा/भुगतान में परिवर्तन केवल अनुबंधित क्षमता तक ही सीमित होगा।

ख.वित्तीय समापन

1. बीईएसडीए को बीईएसपीए के संदर्भ में वित्तीय समापन निर्धारित समयावधि में करना होगा जो बैटरी ऊर्जा भंडारण क्रय करार हस्ताक्षर होने की तारीख से 12 माह है। तथापि, यदि किसी कारण से, वित्तीय समापन करने की समयावधि इन दिशानिर्देशों में प्रदान की गई अवधि से कम करने की आवश्यकता होती है, तो खरीददार ऐसा कर सकता है।
2. उपरोक्त में विफल रहने पर, खरीददार/मध्यस्थ खरीददार पीबीजी/पीओआई का तब तक लाभ उठाएगा जब तक कि खरीददार द्वारा इन दिशानिर्देशों के भाग III के खंड 1.1.4 और 1.1.5 के अनुसार भूमि के आवंटन में देरी अथवा बीईएसएसडी की ओर से किसी कार्रवाई या निष्क्रियता के कारण सरकार द्वारा भूमि के आवंटन में देरी के कारण के बिना अथवा किसी अप्रत्याशित घटना के कारण देरी नहीं हुई हो। तथापि, खरीददार द्वारा बीईएसएसडी के व्यक्तिगत अनुरोध पर, वित्तीय समापन करने के लिए वित्तीय समापन में देरी के लिए प्रति दिन 1,000 रुपये प्रति मेगावाट के विस्तार शुल्क के भुगतान पर एक विस्तार परविचार किया जा सकता है। इस विस्तार का निर्धारित कमीशनिंग तिथि (एससीडी) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार भुगतान की गई कोई भी विस्तार शुल्क, एससीडी के भीतर पूर्ण परियोजना क्षमता की सफल कमीशनिंग की उपलब्धि पर बिना किसी ब्याज के बीईएसएसडी को वापस कर दिया जाएगा। अन्य मामलों में, ऐसे दंड/विस्तार शुल्क को खरीददार/मध्यस्थ खरीददार द्वारा रखे जा रहे भुगतान सुरक्षा कोष में जमा किया जाएगा।
3. बीईएसपीए की प्रभावी तिथि के 120 दिनों के उपरांत उपयुक्त, आयोग द्वारा टैरिफ को अंगीकृत करने में किसी भी देरी के लिए वित्तीय समापन की समय सीमा में तदनु रूप विस्तार की आवश्यकता होगी।

ग. कमीशन किया जाना

1. आंशिक कमीशनिंग

क) खरीददार द्वारा परियोजना की आंशिक कमीशनिंग को इस शर्त के अधीन स्वीकार किया जाएगा कि पहले भाग की कमीशनिंग की स्वीकृति के लिए न्यूनतम क्षमता परियोजना क्षमता की 50% या 50 मेगावाट, जो भी कम हो, उस हिस्से पर बीईएसपीए का जो कमीशन नहीं किया गया है अर्थदंड लगाने के पूर्वाग्रह के बिना, शर्तों के अनुसार होगी। आईएसटीएस से जुड़ी परियोजनाओं के लिए, पहले भाग के लिए न्यूनतम आंशिक कमीशनिंग क्षमता 50 मेगावाट होगी। परियोजना की कमीशनिंग के लिए किस्तों की कुल संख्या 3 से अधिक नहीं होगी, अर्थात् पहली प्रारंभिक किस्त और 2 बाद की किस्तें। तथापि, आंशिक कमीशनिंग के कारण निर्धारित कमीशनिंग तिथि (एससीडी) में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आंशिक कमीशनिंग या पूर्ण कमीशनिंग की तारीखों पर ध्यान दिए बिना, बीईएसपीए एससीडी से न्यूनतम 8 वर्षों की अवधि या परियोजना क्षमता के पूर्ण कमीशन की तारीख, जो भी बाद में हो, के लिए लागू रहेगा।

ख) परियोजना की आंशिक कमीशनिंग के मामले में, बीईएसएसडी को ऐसे आंशिक कमीशनिंग की तारीख को या उससे पूर्व एक अवधि के लिए जो बीईएसपीए की पूर्ण अवधि से कम का न हो बीईएसएसडी के नाम पर कमीशन की जा रही आंशिक क्षमता के अनुरूप आवश्यक भूमि का कब्जा/उपयोग करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए दस्तावेज/पट्टा समझौता प्रस्तुत करना होगा।

ग) आंशिक कमीशनिंग के मामले में, क्षमता खरीद करार के लिए, कमीशन की गई क्षमता के अनुपात में, आनुपातिक आधार पर बीईएसपीए के अनुसार भुगतान किया जा सकता है। आंशिक कमीशन क्षमता की खरीद पूर्णतः खरीददार/मध्यस्थ खरीददार के विवेक पर आधारित होगी। यदि खरीददार/ मध्यस्थ खरीददार कमीशनिंग तक आंशिक क्षमता की खरीद पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, तो आंशिक कमीशन क्षमता को एससीडी तक खुले बाजार में बेचने की अनुमति दी जाएगी।

2. समय से पहले कमीशनिंग

बीईएसएसडी को पारेषण कनेक्टिविटी और/या खुली पहुंच, यदि लागू हो, की उपलब्धता के अध्यधीन, एससीडी से पहले भी परियोजना की पूर्ण कमीशनिंग के साथ-साथ आंशिक कमीशनिंग की अनुमति होगी। समय से पहले आंशिक कमीशनिंग के मामलों में, बीईएसएसडी, एससीडी तक, उत्पन्न विद्युत/बैटरी क्षमता को, खरीददार (खरीदारों) के अलावा किसी भी इकाई को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा, बशर्ते कि इनकार करने का पहला अधिकार खरीदारों के पास निहित होगा। खरीददार(रों)/मध्यस्थ खरीददार अनुरोध प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर इनकार प्रस्तुत करेगा, जिसके उपरांत इसे इनकार मान लिया जाएगा। एससीडी से पहले पूर्ण परियोजना क्षमता की समय से पहले कमीशनिंग के मामले में, यदि खरीददार इस प्रकार की समय से पहले कमीशन की गई विद्युत खरीदने के लिए सहमत होता है, तो खरीददार/मध्यस्थ खरीददार यथालागू बीईएसपीए/बीईएसएसए टैरिफ पर उत्पादन की खरीद करेगा।

3. कमीशनिंग कार्यक्रम

क) बीईएसएसडी, बीईएसपीए के संदर्भ में निम्नलिखित समय-सीमाओं के अनुसार परियोजना को कमीशन करेगा:

- 250 मेगावाट तक (और सहित) की परियोजना क्षमता के मामले में, निर्धारित कमीशनिंग तारीख (एससीडी), अर्थात् बिना किसी परिनिर्धारित नुकसान के परियोजनाओं को कमीशन करने की अधिकतम समय सीमा, बीईएसपीए की प्रभावी तारीख के 18 महीने बाद की तारीख होगी।
- 250 मेगावाट से अधिक की परियोजना क्षमता के मामले में, एससीडी बीईएसपीए की प्रभावी तारीख के 24 महीने बाद की तारीख होगी।

तथापि, यदि किसी कारणवश, इन दिशानिर्देशों में उल्लिखित निर्धारित कमीशन अवधि को कम करने की आवश्यकता है, तो खरीददार आईएसटीएस/इंट्रा-एसटीएस पारेषण प्रणाली में निकासी मार्जिन के संबंध में सीटीयू/एसटीयू से पुष्टि के अध्यधीन, ऐसा कर सकता है।

ख) अप्रत्याशित घटना के संबंध में इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अध्यधीन, निर्धारित कमीशनिंग तारीख से आगे कमीशनिंग में देरी होने पर बीईएसएसडी पर निम्नवत् परिसमापन हर्जाना लगाया जाएगा:

- एससीडी के उपरांत कमीशनिंग में 9 महीने तक देरी के लिए, बीईएसएसडी को कमीशन नहीं की गई संविदा क्षमता के अनुपात में पीबीजी/पीओआई के नकदीकरण के रूप में प्रति दिन के आधार पर परिसमापन हर्जाना लगाया जाएगा। इस प्रकार के परिसमापन नुकसान का भुगतान निम्नवत् किया जा सकता है:
 - खरीददार/मध्यस्थ खरीददार को हर्जाने का सीधा भुगतान करके
 - बीजी/पीओआई के नकदीकरण द्वारा

बीईएसएसडी के पास इन दो विकल्पों में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा और इस विकल्प को चुनने की समयावधि बीईएसएसए /बीईएसपीए में विनिर्दिष्ट की जाएगी।

- एससीडी के उपरांत कमीशनिंग में 9 महीने से अधिक की देरी के लिए, संविदा क्षमता को एससीडी के 9 महीने तक शुरू की गई परियोजना क्षमता तक कम कर दिया जाएगा, संपूर्ण कार्य निष्पादन गारंटी को खरीददार/मध्यस्थ खरीददार द्वारा भुनाया जाएगा और शेष गैर-कमीशन क्षमता के लिए परियोजना की बीईएसपीए को समाप्त कर दिया जाएगा।
- तथापि, यदि किसी कारण से, इन दिशानिर्देशों में प्रदान समापन हर्जाने की उपरोक्त अवधि को कम करने की आवश्यकता है, तो खरीददार ऐसा कर सकता है।

- ग) उपयुक्त आयोग द्वारा टैरिफ (क्षमता प्रभारों सहित, यदि कोई हो) को अपनाने में बीईएसपीए की प्रभावी तिथि के उपरांत 120 दिनों से अधिक कोई भी देरी होने पर एससीडी में तदनु रूप विस्तार करना आवश्यक होगा।
- घ) भूमि की व्यवस्था: यह ध्यान देना होगा कि परियोजना की कमीशनिंग/आंशिक-कमीशनिंग तब तक घोषित नहीं की जाएगी जब तक कि बीईएसएसडी पूर्ण/आंशिक क्षमता को चालू करने के लिए इस प्रकार के पूर्ण/आंशिक कमीशन की तारीख को या उससे पहले, बीईएसपीए की पूर्ण अवधि से कम अवधि के लिए बीईएसएसडी के नाम आवश्यक भूमि के कब्जे/उपयोग के अधिकार को स्थापित करने के लिए दस्तावेज/पट्टा समझौता प्रस्तुत नहीं करता है।

4. कनेक्टिविटी/ग्रिड पहुंच प्रचालन में देरी के कारण कमीशनिंग में देरी :

कुछ परियोजनाओं में, परियोजना के चालू होने से पहले बीईएसएसडी द्वारा कनेक्टिविटी और ग्रिड पहुंच प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। कनेक्टिविटी प्रदान करने के उपरांत, यदि सीटीयू/एसटीयू द्वारा ग्रिड पहुंच देने में/परिचालन में देरी होती है और/या जिसमें परियोजना के एससीडी तक आईएसटीएस/आईएनएसटीएस नेटवर्क की विद्युत निकासी और पारेषण अवसंरचना सहित डिलीवरी प्वाइंट/इंजेक्शन प्वाइंट पर आईएसटीएस/आईएनएसटीएस उप केंद्र की तैयारी में देरी होती है, और यह पाया गया है कि:

- बीईएसएसडीने कनेक्टिविटी प्रक्रिया के अनुसार पूरी आवेदन औपचारिकताओं का अनुपालन किया है।
- बीईएसएसडी ने इस संबंध में सीईआरसी/एसईआरसी/जेईआरसी/सीटीयू/एसटीयू द्वारा अधिसूचित लागू प्रक्रिया का पालन किया है, और
- सीटीयू/एसटीयू द्वारा कनेक्टिविटी/ग्रिड पहुंच देने में देरी और/या आईएसटीएस/इनएसटीएस नेटवर्क की विद्युत निकासी और पारेषण इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी सहित डिलीवरी प्वाइंट पर आईएसटीएस/आईएनएसटीएस उप केंद्र की तैयारी में देरी, एसटीयू/सीटीयू/पारेषण लाइसेंसधारी के कारण हुई है, और यह बीईएसएसडी के नियंत्रण से बाहर है;

तो उपरोक्त को बीईएसएसडी के नियंत्रण से बाहर की देरी के रूप में माना जाएगा, और ऐसी परियोजनाओं के लिए एससीडी को डिलीवरी प्वाइंट की तैयारी और विद्युत निकासी बुनियादी ढांचे और/या ग्रिड पहुंच के संचालन के उपरांत 30 दिनों की तारीख के रूप में संशोधित किया जाएगा। उपरोक्त के कारण अपेक्षित विस्तार पर निर्णय खरीददार/मध्यस्थ खरीददार द्वारा लिया जाएगा।

घ. वाणिज्यिक संचालन तारीख (सीओडी)

आंशिक कमीशनिंग के मामले में, वाणिज्यिक संचालन तारीख (सीओडी) केवल परियोजना क्षमता के उस भाग के लिए घोषित की जाएगी। परियोजना की वाणिज्यिक संचालन तारीख (सीओडी) [परियोजना सीओडी] को परियोजना की पूर्ण क्षमता या परियोजना की अंतिम भाग क्षमता, जैसा भी मामला हो, के कमीशनिंग की वास्तविक तारीख का अगला दिन माना जाएगा, जैसा कि बीईएसपीए में प्रदान की गई कमीशनिंग प्रक्रिया के अनुरूप घोषित किया गया है। इसी प्रकार, प्रत्येक भाग की कमीशनिंग के लिए, संबंधित आंशिक क्षमता के चालू होने की वास्तविक तिथि का अगला दिन सीओडी होगा।

बीईएसएसडी परियोजना की कमीशनिंग से पहले केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण/सीईआईजी से आवश्यक सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करेगा।

कमीशनिंग बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार मौजूदा सीईआरसी विनियम की कमीशनिंग प्रक्रिया के अनुसार होगी।

ङ. पारेषण संयोजन

- परियोजना को लागू सीईआरसी/एसईआरसी विनियमों के अनुरूप, खरीददार/एसटीयू/सीटीयू द्वारा यथानिर्दिष्ट उपयुक्त वोल्टेज स्तर पर आईएनएसटीएस / आईएसटीएस सब-स्टेशन के साथ सीधे या पूर्ण उप केंद्र के माध्यम से इंटर-कनेक्शन के लिए डिज़ाइन किया जाएगा, जहां अन्य परियोजनाएं भी आईएनएसटीएस / आईएसटीएस सब-स्टेशन से पहले एक पारेषण नेटवर्क के माध्यम से लागू विनियमों के अनुसार, उचित समय पर इंटर-कनेक्ट होती हैं। सुसंगत पारेषण अवसंरचना के निर्माण के लिए जिम्मेदार इकाई को बोली दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया

जाएगा। कार्यान्वयन व्यवस्था और निकासी प्रणाली के डिजाइन के आधार पर, आईएनएसटीएस / आईएसटीएस सब-स्टेशन से पहले पारेषण लाइनों और सब-स्टेशनों की पूंजीगत लागत या तो सीधे बीईएसएसडी द्वारा भुगतान की जा सकती है, या आरई पार्क डेवलपर या अन्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा भुगतान किया जा सकता है और बीईएसएसडीसे सीधे तौर पर दावा किया जा सकता है या आरोपित या विभाजित और एकमुश्त या वर्षों में भुगतान के रूप में वसूल किया जा सकता है।

2. ऐसे मामलों में, जहां खरीददार द्वारा परियोजना स्थल निर्दिष्ट नहीं किया गया है, एसटीयू/सीटीयू/पारेषण लाइसेंसधारी के स्वामित्व वाली पारेषण प्रणाली के लिए कनेक्टिविटी और ग्रिड पहुंच प्राप्त करने की जिम्मेदारी बीईएसएसडी की होगी और बीईएसएसडी की कीमत पर होगी। इस संबंध में, बोली लगाने वाली एजेंसी, सीटीयू/एसटीयू के परामर्श से, ऐसे सब-स्टेशनों की एक सूची प्रदान कर सकती है, जहां से बोलीदाता किसी निविदा में डिलीवरी बिंदु चुन सकते हैं।
3. ऐसे मामलों में, जहां खरीददार द्वारा निर्दिष्ट परियोजना स्थल आरई पार्क में नहीं है, खरीददार यह चयन कर सकता है कि पारेषण कनेक्टिविटी और ग्रिड पहुंच प्राप्त करने की लागत को वहन करने की जिम्मेदारी बीईएसएसडी उठाए।
4. ऐसे मामलों में जहां खरीददार कोई ऐसा आरई पार्क निर्दिष्ट करता है, जहां परियोजना को स्थापित किया जाना है, परियोजना की कमिश्निंग में देरी के संबंध में किसी भी कानून या विनियम के तहत सीटीयू / एसटीयू द्वारा लगाया गया हर्जाना, जुर्माना और शुल्क, जिस सीमा तक देरी के लिए बीईएसएसडी जिम्मेदार है, बीईएसएसडी द्वारा देय होंगे, और शेष खरीददार द्वारा देय होगा।
5. इस संबंध में मौजूदा विनियमों/निर्देशों के अनुसार, अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) प्रभारों और हानियों में छूट का लाभ, यदि कोई हो, परियोजनाओं पर लागू होगा।
6. मीटरिंग प्वाइंट, वह बिंदु है जिस पर खरीददार को आपूर्ति की गई ऊर्जा को मापा जाएगा, आईएनएसटीएस / आईएसटीएस सब-स्टेशन का लो वोल्टेज बस बार होगा, जिस पर एसटीयू / सीटीयू या बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट किसी अतिरिक्त बिंदु के पारेषण प्रणाली में विद्युत इंजेक्ट की जाती है। जब तक अन्यथा प्रावधान हो, विद्युत के अंतरसंयोजन के बिंदु तक जहां ऊर्जा लेखांकन के लिए मीटरिंग की जाती है, अपनी लागत पर बीईएसएसडी की जिम्मेदारी होगी।
7. आरई पार्क के मामले में, मीटरिंग प्वाइंट (बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट) अंतिम निकासी आईएनएसटीएस / आईएसटीएस सब-स्टेशन है जिसके साथ सभी पूलिंग सब-स्टेशनों से आंतरिक पारेषण जुड़ा हुआ है। परियोजना और मीटरिंग प्वाइंट के बीच पारेषण / व्हीलिंग शुल्क और नुकसान आदि सहित किन्तु इन तक ही सीमित नहीं, सभी खर्चों का भुगतान खरीददार द्वारा बीईएसएसडी द्वारा बिना किसी प्रतिपूर्ति के किया जाएगा। मीटरिंग प्वाइंट से आगे पारेषण और वितरण के संबंध में 'पारेषण प्रभार और हानियां' (यदि कोई हो) और 'व्हीलिंग प्रभार और हानियां' सहित सभी खर्च, सिवाय आरएफएस में विशेष रूप से उल्लिखित खर्च खरीददार द्वारा वहन किए जाएंगे। आरई पार्क विकासकर्ता द्वारा परियोजनाओं/बीईएसएसडी या किसी अन्य संस्था, जो भी हो, को बिलिंग के लिए व्यवस्था की जाएगी, जो बदले में सीधे खरीददार से इसे वसूल कर सकता है।
8. सीईआरसी, ग्रिड और मीटरिंग के साथ इंटरकनेक्शन के लिए, खुली पहुंच और वाणिज्यिक लेखांकन और निपटान का लाभ उठाने के लिए, बीईएसएसडीज विनियमों/प्रक्रिया और आरई कनेक्टिविटी प्रक्रिया के प्रावधानों और सीईए द्वारा जारी किए गए ग्रिड कोड, तकनीकी मानकों सहित विभिन्न सीईए विनियमों/ मानकों, इस संबंध में उपयुक्त आयोग और सीईए द्वारा जारी ग्रिड कनेक्टिविटी विनियम, विद्युत पारेषण के लिए संचार प्रणाली संबंधी विनियम और अन्य विनियम (समय-समय पर यथासंशोधित) का पालन करेंगे।
9. बीईएसएसडी यथालागू पूर्वानुमान, निर्धारण और विचलन निपटान संबंधी सीईआरसी/ एसईआरसी/ जेईआरसी विनियमों का पालन करेगा और इस संबंध में लागू सभी देनदारियों के लिए जिम्मेदार होगा।
10. बीईएसएसडी के अनुरोध पर परियोजना के चालू होने से पहले, बीईएसएसडी को पारेषण कनेक्टिविटी, मौजूदा शर्तों के अध्यक्षीन परीक्षण को सुगम बनाने के लिए और ग्रिड में उत्पन्न अस्थायी विद्युत के प्रवाह की अनुमति देने के लिए सीटीयू / एसटीयू, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रदान की जा सकती है, और इस प्रकार के आवेदन को लागू विनियमों में निर्दिष्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए।

11. पारेषण घटक के रूप में बीईएसएस परियोजनाओं के मामले में, परियोजना की आयोजना पारेषण नेटवर्क और संबंधित आरई परियोजनाओं के साथ मिलकर बनाई जाएगी। संबद्ध नेटवर्क से जुड़ी आरई परियोजनाओं में देरी होने पर, बीईएसएस प्रदाता को देय क्षमता शुल्क आरई परियोजना विकासकर्ता पर मध्यस्थ खरीददार द्वारा आनुपातिक आधार पर लगाई जाएगी।

च. ऑफटेक बाधाओं के लिए मुआवजा

खरीददार को बैकडाउन के कारण बीईएसएसडी द्वारा निर्धारित/प्रस्तावित विद्युत को ऑफटेक करने के लिए बाध्य किया जा सकता है और केवल ऐसे मामले में लागू मुआवजा निम्नवत् होगा:

1. खरीददार द्वारा कम ऑफटेक के कारण मुआवजा

- क) क्षमता संविदा के मामले में बीईएसएसडी किसी भी मुआवजे के लिए पात्र नहीं होगा। तथापि ऐसे मामलों में भी बीईएसएसडी को करार के अनुसार क्षमता प्रभार/टैरिफ का भुगतान किया जाएगा।

छ. भुगतान सुरक्षा तंत्र

खरीददार नीचे यथा विनिर्दिष्ट अनुसार पर्याप्त भुगतान सुरक्षा उपाय प्रदान करेगा।

1. परिदृश्य 1: बीईएसएसडी से अंतिम खरीददार द्वारा सीधी खरीद

खरीददार निम्नलिखित के माध्यम से बीईएसएसडी को भुगतान सुरक्षा प्रदान करेगा:

- क. विचाराधीन परियोजना से कम से कम 1 (एक) महीने की औसत बिलिंग की राशि के **चक्रीयन साख पत्र (एलसी)**।

तथा

- ख. **भुगतान सुरक्षा निधि**, जो ऐसी निधि से जुड़ी सभी परियोजनाओं के कम से कम 3 (तीन) महीने की बिलिंग के लिए भुगतान में सहायता करने के लिए उपयुक्त होगी।

- ग. उपरोक्त दो तंत्रों के संयोजन के रूप में, खरीददार कुल 4 (चार) महीने की ऊर्जा बिलिंग के लिए कुल भुगतान सुरक्षा प्रदान करेगा, जिसमें से कम से कम 1 महीने की ऊर्जा बिलिंग अवधि के लिए एलसी प्रदान किया जाना चाहिए।

- घ. उपरोक्त खंड (क) और (ख) के अनुसार भुगतान सुरक्षा के अलावा, खरीददार यह सुनिश्चित करते हुए कि बीईएसएसडी को दोनों ऊर्जा प्रभारों के भुगतान और परिसमापन मुआवजे, यदि कोई हो, के रूप में पर्याप्त सुरक्षा है, कानूनी रूप से प्रवर्तनीय **राज्य सरकार गारंटी** प्रदान करने का विकल्प भी चुन सकता है। यह उस स्थिति में लागू नहीं होगा जब खरीददार कोई पारेषण यूटिलिटी या प्रणाली संचालक है।

2. परिदृश्य 2: मध्यस्थ-खरीददार बीईएसएसडी से खरीदता है और अंतिम खरीददार को बेचता है

क. बीईएसएसडी को मध्यस्थ खरीददार द्वारा भुगतान सुरक्षा:

मध्यस्थ खरीददार बीईएसएसडी को निम्नलिखित के माध्यम से भुगतान सुरक्षा प्रदान करेगा:

- i. विचाराधीन परियोजना के लिए कम से कम 1 (एक) महीने की औसत बिलिंग राशि का **चक्रीयन साख पत्र (एलसी)**।

तथा

- ii. **भुगतान सुरक्षा निधि**, जो ऐसी निधि से जुड़ी सभी परियोजनाओं के कम से कम 3 (तीन) महीने की बिलिंग के भुगतान में सहायता करने के लिए उपयुक्त होगी। इस भुगतान सुरक्षा निधि के प्रयोजन के लिए, मध्यस्थ खरीददार भुगतान सुरक्षा तंत्र पूल को सुदृढ़ करने के उपाय के रूप में बीईएसएसडी से 5.0 लाख रुपये / एमडब्ल्यूएच (पांच लाख रुपये प्रति एमडब्ल्यूएच) की एक गैर-वापसी योग्य राशि एकत्र करेगा। इस प्रकार के शुल्क आरएफएस में स्पष्ट रूप से निर्धारित किए जाएंगे और ऐसे मध्यस्थ खरीददार के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित भुगतान सुरक्षा निधि (उपार्जित ब्याज के साथ) में डाले जाएंगे।

ख. अंतिम खरीददार द्वारा मध्यस्थ खरीददार को भुगतान सुरक्षा:

अंतिम खरीददार निम्नलिखित के माध्यम से मध्यस्थ खरीददार को भुगतान सुरक्षा प्रदान करेगा:

- i. विचाराधीन परियोजना (परियोजनाओं) के लिए कम से कम 1 (एक) महीने की औसत बिलिंग राशि का **चक्रीयन साख पत्र (एलसी)**।

या

- ii. कानूनी रूप से प्रवर्तनीय **राज्य सरकार की गारंटी**, जिसमें ऊर्जा शुल्क के भुगतान और समापन हर्जाना, यदि कोई हो, दोनों ही मामले में पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध है [इस खण्ड के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच हस्ताक्षरित त्रि-पक्षीय समझौता (टीपीए) ऊर्जा शुल्क के भुगतान की सुरक्षा संबंधी राज्य सरकार की गारंटी के रूप में मान्य होगा]। मध्यस्थ खरीददार यह सुनिश्चित करेगा कि इस गारंटी का प्रतिसंहरण लागू करने पर, यह एक ही बार में, बीईएसएसडी को उस सीमा तक सौंप देगा, जिस सीमा तक बीईएसपीए के संदर्भ में बीईएसएसडी को भुगतान देय है। परंतु, ऐसे मामलों में जहां अंतिम खरीददार न तो त्रि-पक्षीय समझौते (टीपीए) द्वारा कवर किया गया है और न ही राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करने में सक्षम है, निम्नलिखित को अपनाया जाएगा:

यदि कोई विशेष खरीददार भुगतान सुरक्षा के हिस्से के रूप में राज्य सरकार की गारंटी प्रदान नहीं करता है, तो एलसी राशि को औसत मासिक बिलिंग के 2.1 गुना तक बढ़ाया जाएगा।

- iii. उपरोक्त खंड (i) और (ii) के अनुसार भुगतान सुरक्षा के अलावा, अंतिम खरीददार **भुगतान सुरक्षा निधि** प्रदान करने का भी चयन कर सकता है, जो ऐसी निधि से संबद्ध सभी परियोजनाएं, के कम से कम 3 (तीन) महीने के बिलिंग के भुगतान में सहायता करने के लिए उपयुक्त होगा।

एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सरकार की गारंटी का केवल तभी प्रतिसंहरण किया जाएगा जब मध्यस्थ खरीददार बीईएसपीए के तहत साख पत्र और भुगतान सुरक्षा निधि, यदि कोई हो, के माध्यम से अपनी बकाया राशि की वसूली करने में असमर्थ रहा हो।

ज. अप्रत्याशित घटना**1. अप्रत्याशित घटना की परिभाषा**

किसी 'अप्रत्याशित घटना' (एफएम) का तात्पर्य निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक कृत्यों, घटनाओं या परिस्थितियों या कृत्यों, घटनाओं या परिस्थितियों या उसके परिणाम (मों) के संयोजन से होगा, जो पूर्णतः या आंशिक रूप से पक्ष (प्रभावित पक्ष) संबंधित बीईएसपीए के तहत उसके दायित्वों के निर्वहन में बाधक है या अपरिहार्य रूप से देरी करती है, किंतु उस सीमा तक कि ऐसी घटनाएं या परिस्थितियां प्रभावित पक्ष के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उचित नियंत्रण में नहीं हैं और प्रभावित पक्ष द्वारा इनसे बचा नहीं जा सकता था यदि पक्ष ने उचित सावधानी बरती होती थी या विवेकपूर्ण यूटिलिटी प्रथाओं का अनुपालन किया होता था।

- क) दैवीय घटनाएं, जिसमें आकाशीय विद्युत, आग और विस्फोट (स्थल के बाहरी स्रोत से उत्पन्न होने की सीमा तक), भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, बाढ़, महामारी, चक्रवात, आंधी या बवंडर शामिल हैं, किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है, यदि यह सक्षम राज्य / केंद्रीय प्राधिकरण / एजेंसी द्वारा घोषित किया गया हो/अधिसूचित किया गया हो (जैसा लागू हो), या खरीददार के समाधान के लिए सत्यापित हो; यदि कोई जल विद्युत संयंत्र बोलीदाता द्वारा स्थापित की जाने वाली आरई परियोजना के पैकेज का एक हिस्सा है, तो ऐसे मामले में सूखे को आरई परियोजना के जल विद्युत संयंत्र घटक के लिए एक सुसंगत अप्रत्याशित घटना माना जा सकता है।

- ख) भारत में किसी स्रोत से उत्पन्न या ऊपर वर्णित किसी अन्य अप्रत्याशित घटना से उत्पन्न रेडियोधर्मी संदूषण या आयनकारी विकिरण, उन परिस्थितियों को छोड़कर जहां दूषित या विकिरण का स्रोत या कारण प्रभावित पक्ष या प्रभावित पक्ष द्वारा नियोजित लोगों द्वारा विद्युत परियोजना में या उसके पास लाया जाता है।

- ग) परियोजना भूमि पर भूगर्भीय स्थितियों, जहरीले संदूषण या पुरातात्विक अवशेषों का पता चलना, जिनकी परियोजना भूमि के निरीक्षण और/या विवेकपूर्ण उद्योग प्रथाओं के अनुसार उचित रूप से पाए जाने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी।
- घ) असाधारण रूप से प्रतिकूल मौसम की स्थिति जो पिछले सौ (100) वर्षों के सांख्यिकीय माप से अधिक है।
- ङ) युद्ध संबंधी कोई भी गतिविधि (चाहे घोषित या अघोषित), आक्रमण, सशस्त्र संघर्ष या विदेशी दुश्मन का कार्य, नाकाबंदी, प्रतिबंध, क्रांति, दंगा, विद्रोह, आतंकवादी या सैन्य कार्रवाई, या उद्योग-व्यापी हड़ताल और श्रमिक उपद्रव, जिसका भारत में देशव्यापी प्रभाव पड़ता हो।
- च) भारत सरकार के किसी दस्तावेज/ राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय हित में राष्ट्रीयकरण या किसी भी अनिवार्य अधिग्रहण या किसी भी सामग्री परियोजना संपत्ति या बीईएसएसडी के अधिकारों का अधिग्रहण, जिसके परिणामस्वरूप बीईएसएसडी या उसके शेयरधारक बीईएसपीए के तहत अपने अधिकारों (पूर्ण या आंशिक रूप से) या पात्रता से वंचित होते हैं। परंतु इस प्रकार की कार्रवाई किसी भी लागू कानून या बीईएसएसडी या बीईएसएसडी से संबंधित पक्षकारों द्वारा लागू परमिट के किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप खरीददार या किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण द्वारा कानूनी रूप से प्रयोग किए गए उपाय या प्रतिबंध नहीं बनते हैं।

2. अप्रत्याशित घटना के अपवाद

- अप्रत्याशित घटना में (i) कोई भी घटना या परिस्थिति शामिल नहीं होगी जो पक्षकारों के उचित नियंत्रण में है और (ii) निम्नलिखित परिस्थितियां, सिवाय उस सीमा तक कि वे अप्रत्याशित घटना की घटना के परिणाम हैं:
- क. विद्युत परियोजना के लिए संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, सामग्री, स्पेयर पार्ट्स या उपभोग्य सामग्रियों की अनुपलब्धता, देरी से प्रदायगी, या लागत में परिवर्तन;
- ख. किसी ठेकेदार, उप-ठेकेदार या उनके एजेंटों के कार्य निष्पादन में देरी;
- ग. विद्युत उत्पादन सामग्री और उपकरणों में आम तौर पर अनुभव किए जाने वाले सामान्य टूट-फूट के परिणामस्वरूप गैर-निष्पादन;
- घ. प्रभावित पक्ष के कार्य स्थल पर हड़ताल या श्रमिक गड़बड़ी;
- ङ. निष्पादित को दुष्कर बनाने वाले वित्त या धन या समझौते की अपर्याप्तता;
- तथा
- च. प्रभावित पक्ष के कारण या उससे संबंधित गैर-निष्पादन: (i) लापरवाही या जानबूझकर किए गए कार्य, त्रुटियां या चूक, या किसी भी विवेकपूर्ण और तर्कसंगत व्यक्ति से अपेक्षित उचित परिश्रम की कमी; (ii) भारतीय कानून का पालन करने में विफलता; या (iii) इस समझौते का उल्लंघन या उसके तहत चूक।

3. अप्रत्याशित घटना की अधिसूचना

- क) प्रभावित पक्ष अन्य पक्ष को किसी भी अप्रत्याशित घटना की सूचना यथाशीघ्र यथोचित रूप से देगा, किंतु उस तारीख के पंद्रह (15) दिनों के उपरांत नहीं, जिस दिन उस पक्ष को अप्रत्याशित घटना के शुरू होने के बारे में पता चला था या उसे यथोचित रूप से पता होना चाहिए था। यदि अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरूप संचार टूट जाता है जिसके यहां निर्दिष्ट लागू समय सीमा के भीतर नोटिस देना अनुचित हो जाता है, तो अप्रत्याशित घटना का दावा करने वाला पक्ष संचार की बहाली के उपरांत यथाशीघ्र ऐसी सूचना देगा, लेकिन ऐसी बहाली के एक (1) दिन उपरांत नहीं। अप्रत्याशित घटना की सूचना प्राप्त करने वाला पक्ष, प्रभावित पक्ष के पास उपलब्ध सहायक दस्तावेजों के साथ, सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर अप्रत्याशित घटना के दावे पर निर्णय लेगा।
- ख) परंतु इस प्रकार का नोटिस बीईएसपीए के तहत राहत का दावा करने के लिए प्रभावित पक्ष की हकदारी के लिए एक पूर्व शर्त होगी। इस प्रकार के नोटिस में अप्रत्याशित घटना का पूरा विवरण, राहत का दावा करने वाले पक्ष पर इसका प्रभाव और प्रस्तावित उपचारात्मक उपाय शामिल होंगे। प्रभावित पक्ष, दूसरे पक्ष को उन उपचारात्मक उपायों की प्रगति पर नियमित (और साप्ताहिक से कम नहीं) रिपोर्ट और ऐसी अन्य जानकारी जैसा कि अन्य पक्ष अप्रत्याशित घटना के बारे में उचित रूप से अनुरोध कर सकता है, उपलब्ध कराएगा।

ग) प्रभावित पक्ष दूसरे पक्ष को (i) सुसंगत अप्रत्याशित घटना की समाप्ति; और (ii) बीईएसपीए के तहत अपने अधिकारों या दायित्वों के निष्पादन पर उस अप्रत्याशित घटना के प्रभावों की समाप्ति की, जैसे ही इनके बारे में उसे जानकारी मिलती है, व्यावहारिक रूप से तत्काल सूचना देगा।

4. निष्पादन से छूट

- क) प्रभावित पक्ष को, अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरूप बीईएसपीए के तहत अपने दायित्वों या उसके दायित्व के अंश को पूरा करने में असमर्थ होने की सीमा तक, दायित्वों के निष्पादन से छूट दी जाएगी, परंतु यह अवधि अप्रत्याशित घटना की सूचना जारी करने की तारीख से 180 (एक सौ अस्सी) दिन या परस्पर सहमति से किसी भी विस्तारित अवधि से अधिक नहीं होगी। पक्षकार उस अवधि को बढ़ाने के लिए परस्पर सहमत हो सकते हैं जिसके लिए अप्रत्याशित घटना के कारण निष्पादन से छूट दी गई है। तथापि, अप्रत्याशित घटना के 180 दिनों की अवधि या पारस्परिक रूप से सहमत किसी भी विस्तारित अवधि तक जारी रहने के मामले में, किसी भी पक्ष को बीईएसपीए को समाप्त करने का अधिकार होगा।
- ख) पक्षकारों द्वारा परस्पर सहमत उस अवधि के लिए, जिसके दौरान निष्पादन से छूट दी जाएगी, बीईएसएसी वित्तीय समापन या निर्धारित कमीशन अवधि या बीईएसपीए अवधि के लिए, जो भी हो, प्रदान की गई अवधि के दिन-प्रतिदिन के विस्तार के लिए हकदार होगा। उपरोक्त विस्तार के अनुसार बीईएसपीए और बीईएसएए की अवधि उपयुक्त रूप से बढ़ाई जाएगी।
- ग) परंतु किसी पक्ष को केवल अप्रत्याशित घटना के लिए उचित रूप से आवश्यक सीमा तक ही निष्पादन से छूट दी जाए।
- घ) परंतु आगे, प्रभावित पक्ष को अंतर्निहित अप्रत्याशित घटना के घटित होने से पहले अर्जित किसी भी भुगतान दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा।

5. अन्य हानियों के लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं

इन दिशानिर्देशों में अन्यथा यथा उपबंधित के साथ, कोई भी पक्ष किसी भी अप्रत्याशित घटना के घटित होने या अस्तित्व से संबंधित या उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि के संबंध में किसी भी प्रकार से, अन्य पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

6. कार्य निष्पादन की बहाली

अप्रत्याशित घटना के बने रहने की अवधि के दौरान, प्रभावित पक्ष, अन्य पक्षकारों के परामर्श से, बीईएसपीए के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन पर ऐसी अप्रत्याशित घटना के प्रभावों को सीमित करने या कम करने के लिए सभी उचित प्रयास करेगा। प्रभावित पक्ष इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन का यथाशीघ्र पुनरारंभ का प्रयास करेगा और पुनरारंभ होने पर, अन्य पक्षकारों को लिखित रूप में इसकी सूचना देगा। दूसरा पक्ष इस संबंध में प्रभावित पक्ष को सभी उचित सहायता प्रदान करेगा।

7. अप्रत्याशित घटना के कारण समापन

- क) यदि, अप्रत्याशित घटना नोटिस जारी होने की तारीख से शुरू होने वाली अप्रत्याशित घटना के लिए 180-दिन की अवधि (या किसी भी विस्तारित अवधि) के पूरा होने से पहले, पक्षकारों का यथोचित विचार है कि अप्रत्याशित ऐसी 180-दिन की अवधि या उपरोक्त खंड 4 के अनुसरण में सहमत किसी भी विस्तारित अवधि (निष्पादन को माफ किया गया) से आगे जारी रहने घटना की संभावना; या यह कि प्रभावित इकाई को पुनः प्रचालित करना अलाभकारी या अव्यावहारिक है, तो पक्षकार बीईएसपीए को समाप्त करने का परस्पर निर्णय ले सकती हैं, और समाप्ति उस तारीख से प्रभावी होगी जिस दिन ऐसा निर्णय लिया जाता है।
- ख) उपरोक्त खंड 7 (क) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रभावित पक्ष 180 दिनों की अवधि या किसी अन्य पारस्परिक रूप से विस्तारित अवधि की समाप्ति के उपरांत, नोटिस जारी करके अपने विवेकाधिकार में बीईएसपीए को तुरंत प्रभावसे समाप्त करने का हकदार होगा।
- ग) खंड 7 (ख) के अनुसार बीईएसपीए की समाप्ति पर:

- i. उपरोक्त खण्ड 1 (क), (ख), (ग) और (घ) के अनुसार अप्रत्याशित घटना के रूप में सूचीबद्ध किसी घटना के कारण समापन के मामले में, बीईएसएसडी को कोई समापन मुआवजा देय नहीं होगा।
 - ii. बीईएसएसडी के कहने पर समापन के मामले में, उपरोक्त खंड 1 (ड.) और (च) के अनुसार अप्रत्याशित घटना के रूप में सूचीबद्ध होने के कारण, खरीददार के पास देय ऋण का भुगतान करके परियोजना की संपत्ति पर अधिकार का विकल्प होगा (लेकिन बाध्यकर नहीं होगा) यदि खरीददार उपरोक्त विकल्प का प्रयोग नहीं करने का विकल्प चुनता है, और इसकी बीईएसएसडी द्वारा सहमति नहीं दी जाती है, तो परिणामस्वरूप यह बीईएसपीए के अनुसार विवाद होगा, और बीईएसपीए के तहत विवाद समाधान तंत्र के अनुसार हल किया जाएगा।
 - iii. अप्रत्याशित घटना के घटित होने से पहले बकाया मासिक बिल (बिलों) के तहत बीईएसएसडी निर्विवाद भुगतान के लिए पात्र होगा।
8. बीईएसएसडी या मध्यस्थ खरीददार, जैसा भी मामला हो, को प्रभावित करने वाले बीईएसपीए से संबंधित उपरोक्त में निहित अप्रत्याशित घटना के प्रावधान, जैसा भी मामला हो, को आवश्यक परिवर्तनों के साथ बीईएसए के तहत अप्रत्याशित घटना के प्रावधानों के रूप में पढ़ा जाएगा और अप्रत्याशित घटनाके तहत अंतिम खरीददार को प्रभावित करेगा। बीईएसएसए को बीईएसपीए के तहत मध्यस्थ खरीददार को प्रभावित करने वाली अप्रत्याशित घटना माना जाएगा और इसी प्रकार बीईएसपीए के तहत बीईएसएसडीको प्रभावित करने वाली अप्रत्याशित घटना को बीईएसएसए के तहत मध्यस्थ खरीददार को प्रभावित करने वाली अप्रत्याशित घटना माना जाएगा।

झ. डिफॉल्ट (चूक) की घटना और उसके परिणाम

जबकि संबंधित पक्षों के चूक की घटना और इसके परिणामी प्रभावों के संबंध में विस्तृत प्रावधान बीईएसपीए/बीईएसएसए में संविस्तार दिए जाएंगे, यह खंड बीईएसएसडी और खरीददारों (मध्यस्थ खरीददार को छोड़कर) की चूक से संविदात्मक रूप से निपटने के व्यापक सिद्धांतों को निर्धारित करता है।

1. डिफॉल्ट (चूक) की बीईएसएसडी घटना और उसके परिणाम

- क) उस स्थिति में जब बीईएसएसडी बीईएसएसडी के संदर्भ में विजली की आपूर्ति करने में विफल रहता है, या बीईएसपीए की शर्तों के विपरीत अपने किसी भी अधिकार या दायित्वों को नियत या नवीकरण करता है, या बीईएसपीए को अस्वीकार करता है, या बीईएसपीए के प्रावधानों के उल्लंघन में अपने प्रमोटरों नियंत्रण या शेयरधारिता में बदलाव करता है, या बीईएसपीए में यथानिर्धारित किसी भी अन्य कृत्यों या चूक या चालू करता है और उसे ठीक करने की अवधि के भीतर उपरोक्त में से किसी को भी ठीक करने में असमर्थ है, जैसा कि बीईएसपीए में प्रदान किया गया है, तो बीईएसएसडी को डिफॉल्ट (चूक) रूप में माना जाएगा।
- ख) डिफॉल्ट में होने पर, बीईएसएसडी 6 (छह) महीनों या शेष बीईएसपीए अवधि, जो भी कम हो, के लिए बीईएसपीए के अनुसार घोषित न्यूनतम निष्पादन मानदंड के अनुरूप ऊर्जा भुगतान के बराबर, खरीददार को हर्जाना, अपनी अनुबंधित क्षमता के लिए भुगतान करेगा। खरीददार को किसी अन्य कानूनी उपाय या उपचार का सहारा लिए बिना, बैंक गारंटी, यदि कोई हो, की जब्ती के माध्यम से उक्त नुकसान की वसूली का अधिकार होगा।
- ग) पूर्वोक्त नुकसान की वसूली के अलावा, बीईएसएसडी द्वारा चूक की स्थिति में, घटनाओं के निम्नलिखित क्रम का अनुसरण किया जाएगा:
 - i. एक निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर परियोजना ऋणदाताओं के पास बीईएसएसडी के प्रतिस्थापन का पहला अधिकार होगा।
 - ii. यदि ऋणदाता उपरोक्त निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर बीईएसएसडी को प्रतिस्थापित करने में असमर्थ है, तो खरीददार के पास खरीददार व ऋणदाता द्वारा पारस्परिक रूप से तय किए गए मुआवजे का बीईएसएसडी को भुगतान करके परियोजना की संपत्ति का अधिग्रहण करने का अधिकार (लेकिन बाध्यकारी नहीं होगा) होगा।
 - iii. यदि खरीददार उपरोक्त विकल्प का प्रयोग नहीं करने का विकल्प चुनता है, या खरीददार और ऋणदाता एक समझौते पर आने में असमर्थ हैं, तो ऋणदाता परियोजना की संपत्ति का परिसमापन कर सकते हैं और अंतिम उपाय के रूप में अपनी बकाया राशि की वसूली कर सकते हैं।

2. खरीददार चूक की घटना और उसके परिणाम

- क) यदि खरीददार अन्य बातों के साथ-साथ निर्धारित समय अवधि के भीतर मासिक और/या पूरक बिलों का भुगतान करने में विफलता या बीईएसपीए के परित्याग सहित कारणों से, चूक करता है, तो चूककर्ता खरीददार बीईएसएसडीकी पूर्व सहमति के अधीन, बीईएसपीए/ बीईएसएएसए के अपने हिस्से को निर्धारित अवधि के भीतर अपने सहयोगियों सहित किसी भी तीसरे पक्ष को नवीकृत करेगा। इस मामले में, खरीददार परियोजना की संपत्ति को बीईएसएसडी द्वारा बनाए रखने और बीईएसपीए/ बीईएसएएसए बाहर निकलने के साथ-साथ अपनी अनुबंधित क्षमता के लिए घोषित उपलब्धता के आधार पर 3 (तीन) महीने या शेष बीईएसपीए अवधि, जो भी कम हो, की ऊर्जा बिलिंग के बराबर राशि का भुगतान करेगा। खरीददार द्वारा बीईएसएसडी से सीधी खरीद के मामले में, खरीददार द्वारा बीईएसएसडी को उपरोक्त भुगतान किया जाएगा। एक मध्यस्थ खरीददार के माध्यम से बिजली की खरीद के मामले में, उपरोक्त भुगतान अंतिम खरीददार द्वारा मध्यस्थ खरीददार को किया जाएगा।
- ख) उस स्थिति में जब बीईएसपीए का नवीकरण बीईएसएसडी को स्वीकार्य नहीं है, या निर्धारित अवधि के भीतर चूक करने वाले खरीददार द्वारा बीईएसपीए के नवीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं दिया जाता है, तो बीईएसएसडी बीईएसपीए को समाप्त कर सकता है अथवा एक वैकल्पिक खरीददार खोज कर परियोजना का संचालन जारी रखना परियोजना के संचालन को बंद करना, इनमें से कुछ भी चुन सकता है। यदि बीईएसएसडी परियोजना का संचालन जारी रखने का विकल्प चुनता है, तो खरीददार बीईएसएसडी को, घोषित उपलब्धता के अनुरूप 6 (छह) महीने की ऊर्जा बिलिंग के बराबर 'समापन मुआवजा', या शेष बीईएसपीए अवधि, जो भी कम हो, अपनी अनुबंधित क्षमता के लिए भुगतान करेगा।
- ग) यदि बीईएसएसडी परियोजना के संचालन को बंद करने का फैसला करता है, तो उसे चूककर्ता को 'समापन मुआवजे' का भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है जो देय ऋण की राशि और 110% समायोजित इक्विटी का (एक सौ दस प्रतिशत) बीमा कवर को घटाकर यदि कोई हो, के बराबर होगा।
- घ) एक ही निविदा के तहत एक मध्यस्थ खरीददार के माध्यम से एक से अधिक खरीददारों द्वारा खरीद के परिदृश्य में, मध्यस्थ खरीददार अपने संबंधित बीईएसपीएके तहत एक या एक से अधिक खरीददारों द्वारा चूक से निपटने के लिए उपयुक्त प्रावधान प्रदान कर सकता है।
- ङ) बीईएसपीए की समाप्ति की स्थिति में, संयंत्र की कनेक्टिविटी के लिए एसटीयू/सीटीयू को देय किसी भी नुकसान या शुल्क को खरीददार द्वारा वहन किया जाएगा।

नोट: सभी मामलों में, ऋणदाता उपयुक्त होने पर भी वित्तीय दस्तावेजों में यथा उपबंधित, हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसके अलावा, सभी मामलों में, चूककर्ता पक्ष को इस तरह के भुगतान की नियत तारीख से 3 महीने के भीतर लागू मुआवजे का भुगतान करना होगा, जिसके बाद, चूककर्ता पक्ष को मुआवजे के 1% की दर से मासिक ब्याज का भुगतान करना होगा।

ज. विधि में परिवर्तन

- इन दिशानिर्देशों में, 'विधि में परिवर्तन' शब्द बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद निम्नलिखित घटनाओं में से किसी भी घटित होने वाली उस घटना को संदर्भित करेगा जिसका परियोजना पर सीधा प्रभाव पड़ता है औरलागत में अनुरूप परिवर्तन होने से, टैरिफ में परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है, और इसमें शामिल है (i) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी विधि के निर्वाचन में परिवर्तन; या (ii) किसी नए कानून का अधिनियमन; या (iii) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा शुल्क, उद्ग्रहण, उपकर, प्रभार या अधिभार सहित किसी भी घरेलू कर में परिवर्तन, जिसके परिणामस्वरूप लागत में तत्स्थानी परिवर्तन हो; या (iv) विद्युत की खरीद, आपूर्ति या पारेषण के लिए प्राप्त किए गए या प्राप्त किए जाने वाले अनुमोदन या अनुज्ञप्ति की किसी भी शर्त में परिवर्तन, जब तक कि विद्युत की खरीद, आपूर्ति या पारेषण के लिए करार में विशिष्ट रूप से अपवर्जित न किया गया हो, जिसके परिणामस्वरूप लागत में कोई परिवर्तन हो। तथापि, विधि/विनियम में परिवर्तन में (i) कॉर्पोरेट आय पर करों में कोई परिवर्तन या आय या लाभांश पर किसी भी प्रकार की कर कटौती में कोई परिवर्तन, या (ii) उपयुक्त आयोग द्वारा विचलन समाधान प्रभार या आवृत्ति अंतराल के संबंध में परिवर्तन शामिल नहीं होगा। इस प्रावधान में "विधि" शब्द में भारत देश में प्रवृत्त कोई अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, उप-विधि, नियम, विनियम, अधिसूचना सम्मिलित है।

2. यदि विधि में परिवर्तन के परिणामस्वरूप बीईएसएसडी/खरीददार को कोई प्रतिकूल वित्तीय हानि/लाभ होता है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि बीईएसएसडी/खरीददार को उसी वित्तीय स्थिति में रखा गया है जैसा कि वह विधि/विनियमन में परिवर्तन होने पर नहीं होता, जैसा भी मामला हो, बीईएसएसडी/खरीददार दूसरे पक्ष द्वारा मुआवजे का हकदार होगा। इस तरह के 'विधि में परिवर्तन' के कारण मुआवजे का भुगतान निर्धारित किया जाएगा और उस तारीख से प्रभावी होगा जैसा कि उपयुक्त आयोग द्वारा तय किया जाए।
3. **विधि में परिवर्तन के कारण देय मुआवजा:**
 - क. परियोजना के चालू होने से पहले होने वाले विधि में परिवर्तन के मामले में, मुआवजे को परियोजना लागत में वृद्धि/कमी के साथ जुड़े टैरिफ में वृद्धि/कमी के रूप में पारित किया जाएगा, जिसका भुगतान स्वचालित रूप से मासिक ऊर्जा बिलिंग के माध्यम से किया जाएगा। इस मामले में पास श्रू, परियोजना के चालू होने की तारीख से प्रभावी होगा। बोली दस्तावेजों में टैरिफ में लागू वृद्धि/कमी की गणना के लिए उपयुक्त सूत्र/प्रावधान शामिल होंगे।
 - ख. परियोजना क्षमता के चालू होने के बाद होने वाले विधि में परिवर्तन के मामले में, और करों/शुल्कों/उपकर आदि में परिवर्तन को प्रतिशत या टैरिफ के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, टैरिफ में परिवर्तन स्वचालित रूप से उचित वृद्धि/कमी के रूप में हस्तांतरित कर दिए जाएंगे और मासिक ऊर्जा बिलिंग के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।
 - ग. उपरोक्त दोनों मामलों में, बीईएसपीए में निर्धारित फार्मूले के अनुसार पास-श्रू, कानून की घटना में इस तरह के परिवर्तन के तहत राहत के लिए अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए प्रभावित पक्ष द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 60 दिनों के बाद स्वचालित रूप से प्रभावी हो जाएगा।
 - घ. कानून की घटनाओं में उपरोक्त परिवर्तन के कारण गणना की जांच उपयुक्त आयोग द्वारा की जाएगी। उपयुक्त आयोग द्वारा किसी भी निर्णय की स्थिति में, जो टैरिफ में किसी भी बदलाव को संशोधित या रद्द करता है, उस समय तक पहले से भुगतान की गई राशि की वसूली / अतिरिक्त भुगतान, उपयुक्त रूप से किया जाएगा।
 - ङ. परियोजना की परिचालन अवधि के दौरान विधि में परिवर्तन के मामले में, और जहां इस तरह के परिवर्तन टैरिफ में स्वतः संशोधन के रूप में लागू नहीं होते हैं, उपयुक्त आयोग द्वारा निर्णय के अनुसार यथोचित मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
 - च. यदि विधि में परिवर्तन के परिणामस्वरूप कमीशनिंग में देरी होती है, जहां इन दोनों के बीच कारण और प्रभाव स्पष्ट रूप से स्थापित किया जा सकता है, तो खरीददार परियोजना के वित्तीय समापन और कमीशन की समय सीमा के लिए उपयुक्त विस्तार प्रदान कर सकता है।

ट. प्रमोटर द्वारा धारित की जाने वाली न्यूनतम प्रदत्त शेयर पूंजी

1. सफल बोलीदाता, यदि एकल कंपनी है, सुनिश्चित करेगा कि बीईएसपीए को क्रियान्वित करने वाली एसपीवी/परियोजना कंपनी में उसकी हिस्सेदारी वाणिज्यिक संचालन तारीख (सीओडी) से पहले किसी भी समय 51% (इक्यावन प्रतिशत) से कम नहीं होगी। यदि सफल बोलीदाता एक संघ है, तो बीईएसपीए को क्रियान्वित करने वाली एसपीवी/परियोजना कंपनी में संघ के सदस्यों की संयुक्त शेयरधारिता सीओडी से पहले किसी भी समय 51% से कम नहीं होगी। इसके अलावा, यदि परियोजना को सफल बोलीदाता द्वारा स्वयं निष्पादित किया जाता है, तो यह सुनिश्चित करेगा कि बोली लगाने वाली कंपनी/संघ की नियंत्रक शेयरधारिता सीओडी तक अपरिवर्तित रहे। सफल बोलीदाता, खरीददार के साथ बीईएसपीए पर हस्ताक्षर करने से पहले, खरीददार को अपनी शेयरधारिता के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।
2. सीओडी के बाद शेयरधारिता में कोई भी परिवर्तन खरीददार को सूचित करते हुए किया जा सकता है।
3. यदि बीईएसएसडी ऋणदाता (ऋणदाताओं) के लिए चूक करता है, तो ऋणदाता खरीददारों की सहमति से "प्रमोटर का प्रतिस्थापन" करने के हकदार होंगे।

ठ. निर्माण और निष्पादन निगरानी

इन दिशानिर्देशों के तहत शामिल सभी ग्रिड से जुड़ी परियोजनाओं को परियोजना के निष्पादन को लगातार रिकॉर्ड करने के लिए आवश्यक उपकरण स्थापित करने होंगे। बीईएसएसडी को इस डेटा को बीईएसपीए की पूरी अवधि में

आरएफएस दस्तावेजों में यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों/अभिकरणों को ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में, वे अनिवार्य रूप से 24x7 आधार पर बिजली संयंत्रों के रिमोट मॉनिटरिंग पोर्टल के लिए खरीददार और एमएनआरई या किसी अन्य नामित एजेंसी को पहुंच प्रदान करेंगे। परियोजनाओं की जियो-टैगिंग अनिवार्य होगी।

ड. राज्य नोडल एजेंसियों और अन्य सुगमकर्ताओं की भूमिका

संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त राज्य नोडल एजेंसियां समयबद्ध तरीके से आवश्यक अनुमोदनों और स्वीकृतियों को सुगम बनाने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेंगी ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर परियोजनाओं की कमीशनिंग प्राप्त की जा सके। इसमें निम्नलिखित क्षेत्रों में सुगमता शामिल हो सकती है:

- I. परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय
- II. परियोजनाओं की कमीशनिंग के दौरान सहायता।

खंड V: विविध प्रावधान

क. दिशानिर्देशों में परिभाषित प्रक्रिया से विचलन

यदि इन दिशानिर्देशों से कोई विचलन होता है, तो यह उपयुक्त सरकार द्वारा पूर्वानुमोदन के अधीन होगा।

ख विवाद समाधान तंत्र

भारत सरकार केंद्र में विवाद समाधान तंत्र प्रदान करने के लिए उपयुक्त आदेश जारी कर सकती है और राज्य सरकार से राज्य स्तर पर इस तरह के तंत्र पर विचार करने का अनुरोध कर सकती है। ये विवाद समाधान तंत्र कानून के प्रावधानों से पृथक अतिरिक्त फोरम होंगे और संबंधित पक्षों द्वारा विकल्प चुने जाने के आधार पर उपयोग में लाए जा सकते हैं।

ग. लागू कानून और विनियम

इन दिशानिर्देशों के तहत की जा रही सभी गतिविधियां/खरीद सरकार के समय-समय पर यथा संशोधित कानूनों और विनियमों के अधीन होंगी।

परिशिष्ट 1

इन दिशानिर्देशों के भाग III के खंड 1.4 और 1.5 में दर्शाई गई समय-सीमा के संबंध में टिप्पणियाँ

- क. पट्टा/भू संपत्ति के उपयोग करने का अधिकार आदर्श रूप से कम से कम बीईएसपीए की अवधि के साथ समवर्ती होना चाहिए। तथापि, संबंधित राज्यों में लागू कानूनों के आधार पर पट्टे की कम अवधि की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे मामलों में, सरकारी संस्थाओं द्वारा भूमि पट्टे/उपयोग के अधिकार का विस्तार करने में विफलता को अप्रत्याशित घटना के रूप में शामिल किया जाना चाहिए, जिसके लिए खरीददार द्वारा बीईएसएसडी को मुआवजे का भुगतान करने की आवश्यकता होगी, परंतु उपरोक्त घटना के परिणामस्वरूप परियोजना संचालित करने के अनुमति नहीं दी जा रही हो।
- ख. बीईएसएसडी द्वारा भूमि पट्टे/किराया शुल्क के भुगतान के लिए भुगतान अनुसूची, आरएफएस/बीईएसपीए दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी और उपरोक्त अनुसूचियों में परिवर्तन को इन दिशानिर्देशों से विचलन के रूप में नहीं माना जाएगा, जिसके लिए अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
- ग. खरीददार द्वारा अभिचिन्हित की गई साइट के मामले में, यदि कोई विशेष लक्ष्य खरीददार के परिचालन कार्यक्षेत्र में नहीं है, तो खरीददार सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर, संबंधित अधिकारियों से उपरोक्त समय सीमा के भीतर आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने की सुविधा का समर्थन करेगा।
- घ. आरई पार्क में स्थापित की जा रही परियोजनाओं के मामले में, आरई पार्क विकासकर्ता द्वारा दायित्वों को पूरा करने की समय-सीमा, जैसी कि ऊपर की अभिचिन्हित की गई है, को भारत सरकार द्वारा जारी संबंधित आरई पार्क दिशानिर्देशों में प्रदान की गई समय-सीमा के साथ, संरेखित करने की आवश्यकता होगी।
- ड. आरई पार्क में स्थापित की जा रही परियोजनाओं के मामले में, उपरोक्त समय-सीमा बीईएसएसडी और पार्क विकासकर्ता के बीच निष्पादित किए जाने वाले भूमि पट्टा समझौते/उपयोग के अधिकार समझौते का हिस्सा बनेगी। दो संस्थाओं के बीच एक और अनुबंध निष्पादित किया जाएगा, जिसे "कार्यान्वयन समर्थन अनुबंध (आईएसए)" कहा

जाएगा, जो स्पष्ट रूप से अनुबंध के प्रत्येक पक्ष की अन्य मदों, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करेगा। लागू आरई पार्क दिशानिर्देशों के अनुरूप पार्क विकासकर्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को उपरोक्त समझौते में स्पष्ट रूप से अभिचिन्हित किया जाएगा, और अतिरिक्त भुगतान शर्तों, यदि कोई हो, के साथ की जाने वाली आवश्यक और गैर-आवश्यक बुनियादी ढांचा गतिविधियों के लक्ष्यों को बिना किसी अस्पष्टता के यदि कोई हो, इंगित किया जाना चाहिए।

- च. उपरोक्त दोनों परिदृश्यों में, खरीददार/पार्क विकासकर्ता के दायित्व के तहत किसी भी लक्ष्य को पूरा करने में देरी के परिणामस्वरूप बीईएसपीए पर हस्ताक्षर करने, एफसी और एससीडी समय सीमा का उपयुक्त विस्तार होगा। इसे आरएफएस, बीईएसपीए, आईएसए और भूमि पट्टा समझौतों में उपयुक्त रूप से स्पष्ट किया जाएगा।
- छ. बीईएसएसडी द्वारा अपने दायित्वों के भुगतान में देरी के मामले में, संबंधित समझौते में बीईएसएसडी पर लगाए जाने वाले लागू परिसमापन नुकसान को निर्धारित किया जाएगा।
- ज. किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने में देरी और/या केवल बीईएसएसडी के कारण भुगतान करने में देरी के मामले में, परियोजना लक्ष्यों में कोई विस्तार नहीं होगा।

परिशिष्ट-2

बीईएसएस के तकनीकी मापदंड, बीईएसएस विशेषता और निष्पादन मापदंड

क. कोड और मानक

बीईएसएस निम्नलिखित संहिताओं और मानकों या समकक्ष भारतीय मानकों, जैसा लागू हो, का पालन करेगा।

मानक	विवरण	प्रमाणन आवश्यकताएँ
आईईसी 62485-2	द्वितीयक बैटरी और बैटरी संस्थापन के लिए सुरक्षा आवश्यकताएँ - निर्माण, उपयोग, निरीक्षण, रखरखाव और निपटान से जुड़े सुरक्षा पहलुओं पर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए: लीड एसिड और एनआईसीडी / एनआईएमएच बैटरी के लिए लागू	केवल लीड एसिड और एनआईसीडी/एनआईएमएच बैटरियों के लिए लागू
यूएल1642 अथवा यूएल1973, परिशिष्ट-ड (सेल) अथवा आईईसी 62619 (सेल) + आईईसी 63056 (सेल)	क्षारीय या अन्य गैर-एसिड इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त द्वितीयक सेल और बैटरी - औद्योगिक अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए द्वितीयक लिथियम सेलों और बैटरी की सुरक्षा आवश्यकताएँ	सेल के लिए आवश्यक
यूएल 1973 (बैटरी) अथवा (आईईसी 62619 (बैटरी) + आईईसी 63056 (बैटरी))	स्थिर, वाहन सहायक विद्युत और लाइट इलेक्ट्रिक रेल (एलईआर) अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए बैटरियों/द्वितीयक सेल और क्षारीय या अन्य गैर-एसिड इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त बैटरी- औद्योगिक अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए द्वितीयक लिथियम सेलों और बैटरियों के लिए सुरक्षा आवश्यकताएँ	बैटरी स्तर के लिए या तो यूएल 1642 या यूएल 1973 अथवा (आईईसी 62619 + आईईसी 63056)
आईईसी 62281/यूएन 38.3	परिवहन के दौरान प्राथमिक और द्वितीयक लिथियम सेल और बैटरी की सुरक्षा: लिथियम आयन रसायनों का उपयोग करने वाले भंडारण प्रणाली के लिए लागू	बैटरी और सेल दोनों के लिए आवश्यक
आईईसी 61850/डीएनपी3	संचार नेटवर्क और प्रबंधन प्रणाली। (बीईएसएस नियंत्रण प्रणाली संचार)	

यूएल 9540 अथवा (आईईसी टीएस 62933-5-1 + आईईसी 62933-5-2)	विद्युत ऊर्जा भंडारण (ईईएस) प्रणाली - भाग 5-1: ग्रिड-एकीकृत ईईएस प्रणाली के लिए सुरक्षा विचार - सामान्य विनिर्देश / ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए मानक और उपकरण	बीईएसएसप्रणाली स्तर के लिए या तो यूएल 9540 अथवा (आईईसी 62933-5-1 + आईईसी 62933-5-2) आवश्यक है
---	--	---

बीईएसएसके लिए पावर कंडीशनिंग यूनिट मानक

आईईसी 62909-1	द्वि-दिशात्मक ग्रिड कनेक्टेड पावर कन्वर्टर - भाग 1: सामान्य आवश्यकताएं
आईईसी 62909-2 (यदि लागू हो)	द्वि-दिशात्मक ग्रिड-कनेक्टेड पावर कन्वर्टर - भाग 2: जीसीपीसी का इंटरफ़ेस और वितरित ऊर्जा संसाधन
आईईसी 61683 ईडी.1	फोटोवोल्टिक सिस्टम - पावर कंडीशनर - दक्षता मापने की प्रक्रिया
आईईसी 61000-6-2 ईडी.2	विद्युत चुंबकीय संगतता (ईएमसी) - भाग 6-2: सामान्य मानक - औद्योगिक वातावरण के लिए प्रतिरक्षा मानक
आईईसी 61000-6-4 ईडी. 2.1	विद्युत चुंबकीय संगतता (ईएमसी) - भाग 6-4: सामान्य मानक - औद्योगिक वातावरण के लिए उत्सर्जन मानक
आईईसी 62116 ईडी 2	यूटिलिटी-इंटरकनेक्टेड फोटोवोल्टिक इनवर्टर - आइलैंडिंग रोकथाम उपायों की परीक्षण प्रक्रिया
आईईसी 60068-2-1: 2007	पर्यावरण परीक्षण - भाग 2-1: परीक्षण - परीक्षण क: शीत
आईईसी 60068-2-2:2007	पर्यावरण परीक्षण - भाग 2-2: परीक्षण - परीक्षण ख: शुष्क ऊष्मा
आईईसी 60068-2-14:2009	पर्यावरण परीक्षण - भाग 2-14: परीक्षण - परीक्षण एन: तापमान में परिवर्तन
आईईसी 60068-2-30:2005	पर्यावरण परीक्षण - भाग 2-30: परीक्षण - परीक्षण डीबी: नम ऊष्मा, चक्रीय (12 एच + 12 एच चक्र)

ख. सामान्य विनिर्देश

- 1. पहचान और पता लगाने की क्षमता:** सेल/रैक/पैक असेंबली बीईएसएस के संयंत्र स्थान के लिए भूकंपीय आवश्यकता को पूरा करेगी। सेल/बैटरियों की लेबलिंग में निर्माता का नाम, सेल का प्रकार, नेम-प्लेट रेटिंग, निर्माण की तारीख और भागों की समाप्ति की तारीख और श्रम वारंटी शामिल होगी।
- 2. अन्य उप-प्रणालियां/घटक:** बीईएसएस में प्रयुक्त अन्य उप-प्रणालियों/घटकों को भी विद्युत सुरक्षा के लिए प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होने के साथ-साथ, अपेक्षित सेवा जीवन और मौसम प्रतिरोध सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक गुणवत्ता के लिए भी होना चाहिए।
- 3. अग्नि सुरक्षा:** बीईएसएसडी राष्ट्रीय और स्थानीय कोड के अनुरूप अग्नि सुरक्षा प्रणाली को डिजाइन और संस्थापित करेगा। अग्नि सुरक्षा प्रणाली के डिजाइन और संबंधित अलार्म को ध्यान में रखना चाहिए कि बीईएसएस ज्यादातर समय अनुपस्थित रहेगा। उच्च ऊर्जा घनत्व प्रौद्योगिकियों के लिए, बीईएसएसडी बैटरी भंडारण प्रणालियों का थर्मल रनअवे लक्षण भी प्राप्त करेगा।
- 4. अधिकृत परीक्षण केंद्र:** विद्युत संयंत्रों में लगे बैटरियों/पावर कंडीशनिंग इकाइयों के पास आईएलएसी सदस्य हस्ताक्षरकर्ता मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में से एक द्वारा उपरोक्त निर्दिष्ट आईईसी/बीआईएस मानकों के अनुसार उनकी योग्यता के लिए वैध परीक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए। मॉड्यूल प्रकार/बीईएसएस/उपकरणों के मामले में जिनके लिए ऐसी परीक्षण सुविधाएं वर्तमान में भारत में उपलब्ध नहीं हो सकती हैं, विदेशों में प्रतिष्ठित आईएलएसी सदस्य निकाय मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से परीक्षण प्रमाण पत्र स्वीकार्य होंगे।

5. वारंटी: बीईएसएसडी आरएफएस की शर्तों के अनुसार पूर्वनिर्धारित आवेदन (आवेदनों) के लिए न्यूनतम निष्पादन स्तर सुनिश्चित करने के लिए निष्पादन गारंटी प्राप्त करेगा। वारंटी स्पष्ट रूप से आवेदन के लिए प्रदान की गई डिस्चार्ज प्रोफाइल को देखते हुए जीवन प्रत्याशा को इंगित करेगी।

ग. निष्पादन निगरानी

निष्पादन निगरानी के भाग के रूप में, निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे:

क. बीईएसएसडी को मौजूदा नियमों के अनुसार मीटरिंग व्यवस्था के साथ-साथ बीईएसएस के ऑपरेटिंग मापदंडों (वोल्टेज, करंट, परिवेश की स्थिति आदि सहित लेकिन इन तक सीमित नहीं) के साथ-साथ बीईएसएस से ऊर्जा इनपुट और ऊर्जा आउटपुट को मापने के लिए आवश्यक उपकरण स्थापित करना चाहिए। उन्हें अनुबंध की पूरी अवधि के लिए यह डेटा संबंधित अधिकारियों/संगठनों को ऑनलाइन और/या नियमित आधार पर एक रिपोर्ट के माध्यम से हर महीने जमा करना होगा।

ख. एसपीडी डेटा के ऑनलाइन हस्तांतरण की सुविधा के लिए किसी भी अतिरिक्त निगरानी उपकरण को संस्थापित करने के लिए संबंधित अधिकारियों/संगठनों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों तक पहुंच प्रदान की जाएगी।

ग. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सभी डेटा अनुबंध की पूरी अवधि के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

घ. संयंत्र स्कांडा ओपीसी संस्करण 2.0क (या ओपीसीयू सहित बाद का संस्करण) के अनुरूप होना चाहिए और ओपीसीसंस्थान के विनिर्देश के अनुसार उपयुक्त ओपीसी -डीएसर्वर को लागू करना चाहिए। संबंधित अधिकारियों/संगठनों को वास्तविक समय ऑनलाइन डेटा (बीईएसएस पैरामीटर) प्रदान करने के लिए सभी डेटा इस ओपीसी सर्वर के माध्यम से सुलभ होना चाहिए। निगरानी की सुविधा के लिए इस बार श्रृंखला डेटा परियोजना स्कांडा प्रणाली से उपलब्ध होगा और इसमें निष्पादन की निगरानी के लिए दैनिक, मासिक और वार्षिक रिपोर्ट की सुविधा के लिए पहले बताए गए मापदंडों के अलावा अन्य को शामिल होना चाहिए।

ड. वेब आधारित निगरानी उपलब्ध होनी चाहिए, जो मशीन पर निर्भर न हो। वेब-आधारित निगरानी को वही स्क्रीन प्रदान करने चाहिए जो संयंत्र में उपलब्ध हैं।

इसके अलावा, पीडीएफ या एक्सेल प्रारूप में दूरस्थ वेब-क्लाइंट से रिपोर्ट डाउनलोड करना संभव होना चाहिए।

च. बीईएसएस से यूनिट बैटरियों का सुरक्षित निपटान

विकासकर्ता खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016, समय-समय पर यथासंशोधित, के तहत जैसा लागू हो, आवश्यकताओं का पालन करेगा। बीईएसएसडी यह सुनिश्चित करेगा कि संयंत्र से सभी यूनिट बैटरी मॉड्यूल उनके 'जीवनकाल समाप्त' हो जाने (जब वे दोषपूर्ण/गैर-प्रचालन/गैर-मरम्मत योग्य हो जाते हैं) के बाद सरकार द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर यथासंशोधित "ई-अपशिष्ट (प्रबंध और हैंडलिंग) नियम, 2016", और भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, के अनुसार निपटाया जाता है।

घनश्याम प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 10th March, 2022

No. 23/16/2020-R&R Part (1).—

Guidelines for Procurement and Utilization of Battery Energy Storage Systems as part of Generation, Transmission and Distribution assets, along with Ancillary Services

SECTION I: BACKGROUND AND INTRODUCTION

A. PREAMBLE

1. Background

- The growth of renewable energy in India has been one of the key success stories of the nation's energy sector. Today, Solar and Wind power have become integral to the nation's energy mix at par with the conventional energy sources. India has already achieved installation of 150 GW of

RE capacity enroute the ambitious journey of installing 500 GW of non-fossil energy capacity. With the share of RE in India's energy mix significantly increasing, and in view of the targeted energy mix by 2030, it is pertinent to plan for optimum utilization of resources and selection of right resource mix to meet the projected energy demand of the country.

- b. With various global developments in technology and manufacturing, RE power has become the most affordable and clean source for annual energy requirements. Initial capacities have been successfully integrated to the grids so far, but with increasing penetration of RE in the energy mix, further capacity addition is expected to face issues due to supply-demand mismatch, wherein generation from RE sources happens mainly during the low demand period and has a characteristic of being infirm in nature. Some utilities have already started experiencing the effects of the integrating renewables into their grids and forcing curtailment of power. In this context, Central Electricity Authority (CEA), in its report titled "Optimal Generation Capacity Mix for 2029-30", dated January, 2020, has envisaged a key disruption of replacement of thermal based generation with renewable energy generation complemented with energy storage technology. In this regard, an excerpt from the above report is reproduced below:

"This has been possible with the downward trend of cost of solar panels and newer technology options like battery energy storage systems. In fact, the reduction in cost projections is very aggressive for Battery Energy Storage technology to render them financially viable in near future. In this context, planning for optimal generation capacity mix gains tremendous importance so as the future generation capacity mix is cost effective as well as environmental friendly, a horizon of 10-12 years is sufficient to gear up the systems and policies in the right direction to achieve the optimal generation mix."

- c. In addition to the above, Ancillary Services have been an integral part of the electricity ecosystem all over the world. The basic services of frequency and voltage control are embedded in the electricity supply system and in order to enable provision of these basic services, specific support services are required to complement reliable and efficient grid operation. These support services which act as 'Value added Services' are known as 'Ancillary Services'. The Ancillary Services comprise of services required for maintaining load-generation balance (frequency control), maintaining voltage and reactive power support and maintaining generation & transmission reserves. As an initial step, the Central Electricity Regulatory Commission (CERC) had in 2013 floated a Staff Paper on "Introduction of Ancillary Services in Indian Electricity Market". The Staff Paper had discussed about the types of Ancillary Services such as the real power support services or Frequency Support Ancillary Services/ Load following, Voltage or reactive power support services and Black start support services. It was envisaged that the generators having surplus capacity, (i.e. either un-requisitioned surplus capacity by the beneficiaries of that capacity or generators who could not sell their capacity in the market and/or surplus captive capacity) may be allowed to bid into the power exchange, in a separate market segment.
- d. Pursuant to above, CERC issued Regulations on Ancillary Service operation in August, 2015. After consultations with the stakeholders, CERC decided that in order to meet the current requirement, tertiary frequency control through utilization of un-despatched surplus capacity available in generating stations at the inter-state level, whose tariff is determined/adopted by CERC, may be introduced as Reserve Regulation Ancillary Service (RRAS). The variable cost of RRAS provider is considered for merit order despatch. In order to facilitate Congestion management, transmission constraints (both interregional and intraregional) are considered during despatch of RRAS. Both the fixed charges and variable charges are paid to the RRAS providers with a mark-up as an incentive. The fixed charges are in turn refunded to the original beneficiary(s) in proportion to the power surrendered. Therefore, at present the ancillary services in India are provided by resources which are spinning and already scheduled at a certain MW level with both headroom and legroom margins available (as reserves) for regulating up and down. While, the scheduled MW is decided by the market participants, the System Operator utilizes only the headroom and legroom of generation margins as ancillary services for frequency control.
- e. As the demand grows to match the generating capacity, the present ancillary system is being changed, the new ancillary system needs to integrate Energy Storage Systems (ESS) with existing

and upcoming RE capacity in order to optimize generation and transmission mix. Guidelines for setting up of new RE capacity through tariff-based bidding mechanism are already in place. With respect to increasing the storage component in the energy mix, Ministry of Power had requested the CEA in April, 2021, to submit a report on identification of usage of storage as business case and for ancillary services. The Report identifies Pumped Hydro Storage System (PSP) and Battery Energy Storage Systems (BESS) as the commercially deployed solutions for providing requisite storage capacity. The said CEA Study has revealed that the planning model selects the battery energy storage system from the year 2027-28 onwards and a Battery Energy Storage capacity of 27,000 MW/108,000 MWh (4-hour storage) is projected to be part of the installed capacity in 2029-30. This will be in addition to 10,151 MW of Pumped Hydro Storage System envisaged to be a component of the installed capacity in 2029-30.

- f. With the limited support available from existing Pumped Hydro Storage Plants and the long gestation period for the new Pumped Hydro Storage Plants, the circumstances merit consideration of Battery Energy Storage System (BESS) as one of the sources of resource adequacy for the Indian power system. RE plus storage/BESS can provide the required flexibility in generation apart from ensuring the resource adequacy.

2. Objectives

The specific objectives of these Guidelines are as follows:

- a. To facilitate procurement of BESS, as part of individual RE power projects or separately, for addressing the variability/firming power supply / increasing energy output / extending the time of supply from an individual RE project or a portfolio of RE projects, augmentation of existing RE Projects and/or to provide ancillary, grid support and flexibility services for the grid.
- b. To facilitate procurement of BESS for optimum utilization of transmission and distribution network.
- c. To ensure transparency and fairness in procurement processes/ and to provide for a framework for an Intermediary Procurer as an Aggregator / Trading licensees / Implementing Agency for the inter-state/intra-state sale-purchase of power.
- d. To provide standardization and uniformity in processes and a risk-sharing framework between various stakeholders, involved in the energy storage and storage capacity procurement, thereby encouraging competition and enhanced bankability of the Projects.

SCOPE OF THE GUIDELINES

1. Applicability of Guidelines

These Guidelines are being issued under the provisions of Section 63 of the Electricity Act, 2003 for procurement of energy from BESS by the 'Procurers', through competitive bidding, from grid-connected Projects to be set up on "Build-Own-Operate" or "Build-Own-Operate-Transfer" basis, with following minimum project size and bid capacity requirements:

- (i) For Intra-State Projects: Minimum individual project size of power rating of 1MW and above with suitable energy rating based on application at one site with minimum bid capacity of 1MW; and
 - (ii) For Inter-State Projects: Minimum individual project capacity of 50 MW and above with suitable energy rating based on application at one site with minimum bid capacity of 50 MW at the minimum voltage level as specified by the extant CERC regulations/Detailed Procedure.
2. The provisions of these Guidelines shall be binding on the BESSD /Procurer/ Intermediary Procurer/End Procurer/Implementing Agency and the Authorised Representative of the Procurer. The process to be adopted in event of any deviation proposed from these Guidelines is specified in Clause A, Section V of these Guidelines.

3. Business Cases

Following business cases have been identified regarding utilization of BESS in supply of energy and grid maintenance:

- (i) RE supply with BESS: In this case, the BESS is included as part of the RE Project, and ownership of the RE and BESS assets lies with the Generator. These Projects may also be utilized to meet Peak power and firm dispatchable RE requirements of Procurers.
 - (ii) BESS with transmission infrastructure: This model is aimed at maximization of the utilization of the transmission Asset, increasing duration of usage of transmission system and Strengthen Grid Stability. These systems will enable large-scale optimization of transmission infrastructure by optimum utilization of transmission capacity and reducing network congestion. As a result, the requirement of augmentation of evacuation and transmission infrastructure gets drastically reduced.
 - (iii) Storage for ancillary services/ balancing services / flexible operations: The BESS, with fast ramp rate, is particularly suited for second-by-second management of interchange flows. The system operator (for eg. RLDC/NLDC and SLDCs) may use BESS for frequency control and balancing services to manage the inherent uncertainty/ variations in load and generation.
 - (iv) Storage for Distribution: This model aims at maximization of the utilization of the Storage Asset and strengthening DISCOM operations. Connected at the load centres, it may be suitably utilized by the Discom to manage its peak load, grid resilience, portfolio management and flexible operations. BESS can also be used to facilitate large scale expansion of electric mobility segment as part of major consumers for the Discoms. BESS can also be used as an optimum tool to achieve asset shifting by the Discoms, thereby increasing asset life.
 - (v) Standalone BESS for the Arbitrage operation which may be used by the Developer / owner or by the lessee including merchant operation.
 - (vi) The BESS developer/owner may sell storage space for a particular duration. In this case he will get capacity charges.
 - (vii) Any other business cases as found suitable by Procurers / Intermediary procurers / beneficiaries/ Generators
 - (viii) Along with the business cases mentioned at Sl. No (i) to (vii) above, it is possible that a certain component can also be earmarked for utilisation as merchant capacity by the BESS developer. This component may be traded in power market as per extant regulations.
4. These Guidelines shall be applicable for business cases identified above vide Sl. (ii) to (vii). For Sl. (i) above, i.e. in case of systems which contain RE generating stations along with BESS as a single Project (co-located or multi-located), the respective Standard Bidding Guidelines issued for procurement of power from Solar, Wind and Hybrid Power Projects, or the Unified Standard Bidding Guidelines, as issued by the Ministry of Power, shall be applicable.
 5. The BESS may be charged by RE power or non RE power or through a combination of RE and non-RE power, However, when it seeks to supply RE power, it will need to be charged with RE power only.

SECTION II: DEFINITIONS

The terms used in these Guidelines will have the following meanings:

1. **“Act”** shall mean the Electricity Act, 2003, including subsequent amendments and clarifications issued thereof.
2. **“Adjusted Equity”** shall mean the Equity funded in Indian Rupees and adjusted on the first day of the current month (the “Reference Date”), in the manner set forth below, to reflect the change in its value on account of depreciation and variations in Wholesale Price Index (WPI), and for any Reference Date occurring between the first day of the month of Appointed Date (the date of achievement of Financial Closure) and the Reference Date;
 - a. On or before Commercial Operation Date (COD), the Adjusted Equity shall be a sum equal to the Equity funded in Indian Rupees and expended on the Project, revised to the extent of one half of the variation in WPI occurring between the first day of the month of Appointed Date and Reference Date;

- b. An amount equal to the Adjusted Equity as on COD shall be deemed to be the base (the “Base Adjusted Equity”);
- c. After COD, the Adjusted Equity hereunder shall be a sum equal to the Base Adjusted Equity, reduced by 0.333% (zero point three threethree percent) thereof at the commencement of each month following the COD [reduction of 1% (one percent) per quarter of a year] and the amount so arrived at shall be revised to the extent of variation in WPI occurring between the COD and the Reference Date;

For the avoidance of doubt, the Adjusted Equity shall, in the event of termination, be computed as on the Reference Date immediately preceding the Transfer Date; provided that no reduction in the Adjusted Equity shall be made for a period equal to the duration, if any, for which the BESPA period is extended, but the revision on account of WPI shall continue to be made.

3. “**Affiliate**” in relation to a Company shall mean a person who controls, is controlled by, or is under the common control with such Company.
4. “**Annual Availability**” shall be as defined in the RfS.
5. “**Appropriate Commission**” shall have the same meaning as defined in the Act.
6. “**Authorised Representative**” of the Procurer: In cases, where the Battery Energy Storage Purchase Agreement (BESPA) signing agency and the agency carrying out the tendering / bidding process are different, the agency carrying out the tendering / bidding process shall be deemed to be the Authorized Representative of the ‘Procurer’ and will on behalf of the Procurer be responsible for fulfilling all the obligations imposed on the ‘Procurer’ during the bidding phase, in accordance with these Guidelines.
7. “**Battery Energy Storage System Developer**” or “**BESSD**” or “**Developer**” shall mean the entity owning/operating the BESS facility for supply of power under these Guidelines.
8. “**Battery Energy Storage Purchase Agreement**” or “**BESPA**” shall mean agreement entered by Intermediary Procurer or End Procurer (as applicable) with BESSD for procurement of BESS Capacity.
9. “**Battery Energy Storage Systems**” or “**BESS**” or “**Project**” shall mean the system(s)/projects utilizing methods and technologies such as electrochemical batteries (Lead Acid, Li-ion, solid state batteries, flow batteries, etc.), providing a facility that can store chemical energy and deliver the stored energy in the form of electricity, including but not limited to ancillary facilities (grid support., for example). Such systems may be co-located with RE Generating Stations, or may be operated on stand-alone basis.
10. “**Bidding Agency**” shall refer to the organization issuing tender documents and carrying out the selection process under these Guidelines.
11. “**Control**” shall mean the ownership, directly or indirectly, of more than 50% of the voting shares of such Company or right to appoint majority Directors.
12. “**Debt Due**” shall mean the aggregate of the following sums expressed in Indian Rupees outstanding on the Transfer Date:
 - a. The principal amount of the debt provided by the Senior Lenders under the Financing Agreements for financing the Total Project Cost (the ‘Principal’) but excluding any part of the principal that had fallen due for repayment 2 (two) years prior to the Transfer Date;
 - b. All accrued interest, financing fees and charges payable under the Financing Agreements on, or in respect of, the debt referred to in sub-clause (a) above until the Transfer Date but excluding: (i) any interest, fees or charges that had fallen due 2 (two) years prior to the Transfer Date, (ii) any penal interest or charges payable under the Financing Agreements to any Senior Lender, (iii) any pre-payment charges in relation to accelerated repayment of debt except where such charges have arisen due to Procurer Default, and (iv) any Subordinated Debt which is included in the Financial Package and disbursed by equity investors or their Affiliates for financing the Total Project Cost.

Provided that if all or any part of the Debt Due is convertible into Equity at the option of Senior Lenders and/or the Concessionaire, it shall for the purposes of this Agreement be deemed not to be Debt Due even if no such conversion has taken place and the principal thereof shall be dealt with as

if such conversion had been undertaken. Provided further that the Debt Due, on or after COD, shall in no case exceed 80% (eighty percent) of the Total Project Cost.

13. **“End Procurer”** shall mean the ultimate Procurer of energy from the Intermediary Procurer or the Battery Storage System Developer as the case maybe; and shall include the distribution licensee, bulk consumers, etc, as applicable.
14. **“Financial Closure”** or **“Project Financing arrangements”** shall mean arrangement of necessary funds by the Battery Storage System Developer towards 100 % project cost either by way of commitment of funds by the Company from its internal resources (by a resolution passed by the Board of Directors) and/or tie up of funds through a bank/financial institution by way of sanction of a loan or firm commitment letter agreeing to finance.
15. **“Intermediary Procurer”** or **“Implementing Agency”**: In some cases, an intermediary between the distribution licensee(s) and the BESSD(s), or an “Implementing Agency” as notified by the Government of India, may be required either to aggregate the power purchased and / or firming the same with large scale energy storage capacity from different developers, and sell it to the End Procurer(s). In such cases, the “Procurer” would be a trading licensee or an Implementing Agency, buying power from the Developer(s) and selling the same to one or more distribution licensees, such distribution licensees shall be the “End Procurer” and the trading licensee shall be “Intermediary Procurer” for the purpose of these Guidelines.
16. **“Procurer”** shall, as the context may require, shall mean the End Procurer, or an Intermediary Procurer.
17. **“Renewable Energy (RE) sources”** shall refer to ‘solar photovoltaic’ (hereinafter also referred as ‘solar’), ‘wind’ and ‘solar PV- wind hybrid’ (hereinafter also referred as ‘hybrid’) and other renewable energy sources as notified by the Government of India from time to time.
18. **“Renewable Power”** or **“RE Power”** The term ‘RE Power’, wherever used in these Guidelines, shall refer to power from Renewable Energy sources.
19. **“RE Park”** shall refer to areas or parks developed, in accordance with the Guidelines and/or Policies issued by Central or State Governments, for setting-up of RE power projects, including Solar, Wind or Solar-Wind Hybrid Power projects.
20. **“Request for Selection”** or **“RfS”** or **“Tender”** or **“Bid Document”** shall mean the tender documents issued by the Bidding Agency, including Energy Purchase and Energy Sale Agreements as applicable, for procurement of power through a competitive bidding process under these Guidelines.
21. **“Solar”**: The term ‘Solar’, wherever used in these Guidelines, shall refer to Solar Photovoltaic (PV) and Solar Thermal technologies or the power plant based on such technologies.
22. **“Wind”**: The term ‘Wind’, wherever used in these Guidelines, shall refer to Wind energy technology or the power plant based on such technology.

SECTION III: BIDDING PROCESS AND AWARD OF PROJECTS

A. PREPARATION FOR INVITING BIDS AND PROJECT PREPAREDNESS

1. Conditions to be met by Procurer

1.1. Bid Documentation:

- a. The Procurer shall prepare the bid documents in accordance with these Guidelines, except as provided in sub clause b below.
- b. The Procurer shall seek prior approval of the Appropriate Government for deviations, if any, in the draft RfS, draft BESPA, draft BESSA (if applicable) from these Guidelines, in accordance with the process described in Clause A, Section V of these Guidelines.
- c. In case of an ongoing bidding under process prior to notification of these Guidelines, the provisions of the specific tender documents shall prevail.

1.2. Site-related Project preparatory activities including clearances

In order to ensure timely commencement of supply of electricity being procured and to convince the bidders about the irrevocable intention of the Procurer, it is necessary that various Project

preparatory activities as mentioned in Clause 1.4 and Clause 1.5 below of these Guidelines are completed in time.

1.3. Arrangements related to site

As specified in the bidding documents to be issued by the Procurers, the Project may be set up either at the Project site specified by the Procurer, or at the Project site selected by the Developer. Multiple energy injection points in grid may be permitted, subject to provisions in the tender document. In case of multiple injection points, the capacity of Connectivity and Open Access for each individual energy injection point will be granted as per extant regulations as amended from time to time. Further, for a single Project with multiple injection points, scheduling and settlement as per Deviation Settlement Mechanism will be carried out for each injection point separately. In such cases, obligation of the Procurer will be to procure power from all or any of the points of injection, cumulatively upto the Contracted Capacity as per the BESPA, and connectivity granted at each injection point.

1.4. Project site specified by the Procurer

The Procurer may choose to locate the Project at a specified site and the same may be specified by the Procurer in the bidding documents. In such cases, to ensure timely commencement of supply of electricity, the Procurer and the Developer should ensure that various Project preparatory and implementation related activities as indicated below are completed by the respective entities as per the timelines indicated below.

Milestones	Deadline
Identification of 100% area of the land and substation (entails providing coordinates of land boundaries and substation location)- by the Procurer	As specified in tender documents
Provision of documents/agreements to indicate in-principle availability of 100 % of land - by the Procurer	As specified in tender documents
Tendering process	The bidding agency should try to conclude the tender within 3 months of issuance of the tender documents
Signing of BESPA	30 days after issuance of LoA (may be extended depending on tender conditions)
Signing of Land lease/right-to-use Agreement	Along with signing of BESPA
Grant of possession/right to use of 100% of land area identified (free from all encumbrances) along with forest clearance if applicable- by the Procurer	Within 60 days of signing of BESPA
Application for grant of Connectivity and Open Access by the STU/CTU (as applicable)-to be facilitated/applied for by the Procurer/BESSD	Within 30 days of issuance of LOA.
Financial Closure	In line with Clause B. of Section IV of these Guidelines.
Substation readiness for evacuation of power-by the Procurer	Matching with original SCOD of the Associated Transmission System
Other legal clearances as required-by the Procurer	15 days prior to SCD
Scheduled Commissioning Date (SCD)	In line with Clause C. of Section IV of these Guidelines.

1.5. Project site specified by the Procurer in an RE Park

The Procurer may choose to locate the Project in a specified zone characterized with proper infrastructure and access to amenities (RE Park) and the same may be specified by the Procurer in the bidding documents. The RE Park shall be developed as per the relevant Policies and/or Guidelines in this regard issued by MNRE/Central Government/State Government (foreg. "Guidelines for Development of Solar Parks", issued by MNRE for 'Solar Parks'). Notwithstanding this, to ensure

timely commencement of supply of electricity, the Procurer, the RE Park developer and the Project Developer should ensure that various Project preparatory and implementation related activities as indicated below are completed by the respective entities as per the timelines mentioned therein. For RE Parks, the responsibilities of the developer(s) of such Parks [for eg. Solar Power Park Developer (SPPD) in case of 'Solar Park'] shall flow from the relevant Policies and/or Guidelines for development of such Parks, issued by MNRE/Central Government/State Government and Implementation Support Agreement, if any, which defines the relationship between the developer of such park and the BESSD.

Milestones	Deadline
Identification of 100% area of the land and substation (entails providing coordinates of land boundaries and substation location)- by the Park Developer	As specified in tender documents
Provision of documents/ agreements to indicate in-principle availability of 100 % of land area at the initiation of bidding- by the Park Developer	As specified in tender documents
Tendering process	The bidding agency should try to conclude the tender within 3 months of issuance of the tender documents
Signing of BESPA	30 days after issuance of LoA (may be extended depending on the tender conditions)
Signing of Land lease agreement	Along with signing of BESPA
Grant of possession/right to use of at 100% of land area identified (free from all encumbrances) along with forest clearance if applicable-by the Park Developer	Within 60 days of signing of BESPA
Payment of upfront charges to the Park Developer- by the BESSD	To be paid in 3 instalments: 25% along with signing of Land lease agreement. Next 25% within 30 days of signing of Land lease agreement. Remaining 50% at the time of grant of possession/right to use of 100% of land area identified by the Park Developer
Application for Grant of Connectivity and Open Access by the STU/CTU (as per extant regulations)- to be facilitated/applied by the Park Developer	Within 30 days of issuance of LOA.
Financial Closure	In line with Clause B. of Section IV of these Guidelines.
Substation readiness for evacuation of power-by the Park Developer	Matching with original SCOD of Associated Transmission System
Other legal clearances as required-by the Park Developer	15 days prior to SCD
Scheduled Commissioning Date (SCD)	In line with Clause C. of Section IV of these Guidelines.

2. Project site selected by the BESSD

In case the Procurer does not specify a site and the Project site is selected by the BESSD, to ensure timely completion and commencement of supply of power, the bidder would be required to submit documents in respect of project milestones as per the time schedule specified herein below:

Milestones	Deadline
Tendering process- to be completed by the Bidding Agency	The bidding agency should try to conclude the tender within 3months of issuance of the tender documents
Signing of BESPA	30 days after issuance of LoA (may be extended depending on tender conditions)
Signing& Submission of Land related Documents	At the time of commissioning of the Project
Application for grant of Connectivity and Open Access by the STU/CTU (as applicable)	Within 30 days of LOA
Financial Closure	In line with Clause B. of Section IV of these Guidelines.
Scheduled Commissioning Date (SCD)	In line with Clause C. of Section IV of these Guidelines.

Further, the BESSD/Procurer (as applicable), within 30 days of issuance of LOA, shall apply for Connectivity/Open Access to the CTU/STU Grid (as required) for technical feasibility of Connectivity/Open Access of the plant to InSTS/ISTS substation which shall be processed as per the extant Regulations in vogue.

In addition to the documents as identified, a letter from State Transmission Utility (STU)/ Central Transmission Utility (CTU), (or RE power park developer, in case of selected site being in a RE park) as applicable, regarding connectivity from STU/CTU, as applicable, shall be required to be submitted by the BESSD prior to commissioning of the Project. If the Project site is located in the same State as the Procurer/ End Procurer, State Government shall endeavour to provide necessary support to facilitate the connectivity of the plant to InSTS/ISTS substation.

Obtaining all other clearances prior to Project commissioning as required for Project execution, shall be entirely the responsibility of the BESSD, and the Procurer shall not be responsible in case of delay in obtaining the above / such clearances. Provisions regarding treatment of the same will be explicitly provided in the tender documents.

B. BID STRUCTURE

1. Bid Package

The bids will be designed in terms of total capacity of storage. The minimum Project and package sizes for the bids are indicated at Sl. B.1. of Section I above. However, in order to have economies of scale, the Procurer is permitted to specify the minimum project size, that a bidder is allowed to bid for, to be more than the above specified limits, as the case may be. Notwithstanding this, on due consideration of availability of land and transmission facility, smaller bid sizes can be kept in case of North-Eastern States, Special Category States, and Projects outside RE Parks. The Procurer may also choose to specify the maximum capacity that can be allotted to a single bidder including its Affiliates keeping in mind factors such as economies of scale, land availability, expected competition and need for development of the market.

2. Bidding Parameters

The Procurer may invite bids for the procurement in terms of BESS Capacity. A Capacity Procurement would entail that the Procurer pays for the availability of storage capacity. The bidding parameter, accordingly, would be:

- a) Availability based fixed charge/ Annuity (INR per kW (or per MW) per year (or per month) as per terms and conditions of the Agreement and/or
- b) A quantum of VGF support required by the bidder for a pre-specified fixed Tariff/ Annuity specified

The Bidding Agency may specify in the RfS, one of the above bidding parameters depending on the BESS application and the Procurer off-take arrangements, which will be specified in the RfS.

The minimum Term of the BESPA is envisaged to be 8 years which could be increased as per requirement of procurement.

C. BIDDING PROCESS

1. The Procurer shall call for the bids adopting a single stage, two part (Technical Bid & Financial Bid), bidding process to be conducted preferably through electronic mode (e-bidding). The technical bid shall be opened first. The financial bids of only those bidders who qualify in the technical bid evaluation stage, shall be opened. The Procurer will carry out e-reverse auction for selection of successful bidders, which will be specifically mentioned in the notice inviting bids and bid document. E-procurement platforms with a successful track record and with adequate safety, security and confidentiality features will be used. In case of a RE Park specific project, intimation about the initiation of the bidding process shall be given by the Procurer to the RE Power Park Developer, who has to engage actively in the bidding process by providing all the necessary land and infrastructure related details.
2. The Procurer shall invite the bidders to participate in the RfS for installation of BESS based Projects, in terms of these Guidelines.
3. The bidding documents including the RfS, draft BESPA and draft BESSA (if applicable), shall be prepared by the Procurer in consonance with these Guidelines. The Procurer shall also arrange the access of the bidders to the drafts of Implementation Support Agreement and land related agreements, in case the Project is required to be set up in a RE Park.
4. The Procurer shall publish the RfS notice in the Central/State Public Procurement Portal and/or its own website to accord wide publicity.
5. The Procurer shall provide opportunity for pre-bid conference to the prospective bidders, and shall provide written interpretation of the tender documents to any bidder which shall also be made available to all other bidders. All the concerned parties shall rely solely on the written communication. Any clarification or revision to the bidding documents shall be uploaded on the website of the Procurer for adequate information. In the event of the issuance of any revision or amendment of the bidding documents, the bidders shall be provided a period of at least 7 days there from, for submission of bids.

D. REQUEST FOR SELECTION (RFS) DOCUMENT

The standard provisions to be provided by the Procurer in the RfS shall include the following:

1. Bid Responsiveness

The bid shall be evaluated only if it is responsive and satisfies conditions including inter-alia:

- (a). Bidder or any of its Affiliates should not be a wilful defaulter to any lender;
- (b). The Bidder & any of its Affiliate including any Consortium Member & any of its Affiliate, their directors should not have been barred or included in the blacklist by any government agency or authority in India, the government of the jurisdiction of the Bidder or Members where they are incorporated or the jurisdiction of their principal place of business, any international financial institution such as the World Bank Group, Asian Development Bank, African Development Bank, Inter-American Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank etc or the United Nations or any of its agencies

2. Qualification requirements to be met by the bidders

- a) **General Eligibility Criteria:** Bidders participating in the tenders issued under these Guidelines should fall under either of the following categories:
 - i. A Company under the Companies Act, 2013.
 - ii. A Foreign Company under the respective nation's laws.

- iii. Alternative Investment Funds (AIF) as registered under SEBI. “AIF” shall be as defined by SEBI.
- iv. A Consortium comprising the above entities.

The above would be subject to the relevant Acts, Rules, Guidelines, Orders and Policy documents of the Government of India as amended from time to time.

- b) **Technical Eligibility Criteria:** The Government would like to encourage competition by way of increased participation. However, in order to ensure proper implementation of the Projects, the Procurer may choose to specify Technical Eligibility Criteria such as past experience of the bidders, timely execution of infrastructure projects, etc. Such criteria should be set after an assessment of the number of project developers that are expected to meet the criteria so that an adequate level of competition is achieved. Cut-off date for meeting the technical criteria should generally be kept as the last date of bid submission.

c) **Financial Eligibility Criteria:**

- i. Net-worth/Asset Under Management (AUM) or Investible Funds: The Procurer shall specify financial criteria in the form of net-worth as a part of the qualification requirement. The net-worth requirement should be at least 20% (twenty per cent) of the estimated capital cost of the Project, for the financial year in which bids are issued. The estimated capital cost of the Project will be determined by the Bidding Agency. In case of the Bidder being a SEBI registered AIF, the cumulative value of Assets Under Management (AUM) with minimum requirement as decided by the Procurer/Intermediary Procurer shall be demonstrated as part of Financial Eligibility Criteria. In this context, AUM shall mean the amount as certified by the Statutory Auditor of the AIF.

The net-worth/value of AUM to be considered for the above purpose will be the cumulative net-worth of the bidding company/AIF or consortium members. Except in the case of AIFs, the Bidder may seek qualification on the basis of financial capability of its Affiliate(s) for the purpose of meeting the Net Worth criteria as per the RfS. In case of the Bidder being a Bidding Consortium, any Member may meet the above criteria on the basis of financial capability of its Affiliate(s). In both cases, such Affiliates shall undertake to contribute the required equity funding and performance bank guarantees in case the bidder(s) fail to do so in accordance with the RfS.

It is clarified that the net-worth to be considered for this clause will be the total net-worth as calculated in accordance with the Companies Act, 2013, and AUM or investible funds to be considered under this clause will be calculated in accordance with applicable SEBI (AIF) Regulations.

For the limited purpose of meeting the technical and financial eligibility criteria in the tenders, in addition to using credentials of the Affiliates having more than 50% shareholding in the bidding company, the bidders may also use credentials of those Affiliates who do not control more than 50% of the bidding company, subject to the following:

- a. The qualification criteria parameters will be met proportionately to the equity contribution of the entity whose credentials are being used to meet the requirement. For example, in case of Net Worth requirement being Rs. 100 Cr., and the strength of an Affiliate is used which owns 30% of the total shareholding in the bidder, the said Affiliate should be able to meet upto Rs. 30 Cr. of the Net Worth.
- b. In case the strength of an Affiliate is being used for meeting the eligibility criteria, shareholding pattern of the respective Affiliate will be locked-in upto COD of the Project.
- ii. Liquidity: It is necessary that the bidder has sufficient cash flow/ internal accruals/ bank references to manage the fund requirements for the Project. The Procurer may also stipulate suitable parameters such as annual turnover, PBDIT, internal resource generation, bank references/line of credit, etc.

E. BID SUBMISSION AND EVALUATION

1. Formation of consortium shall be permitted, in which case the consortium shall identify a lead member which shall be the contact point for all correspondences during the bidding process.
2. The Bidding Agency will specify suitable technical and financial eligibility criteria for the bidders, in the tender documents.

3. The Procurer shall constitute a committee for evaluation of the bids (Evaluation Committee), with at least three members, including at least one member with expertise in financial matters / bid evaluation.
4. The bidders may be required to submit non-refundable processing fee and/or success fee, as specified in the RfS.
5. The bidders shall be required to submit separate technical and price bids. The bidders shall also be required to furnish necessary bid-guarantee in the form of an EMD along with the bids.
6. The technical bids shall be evaluated to ensure that the bids submitted meet the eligibility criteria set out in the RfS document on all evaluation parameters. Only the bids that meet the evaluation criteria set out in the RfS shall be considered for further evaluation on the price bids.
7. To ensure competitiveness, the minimum number of qualified Bidders should be two. If the number of qualified bidders is less than two, even after three attempts of bidding, and the Procurer still wants to continue with the bidding process, the same may be done with the consent of the Appropriate Commission.
8. The price bid shall be liable to be rejected, if the bid submitted by the Bidder contains any deviation from the tender conditions.
9. **Bid evaluation methodology to be adopted by the Procurer for evaluating the bids:** Bid Evaluation shall be carried out in terms of parameters as brought at Clause B2 above through ranking of Bids in ascending order of the Bidding Parameter. the Bidding Agency will carry out electronic reverse auction for award of Projects.
10. The detailed procedure for evaluation of the bid and selection of the successful bidder(s) shall be provided for in the RfS.

F. INDICATIVE TIME TABLE FOR BID PROCESS

The bidding process should be completed within 3 months of the date of issuance of RfS by the Procurer. It is clarified that if the Procurer gives extended time for any of the events in the bidding process, on account of delay in achieving the activities required to be completed before the event, or any other reason, such extension of time shall not in any way be construed as deviation from these Guidelines.

G. CONTRACT AWARD AND CONCLUSION

1. After the conclusion of bidding process, the Evaluation Committee constituted for evaluation of bids shall critically evaluate the bids and certify as appropriate that the bidding process and the evaluation has been conducted in conformity to the provisions of these Guidelines.
2. The BESPA shall be signed with the successful bidder/project company or an SPV formed by the successful bidder.
3. The BESPA shall be executed between BESSD and Procurer. In case of involvement of the Intermediary Procurer, BESPA shall be executed between the BESSD and Intermediary Procurer and the BESSA shall be executed between the Intermediary Procurer and the End Procurer. The BESPA(s) should preferably be signed immediately after signing of the BESSA(s).
4. The Intermediary Procurer shall enter into the Battery Storage Purchase Agreement (BESPA) / Power Purchase Agreement with the Developer(s) and enter into a Battery Storage Sale Agreement (BESSA) /Power Sale Agreement with the distribution licensee(s)/ consumer(s). The BESSA shall contain the relevant provisions of the BESPA on a back-to-back basis. The Intermediary Procurer shall be entitled to charge trading margin of seven paise/kWh or 0.5% of the Capacity Charges (as applicable) from the Buying entity / Procurer for purchase and sale of such energy/capacity..
5. As long as the Intermediary Procurer follows these Guidelines for procurement of BESS, the End Procurer(s) shall be deemed to have followed these Guidelines for procurement of such power. The power procurement for Distribution licensees in some States is centralized through a holding company or another government agency. Such companies/ agencies will be considered as Procurer and not as Intermediary Procurer for the purposes of these Guidelines.
6. In case of delay in signing of BESPA beyond 6 months from the date of issuance of LoAs, or any other extended date as mutually agreed between the Bidding Agency and the successful bidders, the awarded capacity shall stand cancelled. In certain cases, after the above deadline, if the cumulative capacity eligible for signing of BESPA is lower than the cumulative capacity awarded under the tender, further

course of action will be decided by the Bidding Agency, which will be clearly specified in the tender document.

7. For the purpose of transparency, the Procurer shall, after the execution of the BESPA, publicly disclose the name(s) of the successful bidder(s) and the tariff / charges quoted by them together with breakup into components, if any. The public disclosure shall be made by posting the requisite details on the website of the Procurer for at least 30 (thirty) days.
8. Subject to provisions of the Act, the distribution licensee or the Intermediary Procurer, as the case may be, should approach the Appropriate Commission for adoption of tariffs (including capacity charges, if applicable) discovered and quantum of capacity / electricity to be procured, within 30 days of issuance of Letter(s) of Award to the successful bidder(s). In case the tariff (including capacity charges, if applicable) adoption procedure requires signed BESPA to be submitted alongwith, the above timeline may be extended suitably.
9. In some cases, the Intermediary Procurer/Procurer may also stipulate a fixed value as one of the components of a two-part tariff. In such cases, the above fixed part of the tariff need not require any tariff adoption by the Appropriate Commission, and will be deemed to be applicable under these Guidelines.
10. Subsequent to the End Procurer/Intermediary Procurer approaching the Appropriate Commission for adoption of tariffs, in case, the Appropriate Commission does not decide upon the same within 120 days from the Effective Date of the BESPA, the Procurer(s) shall grant appropriate extension of time in financial closure deadline and scheduled commissioning date to the BESSDs, corresponding to the delay (beyond 120 days of Effective Date of BESPA) in adoption by the Appropriate Commission, till the date of adoption by the Appropriate Commission.

H. BANK GUARANTEES/PAYMENT ON ORDER INSTRUMENTS/ LETTERS OF UNDERTAKING

1. The BESSD shall provide the following instruments to the Procurer in terms of the RfS and the BESPA:

- a. Earnest Money Deposit (EMD), to be fixed by the Procurer, but not to be more than 2% (two percent) of the estimated capital cost of the Project, for the financial year in which the bids are invited, to be submitted along with response to RfS. The Bidding Agency / Procurer shall have the option to specify modes / forms of accepting EMD, taking into due consideration the notifications/Government Resolutions notified by the Appropriate Government, in the form of:

- i. Bank Guarantee(s);

OR

- ii. "Payment on Order instrument" / Letter of Undertaking to pay in case situation of default of BESSD in terms of BESPA arises, from any agency as notified by the Government of India or State Governments from time to time, for this purpose, to be furnished by the bidders. Forfeiture of EMD or blacklisting/debarring etc, as defined in these Guidelines, shall be undertaken in the event of failure of the BESSD to execute the BESPA within the stipulated time period.

"Payment on Order instrument" means Letter of Undertaking from any agency as notified by the Government of India or State Governments from time to time for this purpose, to pay in case situation of default of Battery Storage System Developer(BESSD) in terms of tender documents and/or Battery Storage Purchase Agreement (BESPA) arises. Such Letter(s) will have same effect as that of a Bank Guarantee issued by any public sector bank. Such "Payment on Order instrument" would have terms and conditions similar to that of any Bank Guarantee given by any public sector bank and would promise to pay the Procurer on demand within stipulated time. BESSD can seek such Letters(s) by offering due security to the above mentioned three non-banking financial institutions mentioned above. Procurer(s) shall not accept the instrument of 'Letter of Undertaking' as described above or in any other form, from any other non-banking financial institutions or bank, except from the institutions as notified above.

- b. Performance Bank Guarantee (PBG), to be fixed by the Procurer, but not to be more than 5% (five percent) of the Project cost, for the financial year in which the bids are invited, to be submitted at the time of signing of the BESPA. The Bidding Agency / Procurer shall have the option to specify

modes / forms of accepting EMD, taking into due consideration the notifications/Government Resolutions notified by the Appropriate Government, in the form of:

i. Bank Guarantee(s);

OR

ii. "Payment on Order instrument" / Letter of Undertaking to pay in case situation of default of BESSD in terms of Power Purchase Agreement (BESPA) arises, from any agency as notified by the Government of India or State Governments from time to time for this purpose.

2. In addition to the other remedies, the PBG (or the alternative provided thereto as per these Guidelines) can be encashed to recover any damages/dues of the BESSD in terms of the BESPA. It is hereby clarified that the damages/dues recovered by the Intermediary Procurer by encashing the PBG, upon the default of the BESSD under the BESPA, shall be credited to the Payment Security Fund to be maintained by the Intermediary Procurer under Clause G, Section IV of these Guidelines. PBG (or alternatives provided thereto as per these Guidelines) would be returned after deducting liquidated damages (if any), to the BESSD within 45 days of commissioning of the Project. However, Procurer / Intermediary Procurer may choose to increase such period which shall not be more than 15 months from COD and shall be clearly specified in the Bidding Documents. In case of part commissioning, PBG/Payment on Order Instrument corresponding to the part capacity commissioned, should also be released after deducting liquidated damages (if any), within the time period as specified in Bidding Documents. As an alternative to encashment of PBG/Payment on Order Instrument, the Procurer/Intermediary Procurer may also provide an option to the BESSD to furnish the requisite amount to the Procurer/Intermediary Procurer through DD/electronic payment, against release of the PBG/Payment on Order Instrument concerned without any encashments.
3. Procurer(s) may release the Bank Guarantees submitted by BESSD as 'Performance Bank Guarantee (PBG)' of any project, if the BESSD is able to replace the same with "Payment on Order instrument" / Letter(s) of Undertaking as per Clause H.1.b.ii.above, to pay in case situation of default of the BESSD in terms of BESPA arises. BESSD can seek such Letters(s) by offering due security to the notified agencies for seeking replacement of their Bank Guarantees already pledged with the Procurer.

I. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Procurers shall promote commercially established and operational technologies to minimize the technology risk and to achieve the commissioning of the Projects. The detailed technical parameters, for type of RE projects covered and to be selected under these Guidelines, shall be specified by Ministry of Power from time to time. An indicative list of technical specifications is brought out in Appendix-2 to these Guidelines.

SECTION IV: IMPLEMENTATION OF THE PROJECT

A. BATTERY STORAGE PURCHASE AGREEMENT (BESPA)

The draft BESPA proposed to be entered into with the successful bidder and draft BESSA (if applicable) shall be issued along with the RfS. Standard provisions to be incorporated as part of this BESPA shall include inter alia the following, which, unless otherwise specified herein, shall be provided for, on a back-to-back basis in the BESSA.

1. Term of the BESPA

In view of the currently prevailing life cycle of Battery systems being used without replacement, the minimum term of the BESPA period should be 8 (eight) years from the Scheduled Commissioning Date (SCD) or the date of full commissioning of the Project, whichever is later. The BESSD is free to operate the plants after the expiry of the BESPA period, in case the arrangements with the land and infrastructure owning agencies, the relevant transmission utilities and system operators so provide. It is hereby clarified that in cases where the Project site is specified by the Procurer to be located either in a RE Park or otherwise, the responsibility of the Procurers to arrange for the land in terms of Clauses A.1.1.4 and A.1.1.5 of Section III of the Guidelines shall be limited for the BESPA period.

2. Performance Parameters of the Project

The procurement of power could either be in capacity (kW/MW) and/or energy (kWh/MWh) terms.

- a) The bidding documents may specify performance parameters such as availability, charging/discharging rate, efficiency, ramp rate, etc. In case of availability being a performance parameter in a tender, in order to ensure the End Procurer's requirements are met, minimum availability to be maintained by the BESS should be specified in the RfS. Further, based on the specific usage of the BESS envisaged under the tender, the BESSD may be required to meet the minimum monthly and / or Annual Availability requirements, or to declare availability on a day-ahead basis. The minimum availability criteria to be met may also be limited to the specified hours in a day/peak hours in a day, on which the shortfall in meeting such criteria will be calculated. The hours of storage and the performance parameters may be decided by the Procurer.
- b) Procurement of capacity (MW) and scheduling for energy

In case procurement is done for scheduling of energy in various time blocks, the Procurer will mention the capacity with clear conditions on "minimum availability to be provided by the BESSD and minimum off take energy schedule to be provided by the procurer". In such projects, the minimum off-take and availability should not be less than "xx%" of the contracted capacity.

- Availability based Capacity charge: Irrespective of scheduling of energy by the procurer, the Procurer shall pay the capacity charge for the capacity made available by the BESSD.
 - If the BESS is charged by the Procurer, the BESSD will deliver the energy back after accounting for pre-specified conversion losses.
 - If the energy also provided by the BESSD, the Procurer shall pay for the pre-quoted energy charge, for the energy supplied also. However, the Procurer would guarantee the minimum monthly and annual off take guarantee of power.
 - Fixed charge: For the difference energy between the availability proposed by BESSD and scheduled by the Procurer, the Procurer shall pay pre-defined fixed charge which can be defined as xx % of the tariff. "xx%" in the above provisions shall be determined as per the bidding documents.
- c) Liquidated Damages on account of shortfall in meeting performance criteria: There will be liquidated damages payable for shortfalls against the performance parameters, the amount will be:
- (i) On pro-rata basis for the shortfall below the committed capacity availability @ capacity charge or any number predefined in RfS.
 - (ii) On pro-rata basis for the shortfall in supply of committed energy at the tariff or any number predefined in RfS.
 - (iii) the BESSD shall pay for the Energy loss in excess of guaranteed parameter (as stipulated in the RfS Document) @ Tariff of input energy provided by the procurer or any number predefined in RfS.
 - (iv) For any performance deviations, related to the parameters for ancillary services, the predefined liquidated damages defined by the procurer in the RfS shall be levied.
 - (v) Any other Liquidated Damages as defined in the RfS Document
- d) The amount of the liquidated damages as specified under the Bidding Documents or BESPA or in the BESSA is genuine and reasonable pre-estimate of the damages that may be suffered by the Procurer/Intermediary Procurer(s)..

3. Replenishing

The BESSDs will be free to replenish the battery capacity time to time during the BESPA duration at their cost and expense to meet the performance criteria. However, the Procurer will be obligated to buy power only within the performance range as specified in the BESPA and at the charges applicable as per the existing agreements. Provisions for treatment of excess supply (if any) shall be specified in the Bidding Documents to be issue by End Procurer / Intermediary Procurer. Change in Law compensation / payment shall be limited to the Contracted capacity only.

B. FINANCIAL CLOSURE

1. The BESSD shall attain the Financial Closure in terms of the BESPA, within the date which is 12 months of the Date of Signing of the Battery Energy Storage Purchase Agreement. However, if for any reason, the time period for attaining the financial closure needs to be reduced than that provided in these Guidelines, the Procurer can do the same.
2. Failing the aforesaid, the Procurer/Intermediary Procurer shall encash the PBG/POI unless the delay is on account of delay in allotment of land by the Procurer in terms of Clause A.1.1.4 and Clause A.1.1.5 of Section III of these Guidelines or delay in allotment of land by the Government not owing to any action or inaction on the part of the BESSD or is caused due to a Force Majeure. An extension for attainment of the financial closure can however be considered by the Procurer, on the sole request of the BESSD, on payment of extension charges of Rs. 1,000 per MW per day of delay in financial closure. This extension will not have any impact on the Scheduled Commissioning Date (SCD). Any extension charge paid so, shall be returned to the BESSD without any interest on achievement of successful commissioning of full Project capacity within the SCD. In other cases, such penalty / extension charges will be credited to the Payment Security Fund maintained by the Procurer / Intermediary Procurer.
3. Any delay in adoption of tariff by the Appropriate Commission, beyond 120 days after Effective Date of BESPA shall entail a corresponding extension in financial closure deadline.

C. COMMISSIONING

1. Part Commissioning

- a. Part commissioning of the Project shall be accepted by the Procurer subject to the condition that the minimum capacity for acceptance of first part commissioning shall be 50% of Project Capacity or 50 MW, whichever is lower, without prejudice to the imposition of penalty, in terms of the BESPA on the part which is not commissioned. For ISTS-connected Projects, the minimum part commissioning capacity for the 1st part will be 50 MW. The total number of instalments in which a Project can be commissioned will be not more than 3, i.e., 1st initial instalment and 2 subsequent instalments. However, the Scheduled Commissioning Date (SCD) will not get altered due to part-commissioning. Irrespective of dates of part commissioning or full commissioning, the BESPA will remain in force for a period of minimum 8 years from the SCD or date of full commissioning of the Project capacity, whichever is later.
- b. In case of part-commissioning of the Project, the BESSD shall be required to submit documents/Lease Agreement to establish possession/right to use of the required land, corresponding to part capacity being commissioned, in the name of the BESSD for a period not less than the complete term of the BESPA, on or before the date of such part-commissioning.
- c. For capacity procurement contracts, in case of part-commissioning, payments as per the BESPA may be made on pro-rata basis, proportionate to the capacity commissioned. The procurement of part commissioned capacity will be based on the sole discretion of the procurer/intermediary procurer. If the procurer/intermediary procurer are not interested to consider procurement of the part capacity till commissioning, the part commissioned capacity will be allowed to sell in the open market till SCD

2. Early Commissioning

The BESSD shall be permitted for full commissioning as well as part commissioning of the Project even prior to the SCD subject to availability of transmission connectivity and/or open access, if applicable. In cases of early part commissioning, till SCD, the BESSD will be free to sell the electricity generated / battery capacity, to any entity other than the Procurer(s), provided that the first right of refusal will be vested with the Procurer(s). The Procurer(s) /Intermediary Procurer shall provide refusal within 15 (fifteen) days from the receipt of the request, beyond which it would be considered as deemed refusal. In cases of early commissioning of full Project capacity prior to SCD, in case the Procurer agrees to purchase such early commissioned power, the Procurer/Intermediary Procurer shall purchase the generation at BESPA/BESSA tariff, as applicable.

3. Commissioning Schedule

- a. The BESSD shall commission the Project, in terms of the BESPA, as per following timelines:

- i. In case of Project capacity upto (and including) 250 MW, the Scheduled Commissioning Date (SCD), i.e., the maximum timeline for commissioning of Projects without any liquidated damages, shall be the date as on 18 months after the Effective Date of the BESPA.
- ii. In case of Project capacity more than 250 MW, the SCD shall be the date as on 24 months after the Effective Date of the BESPA.

However, if for some reason, the scheduled commissioning period needs to be reduced than that provided in these Guidelines, the Procurer can do the same, subject to confirmation from CTU/STU regarding evacuation margins in ISTS/Intra-STS transmission system.

- b. Subject to the provisions of these Guidelines regarding Force Majeure, delay in commissioning beyond the Scheduled Commissioning Date, shall involve liquidated damages levied on the BESSD, as detailed below:
 - i. For delay in commissioning upto 9 months after SCD, the BESSD shall be levied liquidated damages in the form of encashment of the PBG/POI on a per-day basis, pro-rata to the Contracted Capacity not commissioned. Payment of such liquidated damages could be done as follows:
 - By direct payment of the damages of to the Procurer/Intermediary Procurer
 - By encashment of the BG/POI

The BESSD would have the option of choosing between these two options and the time period for making this choice will be specified in the BESSA/BESPA.

- ii. For delay in commissioning beyond 9 months after SCD, Contracted Capacity shall be reduced to the project capacity commissioned upto 9 months after SCD, the entire Performance Guarantee will be encashed by the Procurer/Intermediary Procurer and the BESPA for the Project shall stand terminated for the balance un-commissioned capacity.
- iii. However, if for some reason, the above period of liquidated damages needs to be reduced than that provided in these Guidelines, the Procurer can do the same.
- c. Any delay in adoption of tariff (including capacity charges, if any) by the Appropriate Commission, beyond 120 days after Effective Date of the BESPA, shall entail a corresponding extension in SCD.
- d. Land arrangements: It may be noted that commissioning/ part-commissioning of the Project will not be declared until the BESSD submits documents/ Lease Agreement to establish possession/ right to use of the required land, corresponding to full/ part capacity being commissioned, in the name of the BESSD for a period not less than the complete term of the BESPA, on or before the date of such full / part commissioning.

4. Delay in Commissioning on account of delay in Connectivity/Grid Access Operationalisation:

In certain Projects, Connectivity and Grid Access shall be required to be submitted by the BESSD prior to commissioning of the project. Subsequent to grant of connectivity, in case there is a delay in grant/operationalisation of Grid Access by the CTU/ STU and/or there is a delay in readiness of the ISTS/ InSTS substation at the Delivery Point/Injection Point, including readiness of the power evacuation and transmission infrastructure of the ISTS/ InSTS network until SCD of the Project, and it is established that:

- i. The BESSD has complied with the complete application formalities as per the Connectivity Procedure.
- ii. The BESSD has adhered to the applicable Procedure in this regard as notified by the CERC/ SERC/JERC/CTU/ STU, and
- iii. The delay in grant of connectivity/ Grid Access by the CTU/ STU and/or delay in readiness of the ISTS/ InSTS substation at the Delivery Point, including readiness of the power evacuation and transmission infrastructure of the ISTS/ InSTS network, is a factor attributable to the STU/ CTU/ transmission licensee and is beyond the control of the BESSD;

The above shall be treated as delays beyond the control of the BESSD and SCD for such Projects shall be revised as the date as on 30 days subsequent to readiness of the Delivery Point and power evacuation infrastructure and/or operationalization of the Grid Access. Decision on requisite extension on account of the above factor shall be taken by Procurer / Intermediary Procurer.

D. COMMERCIAL OPERATION DATE (COD)

In case of part commissioning, Commercial Operation Date (COD) will be declared only for that part of project capacity. The Commercial Operation Date (COD) of the project [Project COD] shall be considered as the next day after the actual date of commissioning of the full capacity of the Project or the last part capacity of the Project as the case may be, as declared in line with the commissioning procedure as provided in the BESP. Similarly, for each part commissioning, COD will be the next day after actual date of commissioning of the respective part capacity.

The BESSD shall obtain necessary safety clearances from the Central Electricity Authority/CEIG prior to commissioning of the Project.

Commissioning shall be as per the Commissioning Procedure as per provisions specified in the Bidding Documents.

E. TRANSMISSION CONNECTIVITY

1. The Project shall be designed for inter-connection with InSTS / ISTS substation, either directly, or through a Pooling Substation where other projects also inter-connect prior to the InSTS / ISTS substation, through a transmission network as per applicable regulations, at the appropriate voltage level, as specified by the Procurer/STU/CTU, in line with the applicable CERC/SERC Regulations. The entity responsible for the construction of the relevant transmission infrastructure shall be clearly specified in the bidding documents. Depending on the implementation arrangements and design of the evacuation system, the capital costs of the transmission lines and substations prior to the InSTS / ISTS substation may either be directly paid by the BESSD, or paid by the RE park developer or another implementation agency and claimed from the BESSD as directly attributed or apportioned and recovered in lump sum or as payments over the years.
2. In cases, where the Project site is not specified by the Procurer, the responsibility of getting Connectivity and Grid Access to the transmission system owned by the STU / CTU/ Transmission Licensee will lie with the BESSD and shall be at the cost of the BESSD. In this regard, the Bidding Agency, in consultation with the CTU/STU, may provide a list of substations, from which the bidders may choose the delivery points in a particular tender.
3. In cases, where the Project site specified by the Procurer is not in a RE Park, the Procurer could choose to require the BESSD to bear the responsibility and cost of getting Transmission Connectivity and Grid Access.
4. In cases where the Procurer specifies a RE Park, where the Project is to be located, damages, fines and charges imposed by the CTU/ STU under any statute or regulation in relation to delay in commissioning of Project shall be payable by the BESSD to the extent the delay is attributable to the BESSD and the balance shall be payable by the Procurer.
5. The benefit of waiver of Inter-State Transmission System (ISTS) charges and losses, if any, as per the extant regulations/directions in this regard, will be applicable on the Projects.
6. The Metering Point, which is the point at which energy supplied to the Procurer shall be measured, shall be the low voltage bus bar of the InSTS / ISTS substation at which the power is injected in the transmission system of STU/CTU or any additional point(s) as specified in the Bidding Document. Unless otherwise provided, the transmission of power up to the point of interconnection where the metering is done for energy accounting shall be the responsibility of the BESSD at his own cost.
7. In case of RE Park, the metering point (as specified in the Bidding Document) is the final evacuation InSTS / ISTS substation with which the internal transmission from all the pooling substations is connected. All expenses including but not limited to transmission / wheeling charges and losses etc. between the Project and the Metering Point shall be paid by the BESSD without any reimbursement by the Procurer. All expenses including 'transmission charges and losses' (if any) and 'wheeling charges and losses' in relation to the transmission and distribution beyond the Metering Point shall be borne by

the Procurers, except as provided specifically in the RfS. Arrangements shall be put in place for billing by the RE Park Developer to the Projects/BESSDs or any other entity, as the case may be who may in turn, recover the same directly from the Procurer.

8. For interconnection with grid and metering, availing Open Access and commercial accounting & settlement, the BESSDs shall abide by the provisions of the CERC Regulations/Procedure & RE connectivity procedure and the various CEA Regulations/Standards including Grid Code, Technical Standards as issues by CEA in this regard, Grid Connectivity Regulations, Regulations on Communication System for transmission of electricity and other regulations (as amended from time to time) issued by Appropriate Commission and CEA.
9. The BESSD shall comply with CERC/ SERC/ JERC regulations on Forecasting, Scheduling and Deviation Settlement, as applicable and are responsible for all liabilities applicable in this regard.
10. The transmission connectivity to the BESSD may be provided by the CTU/ STU, as the case may be, prior to commissioning of the project on the request of the BESSD, to facilitate testing and allow flow of infirm power generated into the grid, subject to existing conditions and such application should be made within the stipulated timeline as specified in the Applicable Regulations.
11. In case of BESS projects as transmission element, the project would planned in tandem with transmission network, and associated RE projects. In case of delay of RE projects associated in the associated network, the capacity charge payable to the to the BESS provider shall be levied on the RE project developers on pro-rata basis by intermediary procurer

F. COMPENSATION FOR OFFTAKE CONSTRAINTS

The Procurer may be constrained to reduce off-take of the power scheduled/offered by the BESSD on account of a Backdown and limited to such case, the applicable Compensation shall be as under.

1. Compensation due to reduced offtake by the Procurer

- a) BESSD shall not be eligible for any compensation in case of Capacity Contract. However, Capacity Charge / Tariff as per Agreement shall be paid to BESSD for such cases also.

G. PAYMENT SECURITY MECHANISM

The Procurer shall provide adequate payment security measures, as specified below.

1. Scenario 1: Direct Procurement by End Procurer from BESSD

The Procurer shall provide payment security to the BESSD through:

- a. **Revolving Letter of Credit (LC)** of an amount not less than 1 (one) months' average billing from the Project under consideration.

AND

- b. **Payment Security Fund**, which shall be suitable to support payment for at least 3 (three) months' billing of all the Projects tied up with such fund.
- c. As a combination of the above two mechanisms, the Procurer shall provide a total payment security for a total of 4 (four) months' energy billing, out of which, LC should be provided for a minimum period of 1 month's energy billing.
- d. In addition to payment security as per clauses (a) & (b) above, the Procurer may also choose to provide **State Government Guarantee**, in a legally enforceable form, ensuring that there is adequate security to the BESSD, both in terms of payment of energy charges and termination compensation if any. This will not be applicable in case the Procurer is a transmission utility or a system operator.

2. Scenario 2: Intermediary-Procurer procures from the BESSD and sells to the End Procurer

a. Payment Security by Intermediary Procurer to the BESSD:

The Intermediary Procurer shall provide payment security to the BESSD through:

- i. **Revolving Letter of Credit (LC)** of an amount not less than 1 (one) months' average billing for the Project under consideration.

AND

- ii. **Payment Security Fund**, which shall be suitable to support payment of at least 3 (three) months' billing of all the Projects tied up with such fund. For the purpose of this Payment Security Fund, the Intermediary Procurer will collect a non-refundable amount of Rs. 5.0 Lacs/MWh (Rupees Five Lacs per MWh) from the BESSD(s) as one of the routes for strengthening the Payment Security Mechanism pool. Such charges shall be stipulated clearly in the RfS and shall go to the Payment Security Fund (along with accrued interest) set up by the Government of India for such Intermediary Procurer.

b. **Payment Security by End Procurer to Intermediary Procurer:**

The End Procurer shall provide payment security to the Intermediary Procurer through:

- i. **Revolving Letter of Credit (LC)** of an amount not less than 1 (one) months' average billing for the Project(s) under consideration.

OR

- ii. **State Government Guarantee**, in a legally enforceable form, such that there is adequate security, both in terms of payment of energy charges and termination compensation if any [for the purpose of this clause, the Tri-Partite Agreement (TPA) signed between Reserve Bank of India, Central Government and State Government shall qualify as State Government Guarantee covering the security for payment of energy charges]. The Intermediary Procurer shall ensure that upon invoking this guarantee, it shall at once, pass on the same to the BESSD, to the extent the payments to the BESSD in terms of the BESPA are due. Provided that, in cases where the End Procurer is neither covered by Tri-Partite Agreement (TPA) nor is able to provide the State Government Guarantee, the following, shall be adopted:

In case a particular Procurer does not provide State Government Guarantee as part of the payment security, the LC amount will be enhanced to 2.1 times the average monthly billing.

- iii. In addition to payment security as per clauses (i) & (ii) above, the End Procurer may also choose to provide **Payment Security Fund**, which shall be suitable to support payment of at least 3 (three) months' billing of all the Projects tied up with such fund.

It is hereby clarified that the State Government guarantee shall be invoked only after the Intermediary Procurer has been unable to recover its dues under the BESPA by means of the Letter of Credit and the Payment Security Fund, if any.

H. FORCE MAJEURE**1. Definition of Force Majeure**

A 'Force Majeure' (FM) would mean one or more of the following acts, events or circumstances or a combination of acts, events or circumstances or the consequence(s) thereof, that wholly or partly prevents or unavoidably delays the performance by the Party (the Affected Party) of its obligations under the relevant BESPA, but only if and to the extent that such events or circumstances are not within the reasonable control, directly or indirectly, of the Affected Party and could not have been avoided if the Affected Party had taken reasonable care or complied with Prudent Utility Practices.

- a) Act of God, including, but not limited to lightning, fire and explosion (to the extent originating from a source external to the site), earthquake, volcanic eruption, landslide, flood, pandemic, cyclone, typhoon or tornado if it is declared / notified by the competent state / central authority / agency (as applicable), or verified to the satisfaction of Procurer; if a hydro power plant is a part of the package of the RE project to be set up the bidder, then in such case drought may be considered a relevant Force Majeure event for the hydro power plant component of the RE project.
- b) Radioactive contamination or ionising radiation originating from a source in India or resulting from another Force Majeure Event mentioned above excluding circumstances where the source or cause of contamination or radiation is brought or has been brought into or near the Power Project by the Affected Party or those employed or engaged by the Affected Party.

- c) The discovery of geological conditions, toxic contamination or archaeological remains on the Project land that could not reasonably have been expected to be discovered through an inspection of the Project land and/or as per prudent industry practices.
- d) Exceptionally adverse weather condition which are in excess of the statistical measure of the last hundred (100) years.
- e) Any act of war (whether declared or undeclared), invasion, armed conflict or act of foreign enemy, blockade, embargo, revolution, riot, insurrection, terrorist or military action, or Industry-wide strikes and labour disturbances, having a nationwide impact in India.
- f) Nationalisation or any compulsory acquisition by any Indian Governmental Instrumentality/ State Government in national interest or expropriation of any material Project assets or rights of the BESSD, as a result of which the BESSD or its shareholders are deprived (wholly or partly) of their rights or entitlements under the BESP. Provided that such action does not constitute remedies or sanctions lawfully exercised by the Procurer or any other Government Authority as a result of any breach of any of the Applicable Laws or the Applicable Permits by the BESSD or the BESSD related parties.

2. Force Majeure Exclusions

Force Majeure shall not include (i) any event or circumstance which is within the reasonable control of the Parties and (ii) the following conditions, except to the extent that they are consequences of an event of Force Majeure:

- a. Unavailability, late delivery, or changes in cost of the plant, machinery, equipment, materials, spare parts or consumables for the Power Project;
- b. Delay in the performance of any contractor, sub-contractor or their agents;
- c. Non-performance resulting from normal wear and tear typically experienced in power generation materials and equipment;
- d. Strikes or labour disturbances at the facilities of the Affected Party;
- e. Insufficiency of finances or funds or the agreement becoming onerous to perform; and
- f. Non-performance caused by, or connected with, the Affected Party's: (i) Negligent or intentional acts, errors or omissions, or lack of due diligence expected from any prudent and rational human being; (ii) Failure to comply with an Indian Law; or (iii) Breach of, or default under this Agreement.

3. Notification of Force Majeure Event

- a) The Affected Party shall give notice to the other Party of any event of Force Majeure as soon as reasonably practicable, but not later than fifteen (15) days after the date on which such Party knew or should reasonably have known of the commencement of the event of Force Majeure. If an event of Force Majeure results in a breakdown of communications rendering it unreasonable to give notice within the applicable time limit specified herein, then the Party claiming Force Majeure shall give such notice as soon as reasonably practicable after reinstatement of communications, but not later than one (1) day after such reinstatement. The Party who receives the Force Majeure Notification, shall take a decision on the claim of occurrence of Force Majeure Event, within 30 days of the receipt of the intimation, accompanied with supporting documents available with the Affected Party.
- b) Provided that such notice shall be a pre-condition to the Affected Party's entitlement to claim relief under the BESP. Such notice shall include full particulars of the event of Force Majeure, its effects on the Party claiming relief and the remedial measures proposed. The Affected Party shall give the other Party regular (and not less than weekly) reports on the progress of those remedial measures and such other information as the other Party may reasonably request about the Force Majeure Event.
- c) The Affected Party shall give notice to the other Party of (i) the cessation of the relevant event of Force Majeure; and (ii) the cessation of the effects of such event of Force Majeure on the

performance of its rights or obligations under the BESPA, as soon as practicable after becoming aware of each of these cessations.

4. Performance Excused

- a) The Affected Party, to the extent rendered unable to perform its obligations or part of the obligation thereof under the BESPA as a consequence of the Force Majeure Event, shall be excused from performance of the obligations, provided that the period shall not exceed 180 (one hundred and eighty) days from the date of issuance of the FM Notice, or any extended period as mutually agreed. The Parties may mutually agree to extend the period for which performance is excused due to a Force Majeure Event. However, in case of the FM continuing upto a period of 180 days or any extended period as mutually agreed, either Party has the right to terminate the BESPA.
- b) For the time period, as mutually agreed by the Parties, during which the performance shall be excused, the BESSD shall be entitled for a day-to-day extension of the period provided for Financial Closure or Scheduled Commissioning Period or the BESPA period, as the case may be. The Term of the BESPA and BESSA will be suitably extended as per the above extension.
- c) Provided always that a Party shall be excused from performance only to the extent reasonably warranted by the Force Majeure Event.
- d) Provided further that, nothing shall absolve the Affected Party from any payment obligations accrued prior to the occurrence of the underlying Force Majeure Event.

5. No Liability for Other Losses

Save as otherwise provided in these Guidelines, no Party shall be liable in any manner, whatsoever, to the other Parties in respect of any Loss relating to or arising out of the occurrence or existence of any Force Majeure Event.

6. Resumption of Performance

During the period that a Force Majeure Event is subsisting, the Affected Party shall, in consultation with the other Parties, make all reasonable efforts to limit or mitigate the effects of such Force Majeure Event on the performance of its obligations under the BESPA. The Affected Party shall also make efforts to resume performance of its obligations under this Agreement as soon as possible and upon resumption, shall notify other Parties of the same in writing. The other Party shall afford all reasonable assistance to the Affected Party in this regard.

7. Termination Due to Force Majeure Event

- a) If, prior to the completion of the 180-day period (or any extended period) for a Force Majeure Event commencing from the date of issuance of the Force Majeure Notice, the Parties are of the reasonable view that a Force Majeure Event is likely to continue beyond such 180-day period or any extended period agreed in pursuance of Clause 4 above (Performance Excused); or that it is uneconomic or impractical to restore the affected Unit, then the Parties may mutually decide to terminate the BESPA, and the termination shall take effect from the date on which such decision is taken.
- b) Without prejudice to the provisions of Clause 7 (a) above, the Affected Party shall, after the expiry of the period of 180 days or any other mutually extended period, be entitled to forthwith terminate the BESPA in its sole discretion by issuing a notice to that effect.
- c) On termination of the BESPA pursuant to Clause 7(b):
 - i. In case of termination on account of an event listed as Force Majeure as per Clauses 1. (a), (b), (c) and (d) above, no Termination Compensation shall be payable to the BESSD.
 - ii. In case of termination at the instance of the BESSD, on account of an event listed as Force Majeure as per Clauses 1. (e) and (f) above, the Procurer will have the option to (but will not be obliged to) take-over the Project assets by paying the Debt Due. In case the Procurer chooses not to exercise the above option, and the same is not agreed to by the BESSD, it will result in a dispute as per the BESPA, and will be resolved as per the Dispute Resolution mechanism under the BESPA.
 - iii. The BESSD shall be eligible for undisputed payments under outstanding Monthly Bill(s), before the occurrence of Force Majeure Event.

8. The provisions of Force Majeure contained herein above related to the BESPA affecting the BESSD or the Intermediary Procurer, as the case may be, shall be read mutatis mutandi as the provisions of Force Majeure under the BESSA and the Force Majeure affecting the End Procurer under the BESSA shall be read as Force Majeure affecting the Intermediary Procurer under the BESPA and similarly the Force Majeure affecting the BESSD under the BESPA shall be read as Force Majeure affecting the Intermediary Procurers under the BESSA.

I. EVENT OF DEFAULT AND THE CONSEQUENCES THEREOF

While detailed provisions with regard to the event of default of the concerned parties and its resulting consequences shall be detailed in the BESPA/BESSA, this clause lays down the broad principles of contractually dealing with the default of the BESSD and the Procurers (excluding the Intermediary Procurer).

1. BESSD Event of Default and the consequences thereof

- a) In the event the BESSD fails to supply power in terms of the BESPA, or assigns or novates any of its rights or obligations contrary to the terms of the BESPA, or repudiates the BESPA, or effectuates a change in control or shareholding of its promoters in breach of the provisions of the BESPA, or commits any other acts or omissions or commissions, as laid down in the BESPA and is also unable to cure any of the aforesaid within the cure period, as may be provided in the BESPA, the BESSD shall be construed to be in default.
- b) Upon being in default, the BESSD shall pay to the Procurer, damages, equivalent to energy payments corresponding to the declared minimum performance criteria as per the BESPA for 6 (six) months, or balance BESPA period whichever is less, for its contracted capacity. The Procurer shall have the right to recover the said damages by way of forfeiture of bank guarantee, if any, without prejudice to resorting to any other legal course or remedy.
- c) In addition to the levy of damages as aforesaid, in the event of a default by the BESSD, following sequence of events will be followed:
 - i. Project lenders will have the first right of substitution of the BESSD, within a specified time period.
 - ii. In case the lender is unable to substitute the BESSD within the above specified timeline, the Procurer will have the right (but will not be obliged) to takeover the Project assets, by paying to the BESSD, a compensation as mutually decided by the Procurer and the lender.
 - iii. In case the Procurer chooses not to exercise the above option, or the Procurer and the lender are unable to come to an agreement the lenders may liquidate the Project assets and recover their dues, as the last resort.

2. Procurer Event of Default and the consequences thereof

- a) If the Procurer is in default on account of reasons including inter-alia failure to pay the monthly and/or supplementary bills within the stipulated time period or repudiation of the BESPA, the defaulting Procurer shall, subject to the prior consent of the BESSD, novate its part of the BESPA/BESSA to any third party, including its Affiliates within the stipulated period. In this case, the Procurer shall pay amount equivalent to 3 (three) months of energy billing based on the declared availability, or balance BESPA period, whichever is less, for its contracted capacity, with the Project assets being retained by the BESSD, and exit from the BESPA/BESSA. In case of direct procurement by the Procurer from the BESSD, the above payment will be made by the Procurer to the BESSD. In case of procurement of power through an Intermediary Procurer, the above payment will be made by the End Procurer to the Intermediary Procurer.
- b) In the event the novation of the BESPA is not acceptable to the BESSD, or if no offer of novation of BESPA is made by the defaulting Procurer within the stipulated period, then the BESSD may terminate the BESPA and choose to either continue operating the project by itself finding an alternate procurer or to discontinue the operation of the project. If the BESSD chooses to continue operating the project, the Procurer will pay to the BESSD, 'termination compensation' equivalent to 6 (six) months of energy billing corresponding to the declared availability, or balance BESPA period whichever is less, for its contracted capacity.

- c) If the BESSD decides to discontinue the operation of the Project, it may require the defaulting Procurer to make a payment of the 'termination compensation' which will be equivalent to the amount of the Debt due and 110% (one hundred and ten per cent) of the Adjusted Equity, less Insurance Cover if any.
- d) In the scenario of procurement by more than one Procurer through an Intermediary Procurer under a single tender, the Intermediary Procurer may provide for suitable provisions to deal with default by one or more Procurers under their respective BESSAs.
- e) In the event of termination of BESPA, any damages or charges payable to the STU/ CTU, for the connectivity of the plant, shall be borne by the Procurer.

Note: In all cases, the lenders may also step in where appropriate as provided in the financing documents. Further, in all cases, the defaulting Party will be required to pay the applicable compensation within 3 months from the due date of such payment, subsequent to which, the defaulting Party will be required to pay a monthly interest @1% of the compensation.

J. CHANGE IN LAW

1. In these Guidelines, the term 'Change in Law' shall refer to the occurrence of any of the following events, after the last date of the bid submission, which have a direct effect on the Project, leading to corresponding changes in the cost requiring change in tariff, and includes (i) a change in interpretation of any law by a competent court; or (ii) the enactment of any new law; or (iii) a change in any domestic tax, including duty, levy, cess, charge or surcharge by the Central Government, State Government or Union Territory administration leading to corresponding changes in the cost; or; or (iv) a change in any condition of an approval or license obtained or to be obtained for purchase, supply or transmission of electricity, unless specifically excluded in the agreement for the purchase, supply or transmission of electricity, which results in any change in the cost;. However, Change in Law/ Regulation shall not include (i) any change in taxes on corporate income or any change in any withholding tax on income or dividends, or (ii) change in respect of deviation settlement charges or frequency intervals by an Appropriate Commission. The term "law" in this provision, includes any Act, Ordinance, order, bye-law, rule, regulation, notification, for the time being in force, in the territory of India..
2. In the event a Change in Law results in any adverse financial loss/ gain to the BESSD/Procurer then, in order to ensure that the BESSD/Procurer is placed in the same financial position as it would have been had it not been for the occurrence of the Change in Law / Regulation, the BESSD/ Procurer shall be entitled to compensation by the other party, as the case may be. Compensation payment on account of such 'Change in Law' shall be determined and shall be effective from such date as may be decided by the Appropriate Commission.
3. **Compensation payable on account of Change in Law:**
 - a. In case of Change in Law taking place prior to commissioning of the Project, the compensation will be passed through on in the form of increase/decrease in the tariff, linked with increase/decrease in the Project cost, which will be automatically paid through the monthly energy billing. The pass through in this case shall be effective from date of commissioning of the Project. The bidding documents shall contain the appropriate formula/provision to calculate the applicable increase/decrease in the tariff.
 - b. In case of Change in Law taking place subsequent to commissioning of the Project capacity, and changes in taxes/duties/cess etc. are defined as a percentage or the ratio of the tariff, the changes will be automatically passed on as appropriate increment/decrement in the tariff, and will be paid through monthly energy billing.
 - c. In the above two cases, the pass through according to the formula stipulated in the BESPA, will come into effect automatically after 60 days of submission of the all the necessary documents by the affected party to substantiate its claim for relief under such change in law event.
 - d. Truing up of the calculations on account of the above Change in Law events will be done by the Appropriate Commission. In the event of any decision by the Appropriate Commission which modifies or cancels any changes in the tariff, recovery/additional payment of the amount already paid until then, will be done suitably.

- e. In case of Change in Law during the operational period of the Project, and where such change is not applicable as an automatic modification in the tariff, suitable compensation will be provided as decided by the Appropriate Commission.
- f. In case a Change in Law results in delay in commissioning, where cause and effect between these two can be clearly established, the Procurer may provide suitable extension to financial closure and commissioning deadlines of the Project.

K. MINIMUM PAID UP SHARE CAPITAL TO BE HELD BY THE PROMOTER

1. The successful bidder, if being a single company, shall ensure that its shareholding in the SPV/ project company executing the BESPA shall not fall below 51% (fifty-one per cent) at any time prior to Commercial Operation Date (COD). In the event the successful bidder is a consortium, then the combined shareholding of the consortium members in the SPV/ project company executing the BESPA, shall not fall below 51% at any time prior to COD. Further, in case the Project is executed by the successful bidder itself, it shall ensure that the controlling shareholding of the bidding company/consortium remains unchanged until the COD. The successful bidder shall provide the information about its shareholding to the Procurer before signing of the BESPA with Procurer.
2. Any change in the shareholding after the COD can be undertaken under intimation to Procurer.
3. In the event the BESSD is in default to the lender(s), lenders shall be entitled to undertake “Substitution of Promoter” in concurrence with the Procurers.

L. CONSTRUCTION & PERFORMANCE MONITORING

All grid-connected projects, covered under these Guidelines, must install necessary equipment to continuously record the Project's performance. The BESSD will be required to submit this data to Authorities / Agencies as specified in the RfS Document, online for the entire duration of BESPA. In this regard, they shall also mandatorily grant access to Procurer and MNRE or any other designated agency, to the remote monitoring portal of the power plants on a 24x7 basis. Geo-tagging of the Projects shall be mandatory.

M. ROLE OF STATE NODAL AGENCIES AND OTHER FACILITATORS

The State Nodal Agencies appointed by respective State Governments will provide necessary support to facilitate the required approvals and sanctions in a time bound manner so as to achieve commissioning of the projects within the scheduled timeline. This may include facilitation in the following areas:

- i. Co-ordination among various State and Central agencies for speedy implementation of projects.
- ii. Support during commissioning of projects.

SECTION V: MISCELLANEOUS PROVISIONS

A. DEVIATION FROM PROCESS DEFINED IN THE GUIDELINES

In case there is any deviation from these Guidelines, the same shall be subject to prior approval by the Appropriate Government.

B. DISPUTE RESOLUTION MECHANISM

The Government of India can issue suitable orders providing for a dispute resolution mechanism at the Centre and request the State Government to consider such a mechanism at the State Level. These dispute Resolution Mechanisms will be additional forums beyond the provisions of the law and can be used by the relevant parties at their option.

C. APPLICABLE LAWS AND REGULATIONS

All activities / procurement being undertaken under these Guidelines will be subject to applicable laws and regulations of the Government, as amended from time to time.

Appendix-1**Notes regarding timelines indicated at Clauses 1.4 and 1.5 of Section III of these Guidelines**

- a) Lease/Right to use tenure should ideally be at least concurrent with Term of the BESPA. However, lesser lease period may be allowed depending on the applicable laws in the respective States. In such cases, failure by government entities to extend the land lease/ right to use should be included as a Force Majeure event that would require compensation to be paid by the Procurer to the BESSD, provided the above event results in the Project not being allowed to operate.
- b) Payment schedule for payment of land lease/rental charges by the BESSD, will be clearly specified in the RfS/BESPA documents and changes from the above schedules will not be considered as a deviation from these Guidelines that requires approval.
- c) In case of site identified by the Procurer, if a particular milestone is not within the operational domain of the Procurer, the Procurer will on best endeavour basis, support the facilitation in securing necessary approval from the concerned authorities within the above timelines.
- d) In case of Projects being set up in an RE Park, the timelines for fulfilment of obligations by the RE Park Developer as identified above may be required to be aligned with the timelines as provided in the respective RE Park Guidelines issued by the Government of India.
- e) In case of Projects being set up in an RE Park, the above timelines will form part of the Land Lease Agreement/Right to Use Agreement to be executed between the BESSD and Park Developer. There will be another Agreement executed between the two entities, called as “Implementation Support Agreement (ISA)”, which will clearly specify, among other items, roles and responsibilities of each Party of the Agreement. The facilities to be provided by the Park developer in line with the applicable RE Park Guidelines will be clearly identified in the above Agreement, and milestones of essential and non-essential infrastructure activities to be undertaken, along with additional payment terms, if any, to be indicated without any ambiguity.
- f) In both the above scenarios, delay in fulfilment of any milestone under the obligation of the Procurer/Park Developer, will result in suitable extension of BESPA signing, FC and SCD deadlines. The same will be suitably brought out in the RfS, BESPA, ISA and Land Lease Agreements.
- g) In case of delay in payment by the BESSD towards its obligations, the respective Agreements will stipulate the applicable liquidated damages to be levied on the BESSD.
- h) In case of delay in signing of any Agreement and/or delay in making payments due to the reasons solely attributable to the BESSD, there will not be any extension in the Project milestones.

Appendix-2**Technical Parameters of BESS, BESS Characterization and Performance Parameters****A. Codes and Standards**

The BESS shall comply with the following Codes and Standards or equivalent Indian Standards, as applicable.

Standard	Description	Certification Requirements
IEC 62485-2	Safety requirements for secondary batteries and battery installations - to meet requirements on safety aspects associated with the erection, use, inspection, maintenance and disposal: Applicable for Lead Acid and NiCd / NiMH batteries	Applicable only for Lead Acid and NiCd / NiMH batteries
UL 1642 or UL 1973, Appendix E (cell) or IEC 62619 (cell) + IEC 63056 (cell)	Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for secondary lithium cells and batteries, for use in industrial applications	Required for Cell
UL 1973 (battery) or (IEC	Batteries for Use in Stationary, Vehicle	Either UL 1642 or

62619 (battery) + IEC 63056 (battery))	Auxiliary Power and Light Electric Rail (LER) Applications / Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for secondary lithium cells and batteries, for use in industrial applications	UL1973 or (IEC 62619 + IEC 63056) for the Battery level
IEC 62281 / UN 38.3	Safety of primary and secondary lithium cells and batteries during transport: Applicable for storage systems using Lithium Ion chemistries	Required for both Battery and Cell.
IEC 61850/ DNP3	Communications networks and management systems. (BESS control system communication)	
UL 9540 or (IEC TS 62933-5-1 + IEC 62933-5-2)	Electrical energy storage (EES) systems - Part 5-1: Safety considerations for grid-integrated EES systems – General specification / Standard for Energy Storage Systems and Equipment	Either UL9540 or (IEC 62933-5-1 + IEC 62933-5-2) is required for BESS system level
Power Conditioning Unit Standards for BESS		
IEC 62909-1	Bi-directional grid connected power converters - Part 1: General requirements	
IEC 62909-2 (if applicable)	Bi-directional grid-connected power converters - Part 2: Interface of GCPC and distributed energy resources	
IEC 61683 Ed.1	Photovoltaic systems - Power conditioners - Procedure for measuring efficiency	
IEC 61000-6-2 Ed. 2	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards - Immunity standard for industrial environments	
IEC 61000-6-4 Ed. 2.1	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4: Generic standards - Emission standard for industrial environments	
IEC 62116 Ed. 2	Utility-interconnected photovoltaic inverters - Test procedure of islanding prevention measures	
IEC 60068-2-1:2007	Environmental testing - Part 2-1: Tests - Test A: Cold	
IEC 60068-2-2:2007	Environmental testing - Part 2-2: Tests - Test B: Dry heat	
IEC 60068-2-14:2009	Environmental testing - Part 2-14: Tests - Test N: Change of temperature	
IEC 60068-2-30:2005	Environmental testing - Part 2-30: Tests - Test Db: Damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle)	

B. General Specifications

- 1. Identification and Traceability:** Cells/Racks/Packs Assembly shall meet seismic requirement for the plant location of the BESS. Labelling of cells/batteries shall include manufacturer's name, cell type, name-plate rating, date of manufacture and date of expiry of parts and labour warranty.
- 2. Other Sub-systems/Components:** Other subsystems/components used in the BESS must also conform to the relevant international/national Standards for Electrical Safety besides that for Quality required for ensuring Expected Service Life and Weather Resistance.
- 3. Fire Protection:** The BESSD shall design and install a fire protection system that conforms to national and local codes. The fire protection system design and associated alarms shall take into account that the BESS will be unattended at most times. For high energy density technologies, the BESSD shall also obtain thermal runaway characterization of the battery storage systems.
- 4. Authorized Test Centres:** Batteries/ Power Conditioning Units deployed in the power plants must have valid test certificates for their qualification as per above specified IEC/ BIS Standards

by one of the ILAC member signatory accredited laboratories. In case of module types/ BESS/equipment for which such Test facilities may not exist in India at present, test certificates from reputed ILAC Member body accredited Labs abroad will be acceptable.

5. **Warranty:** BESSD shall procure performance guarantees to ensure minimum performance levels for predefined application(s) as per the terms of the RfS. The Warranty shall clearly indicate life expectancy given discharge profiles provided for the application.

C. Performance Monitoring

As part of the performance monitoring, the following shall be carried out:

- a. The BESSD must install necessary equipment to continuously measure BESS operating parameters (including but not limited to voltage, current, ambient conditions etc.) as well as energy input into and energy output from the BESS along with Metering arrangement in accordance with extant regulations. They will be required to submit this data to the concerned authorities/organizations on line and/or through a report on regular basis every month for the entire duration of contract.
- b. The SPDs shall provide access to the concerned authorities/organisations or their authorized representatives for installing any additional monitoring equipment to facilitate on-line transfer of data.
- c. All data shall be made available as mentioned above for the entire duration of the Contract.
- d. The plant SCADA should be OPC version 2.0a (or a later version including OPC UA) compliant and implement appropriate OPC-DA server as per the specification of OPC Foundation. All data should be accessible through this OPC server for providing real time online data (BESS parameters) to the concerned authorities/organisations. This time series data shall be available from the Project SCADA system to facilitate monitoring and should include among others as stated before, parameters to facilitate daily, monthly and annual report for performance monitoring.
- e. Web-based monitoring should be available, which should not be machine dependent. The web-based monitoring should provide the same screens as available in the plant. Also, it should be possible to download reports from a remote web-client in PDF or Excel format.

D. Safe Disposal of unit Batteries from the BESS

The Developer will comply with the requirements under Hazardous & other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, as amended from time to time, as applicable. The BESSD shall ensure that all Unit Battery modules from the plant after their 'end of life' (when they become defective/ non-operational/ non-repairable) are disposed in accordance with the "e-waste (Management and Handling) Rules, 2016" notified by the Government and as revised and amended from time to time and Battery Waste Management Rules, as and when notified by the Government of India.

GHANSHYAM PRASAD, Jt. Secy.